हाक-स्थय की पूर्व-अदायगी है विना हाक द्वारा भीजे आने के लिए अनुमत. अनुमंति-पत्र क. भोपाल-505/हाक्त्यू. पी.



पंजी क्रमांक भोपाल हिवीज 122 (एम. पी.)

सारकार किया किया है।

(श्रप्ताधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

कमांक 74]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 मार्च 1987-फाल्गुन 11, शके 1908

कृषि विभाग

भोपाल, दिनांक २ मार्च १९८०

क. बी-१९-३६-८५ चाँदह-२.—रायपुर कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९८७ (क्रमांक १ सन् १९८७) की धारा ५७ की उप (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग थें लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तारीख २ मार्च १९८७ को उक्त उपधा प्रयोजन के लिये ऐसी तारीख के रूप में विकिर्निर्दिट करती हैं.

No. B-11-36-85-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section of the Raipur Krishi Vishwa Vidyalaya Adhyadesh, 1987 (No. 1 of 1987) the State Government hereby specifies 2nd March 1987 as the date for the purpose of the said sub-section.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. एस. परमार, उपस हाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के के लिए अनुमत. अनुमति-पंच विना हाक इवारा भेजे जाने क. भोपाल-505/हब्ल्यू. पी.



पंजी. कमांक भीपाल **हिवीजन** 122 (एम. पी.)

याउया शहिसा शहापहा

(ग्रसाधारगा)

प्राधिकारं से प्रकाशित

क्रमांक 338]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 सितम्बर 1987-भाद्र 19, शके 1909

कृषि विभाग भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 1987

क. बी-4-5-87-चौदह-दो.—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रधितियम, 1987 (कमांक 20 सन् 1987) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतवृद्वारा निम्नान्सार प्रथम प्रिनियम दनाता है, द्रर्थात् :--

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर पुरिनियम, १९८७ विषय वस्त

परिक्षिम :

ग्रंध्याय एक-सामान्य

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
- 2. परिभाषाएं.

ग्रध्यायं दो—विश्वविद्यालयं के ग्रधिकारी क—ग्रन्य ग्रधिकारी

3. ग्रन्य ग्रधिकारी.

ख---विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा कुलपति की छोड़कर अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

- 4. ग्रधिकारियों के पदों के लिए ग्रहेताएं.
- ग्रधिकारियों, ग्रध्यापकों तथा सेवा कार्मिकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां.
- 6. चयन समितियों की प्रक्रिया.
- 7. नियुक्ति की प्रक्रिया.
 - ग कुलपति की जपलब्धियां, सेवा के निबंधन तथा शर्ते ग्रौर शक्तियां तथा कर्तेव्य.
- कुलपति की उपलब्धियां तथा सेना के ग्रन्य निबंधन ग्रौर शते.

- घ-विश्व विद्यालय के कुलाधिपति तथा कुलपति को छोड़कर अन्य अधिकारियों की उपलब्धियां, भवा के निबंधन तथा शर्ते और शक्तियां तथा कर्तव्य
- 9. अन्य अधिकारियों की सेवा की शतें आदि.
- लेखा नियंत्रक—उसकी उपलब्धियां ग्रौर शक्तियां तथा कर्तव्य.
- लेखा उप नियंत्रक—उसकी उपलब्धियां ग्रौर शिवतयां तथा कर्तेव्य.
- 12. कुल सचिव-उसकी उपलब्धियां भीर शवितयां तथा कर्तव्य
- 13. संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण-उसकी उपलब्धियां ग्रीर शक्तियां तथा कर्तव्यः
- निदशक, अनुसंधान सेवाएं—उसकी उपलब्धियां और शक्तियां तथा कर्तव्य.
- निदेशक, विस्तार से वाएं—उसकी उपलब्धियां और पानितय तथा कर्तव्य.
- निदेशक, शिक्षण—उसकी उपलब्धियां भ्रौर शक्तियां तथ कर्तव्यः
- अधीक्षक, भौतिक संयंत—उसकी उपलब्धियां भौर शिक्तय तथा कर्तव्यः
- . 18. संकायाध्यक्षों की शक्तियां तथा कर्तव्य.
 - महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष (डीन)——उसकी उपलब्धिय ग्रीर शक्तियां तथा कर्तव्य.
 - विश्वविद्यालय का पुस्तकाध्यक्ष—उसकी उपलिब्धयां श्री शक्तियां तथा कर्तव्य.

म्राध्याय तीम-विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

- 21. मंडल.
- 22. विद्या परिषद्.
- 23. संकाय.
- 24. धन्य प्राधिकरण.
- 25. प्रशासनिक परिषद्.
- 26. शिक्षा विस्तार परिषद.
- 27. ग्रनुसंघान परिषद्.
- 28. स्नातकोत्तर ग्रध्ययन परिषद्.
- 29, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की समितियां.
- 30. प्राधिकरणों के सदस्यों को देय याता भत्ता तथा दैनिक भत्ता.

म्रध्याय चार-विश्वविद्यालय के कमंचारी

क-विश्वविद्यालय के अध्यापक

- 31. विश्वविद्यालय के ग्रध्यापक.
- 32. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए अहँताएं.
- ग्रामान क्या उनकी सेना के अन्य निबंधन तथा शर्ते.

ख-विभागाध्यक्ष, अनुसंघान केन्द्र के अध्यक्ष तथा क्षेत्र विस्तार इकाई के अध्यक्ष

- 34. विभागाध्यक्ष के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य ग्रादि.
 - ग-विश्वविद्यालय के भन्य कर्मचारी तथा उनकी सवा की शर्ते श्रादि
- 35. सेवा कार्मिक.

घ--सामान्य

- 36. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का अतिरिक्त कार्ब.
- 37. प्रवकाश.
- 38. सेवानिवृत्त कर्मचारी की उपलब्धिय:

ग्रध्याय पांच--भविष्य निधि, उपदान ग्रादि

- 39. परिभाषाएं.
- 40. निधि लेखा तथा लेखा परीक्षा का प्रशासन.
- 41. (1) निधि में अभिदान;
 - (2) ग्रभिदान की दर;
 - (3) अवकाश पर गये हुये कर्मचारी का अभिदान;
 - (4) विश्वविद्यालय का ग्रंशदान.
- 42. ब्याज.
- 43. (1) निधि से प्रत्याहरंण तथा बस्लियां;
 - (2) विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रत्याहरण की कर्ते;
 - (3) प्रत्याहृत रक्मों की अदायगी;

- (4) अग्रिम का आंशिक अंतिम प्रत्याहरण में संपरिवर्तन
- 44. अभिदांता के लेखे में जमा राशि का भुगतान.
- 45. नामनिर्देशन.
- 46. अभिदाता द्वारा निष्पादित किया जाने वाला करार.
- 47. निधि के व्यय.
- 48. समिति की शक्तियां.
- 49. भविष्य निधि सभी दायित्वों से मुक्त होगी.
- 50. उपदान.

ग्रध्याय छः -- शैक्षिक कार्यक्रम प्रवेश, सम्पादन

क-- भ्रध्यापन का संगठन

- 51. शैक्षिक कार्यंक्रम-परिभाषाएं..
- 52. विश्वविद्यालय कलेण्डर, शैक्षिक वर्ष, सेमिस्टर, वार्षिक कैंडलांग.

ख--छात्रों का प्रवेश, सम्पादन

- 53. विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों को अहंताएं.
- 54. पूर्वपती अध्ययनों तथा अनुभवों के लिए श्रेय (केडिट), प्रवेश, उच्च प्रास्थिति.
- 55. छात्रों के सम्पादन का नृल्यांकन.
- 56. छात्रों की परिवीक्षा, बर्खास्त्रशी.
- छात के पाठ्यव्रयंतर क्रियाकलाप, विण्वविद्यालयीन क्रिया-कलाप, रोजगार.

ग-- छात्वृत्ति तथा ऋष निधियां, छात्र फीस

- 58. विश्वविद्यालय छात्रवृत्तिया तथा छात्र ऋण निश्चियां अ।दि.
- 59. छात्र फीस, रजिस्ट्रीकरण, पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला तथा ग्रन्य.

भ्रध्याय सात—विश्वविद्यालय की उपाधि, पत्नोदाधि तथा भ्रवाडं

- 60. स्नातक उपाधि, प्रकार तथा भ्रपेक्षाएं.
- 61. उच्च उपाधियां, प्रकार तथा अपेक्षाएं.
- 62. मानंद उपाधियां.
- 63. पत्नोपाधि (डिप्लोमा) . मेडल तथा प्रमाण पत्न.
- 64. उपाधियों, पत्नोपाधियों श्रादि का वापस लिया जाचा.

प्रध्याय ब्राठ—विश्वविद्यालय से संबंधित संगम (एसोसिएशन)

65. भूतपूर्व छात्र संगम.

ग्रध्याय नौ—कर्म चारियों की ग्रावास व्यवस्था, छालावास तथा ग्रन्य वास व्यवस्थाएं

66. कर्मचारियों की ग्रानास व्यवस्था तथा ग्रन्य वास व्यवस्थाएं.

- 67. छात्रों के ग्रावास गृह, केफेटेरिया तथा छात्रों के लिए ग्रन्य वास व्यवस्थाएं
- 68. छात्रों के लिये विश्वविद्यालय छात्रावास.

परिनियम

श्रध्याय एक-सामान्य

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर परिनियम, 1987 है.
 - (2) ये 10-9-87 से प्रभावी होंगे.
- 2. परिभाषाएं.—इन परिनियमों में जब तक संदर्भ द्वारा जन्यथा अपेक्षित न हों,—
 - (क) "अधिनियम" से अभिन्नेत हैं इंदिरा गांघी कृषि विश्व-विद्यालय अधिनियम, 1987(क. 20, 1987)
 - (ख) "धारा" से अभिन्नेत है आंधानयम का धारा;
 - (ग) उन शब्दों श्रौर श्रभिव्यक्तियों का, जिनका इन परि-नियमों में प्रयोग किया गया है, किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है श्रौर श्रधिनियम में परिभाषित किया गया है, वही श्रथ होगा जो कि उनके लिये श्रधिनियम में दिया गया है.

ग्रध्याय दो--विश्वविद्यालय के प्रधिकारी

क---अन्य अधिकारी

- 3. ग्रन्य ग्रिधकारी:—धारा 11 के खण्ड (1) से लेकर (6) में उल्लिखित ग्रिधकारियों के ग्रुतिरिक्त विश्वदिद्यालय के निम्नलिखित ग्रिधकारी होंगे:—
 - (1) भौतिक संयंत्र (फिजिकल प्लान्ट) ग्रधीक्षक,
- (2) विश्वविद्यालय का पुस्तकाध्यक्ष.

.ख—विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ग्रौर कुलपति से भिन्न ग्रन्य ग्रधिकारियों की नियुक्तियां

4. अधिकारियों के पदों के लिये अर्हतायें.—कुलाधिपित और कुलपित से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदों पर अभ्यार्थियों की अपेक्षित अर्हताएं, यथास्थिति, मण्डल या समुचित नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा (क) कुलसचिव, लेखा नियंत्रक, भौतिक संयंत्र के अधीलक तथा छाल कल्याण के संकायाध्यक्ष (डीच) के मामले में प्रशासिनक परिषद् की ग्रीर (ख) शेष अधिकारियों के मामले में विद्या परिषद् की सिफारिशों को ध्यान में रखकर नियत की जायगी. विहित अर्हताओं को जिचत रूप से विज्ञापित किया जायेगा और चयन समिति इस प्रकार विहित अर्हताओं का सम्यक् ध्यान रखते हुए ऐसे पद के लिये अभ्याययों का चयन करेगी.

कुलार्ग करेग

1

5. अधिकारियों, अध्यापकों तथा सेवा कार्मियों की नियुक्ति के लिये चयन सिमितियाँ. - किसी पद के रिक्त होने के पूर्वानुमान में कुलाधिपित तथा कुलपित के पदों से भिन्न अन्य पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये सिफारिश करते हुए कुलपित एक चयन सिमिति गठित करेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

पद नाम

(1)

(क) अनुसंधान सेवाओं का निदेशक, निदेशक विस्तार सेवाएं, निदेशक शिक्षण

सह निदेशक अनुसंधान

महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष

भौतिक संयंत्र का अधीक्षक लेखानियंत्रक कुलसचिव पुस्तकाध्यक्ष

- (ख) प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक एवं अनुसंधान तथा विस्तार के समतुल्य पद
- (ग) सहायक पुस्तकाध्यक्ष, महाविद्यालय का पुस्तकाध्यक्ष, तकनीकी सहायक (पुस्तकालय) कृषि सहायक, फार्म अधीक्षक, डेरी प्रबन्धक, फोरमैन, महिला विस्तार अध्यापक, विस्तार सहायक तथा तत्समय अध्यापनेत्तर तकनीकी एवं क्षेत्र कर्मचारियों के पद

चयन समिति का गठन

(2)

- राज्य शासन के कृषि विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य.
- (2) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशेष सदस्य, जो भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.
- (3) शैक्षिक/प्रशासनिक परिषद के एक सदस्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.
- (4-5) विश्वविद्यालय से बाहर के दो विशेषज्ञ सदस्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएगें, या
- (6) संकाय या संकायाध्यक्ष (डीन) या निदेशक जो पद के स्वरूप की दृष्टिगत रखते हुए कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.
- (7) कुलपित या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अध्यक्ष.
- (8) कुलसचिव, सचिव होगा.
- अध्यक्ष पद के स्वरूप के अनुसार कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.
- (2) कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट संकायाध्यक्ष/निदेशक/ पुस्तकाध्यक्ष.

(1)

(2)

- (3) संबंधित विभागाध्यक्ष.
- (4-5) विश्वविद्यालय के बाहर के दो विशेषज्ञ सदस्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे.
- (घ) उप-कुलसचिव, उप-लेखानियंत्रक, सहायक लेखानियंत्रक, सहायक कुलसचिव, कार्यपालन इंजीनियर, लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी सहायक इंजीनियर, किनष्ट इंजीनियर, चिकित्सा अधिकारी तथा ऐसे ही अन्य तकनीकी पद, संकायाध्यक्षों के संकायों के तकनीकी अधिकारी अनुभाग अधिकारी तथा समतुल्य अन्य पद, जो उपर न आये हो.
- (1) कुलपति (या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति)-अध्यक्ष
- (2) कुलसचिव
- (3) लेखानियंत्रक
- (4-5) भरे जाने वाले पद की प्रकृति के अनुसार कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य
- (6) कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो.
- (ड.) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में लिपिकीय पद (अनुभाग अधिकारियों के पदों को छोड़कर)
- कुलसचिव (या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति)-अध्यक्ष.
- (2) कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सहायक कुलसचिव.
- (3) लेखानियंत्रक द्वारा उसके कार्यालय से नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी.
- (4-5) कुलपति द्वारा किसी भी संकाय/संचालनालय विभाग से नामनिर्दिष्ट दो अधिव

टिप्पणी :- यह सिमति सेवा में प्रवेश के समय पदों पर नियुक्ति और उच्चतर पदों पर पदोन्नति से संबंधित कार्य करेगी।

- (च) महाविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों आदि जैसी संस्थाओं में निम्न श्रेणी लिपिक,डी.के.दो, प्रयोग शाला सहायक, जैसी सेवाओं में प्रवेश के समय लिपिकीय/तकनीकी पद.
- (1) महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष/संस्था का भारसाधक अधिकारी-अध्यक्ष
- (2-3) जिस संस्था/विभाग में पद भरा जाना है उसके दो वरिष्ठ सदस्य, जो संबंधित संकायाध्यक्ष/निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे.
- (4) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट महाविद्यालय का अध्यापक या समतुल्य अधिकारी.
- (छ) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी पद (अलिपिकीय)
- (1) कुलसचिव (या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अध्यक्ष.
- (2) लेखानियंत्रक द्वारा उसके कार्यालय से नामनिर्दिषक्ट एक अधिकारी.
- (3-4) कुलपति द्वारा किसी भी संकाय/संचालनालय/विभाग से नामनिर्दिष्ट दो अधिर

टिप्पणी :- यह समिति केवल सेवा में प्रवेश के समय पदों पर नियुक्ति और उच्चतर पदों पर पदोन्नति से संबंधित कार्य भी करेगी।

- (ज) लिपिकीय कर्मचारियों के मामले में विभागीय पदोन्नित समिति (विश्वविद्यालय में सहायक के पद तक के सभी लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए).
- (1) कुलसचिव अध्यक्ष
- (2) लेखानियंत्रक सदस्य
- (3-4) दो अधिकारी, जो कुलपित द्वारा विश्वविद्यालय के भीतर से नामनिर्दिष्ट कि जायेगे.
- (5) विश्वविद्यालय से असंबद्ध एक अधिकारी, जो कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट वि जाएगा.
- (टिप्पणी :- लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान के समतुल्य वेतनमान वाले तकनीकी पदों पर पदोन्नति के मामले में पदोन्नति समिति का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधि होगा).
- टिप्पणी :- परिनियम क्रमांक 5 के खण्ड (क) से (ज) तक के अधीन प्रत्येक चयन समिति के लिये सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या धन (+) एक से गण् होगी.

उल्लेखित सभी चयन समितियों/पदोन्नित समितियों में मनोनीत िकये जाने वाले सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा व सदस्यों का प्रतिनिधित्व रहे तद्नुसार कुलपित/कुलसचिव/लेखानियंत्रक द्वारा सदस्यों का नामंकन िकया जावेगा। यदि फिर भी उक्त वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो है, तो कुलपित उक्त वर्गों के प्रतिनिधित्व हेतु समितियों में अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करेंगे। प्रत्येक चयन/पदोन्नित समिति के लिये कुल सदस्यों की संख्या की उ संख्या धन (+) एक से गणपूर्ति होगी।

अन्परियति में भी विचार कर सकेगी. किन्छ , कि म विदेश कि छाराह कि प्राक्ताक्षाम की कि ,प्र किमेप्रया कि किन्निय हैं है किन्निन है हीरि हिन्नी किया उप हेतू चयत के मामले में चयत समिति, मण्डल द्वारा समय-समय जिए आसंतित किये जायों . प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक के पदों क राक्राक्षाप्त ।राइ तीमीप नम्म क्ष्रकाष्ट्र पृग पृक्री तत्री सिम्प ।राइ जीमलक् ाम्न प्रम प्रमी क्षत्रीतमधी जानम मृड ।जाइ हीमीम क्रमेंबपू चयत समिति इरारा शिथिलीकरण की सभावनाथी के भीतर हो: प्रमिष्यों के नामों की भी सिफारिश करेगी, जिनको अहतीए मर प्राप्त के नाथ काम के जिये बुताये जाने के जिप जन कियि विचारार्थ विहित अहरायों की पूर्त करते हो। योगम्मी को जाएगी, जो कि कुलपति हारा नियुक्त की जाएगी. यह सीमीत क्षित्र में प्राप्त होमीए क्षेप्रमध्येष कि निष्ठिम छाए में राप्त है। (च) विश्वापन के जिरिए सिधि भरते के मामले में.—विश्वापन

. निरुक क्रिनारम ाँड गार कि कि मिल के Inbuft मान मिनकी कि कि म कप कि मिन कद्योगर के स्मीत पृथी के हमीरी किंग्रप्र कि ही प्रमुक्त हो मी में निष्ट

मियता एवं विरुट्ठता के कम में दिए गये होंगे. मान मिम्रली गिर्फेक एर्गासमी कि क्षिप्र कर कि मिन क्रियन क्रि क्ति गुर्ला के हिंगीरी कृष्ठ्य रिष्ट गिर्रक गिर्दाश कि शीय किया कि मिन कर्मनारियों के सेवा अभिनेखों, अहुराओं तथा व्यात्रसायिक, हि मिल कि होम्नेइए क्षेम्रों के 18कि पर पिष्ट होसीए सेवा का अवधारण करेगा, जिससे ऐसी पदोन्तित की जा सके. चयन म, जिसम पदान्तित द्वारा नियुक्ति को जानी हो, उस अंगी या क मामले में विश्वविद्यालय ऐसी प्रलेक श्रेणी (ग्रेड) या सेवा के संबंध किश्वविद्याल्य के मनेवारियों में से पदोन्नित द्वारा भरती

.तिम्प्राप्त की जायगी. शिक्षीए क्षिपित मिक्रिक्स के एक्ष्मीतिया किष्मित प्राधिकारी हार हो निम्ह है के कि शार है शार है शार है (ए) व एक (छ) व व्यक्तियों की योग्यता ऋमानुसार भूची, जो परिनियम 6 (क) एक प्रकी को प्रिक्सा.—(1)—स्कीप कि क्रिक्शिनी .7

.। १५५ क्षेत्र में मक्ष्य क्षेत्र में प्रस्तुत क्षेत्र। मीएमी क्षिप्रमक्ष कप्र क्य कि फिल्मीक ग्राप्त प्रमी एत्रीतमधी क कि प्राप्ति प्राप्ति कि (क) । कि (क) अनुसार तैयार की क हुए लिखित कारणी सहित लोटा देगा. एसे मामले में कुलपि रुक राकृष्ट मिरक त्रजीमिनुष कि किरीक्सी का गर्क रुक त्रजीम मिय जिला प्राधिकारी विकारिशो को स्वीकार अनु

जानुमोदन अपेक्षित होगा. क्षित्र के पर हो काने वाले पिए पिर्म विद्यु कि हो हो है है है है । म होम : छ ामक्म रक् कियु निवा निवासित कर सक्ता. छः माह । हाम : छ म तीयजी किगाप मि किसी जिन्ही मि छोड़ में मीर्म पहितेश निधियम के विभवन्य के विभिन्न के (क) व मधनेशिए (६)

क्रिक 145 रिप्त करोब्स क्ष काष्ट्र प्राप्त नाम के विषय के विषय के विषय के विषय के

. गार्गक म्यार मि ने नामम्पर्क थार क्रिय मार्ग क्रा क्रिय मार्ग क् 8(1) (क) कुलपति राज्य शासन द्वारा समय-समय पर म

> .[गर्मह रिगक्षाीय किमिक्स क्षित्र का होर्ग हो होर्ग हो। मिक्साम के सिर्मिनिक प्रण कि कि कि के हि कि का समिति कि [रिटपणी -- निमिक्योफ्क्योफ्क्योक्ष्य के वेतम्म भिक्

निमित्र नीपाप सं क्य (४) मध प्रक्रम विपर् मधा महि कि फिरहे मिल कि मिल महिल के प्रदेश के प्रहार महिला क कि (फ) में (क) अष्ट के ट कांमक मफ्नीअप--- निग्जड़ी

.रिड ड्रेग हि जीपू कि सिगक्षिक ফাত্রিসন্ধ সম্প্রস্ম হচ কি (নতি) ক্ষাফাক্ট্র কি আফক চাভ চিচ বিছনি স্থাচিত্রশ্ব মচন্দ্র চাজিকারীয়ে ফিলী কি হম কী চাছত দিছি संघान सेवाएं, मिर्वेशक, विस्तार सेवाएं, निर्वेशक शिक्षण, संकायाध्यक्ष साथ उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा तथापि निदेशक, झनू-अविदन करने के पांत होंगे तथा अन्य अभ्यवियों के प्रावेहनों के साथ-, इंडिडर गृतहैर नड़ीबी की कि ,गिमिक संप्रक प्राध्वादान । तामग्राह । प्रकी रम राधार कातमाय विषय विषय विषय । परिमापित के सभी पर चयत द्वारा भर् जायेंगे जीकि अखिल भार--ाष्ट्र मिरिनियम ३.१ हिन् १ (स्ट्र) हो । विश्व मिरिनेयम ३.१ में विश्व । क्रिक्ट कि कि कि क विप्रकृत कि विप्रकृत । कि विष्य की घारा 11 तथा परिनियम 3 में दशीये गए विश्वविद्यालय के अप्रि-' मधारीक्ष (क्य) (क)--ामक्षीय कि फिनीमीस नघम. . .

; फिक्स नहा प्रहा तका मार्था के से में पद कि कि प्रहा है। -ब्रह्म : समय अनुसार के दिवाहित मानदण्डों के अनुसार कमथा: सह-क आधार पर तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा राज्य शासन ' तिमान सहसा में में से हो होते के विकास में मान से मान में कि किमाध्यार के फिन के कमाध्यार द्वार प्राप्त कमाध्यार का द्वार (रिह)

, मुद्रीम निर्व हैंग कि म महाख्वीब्यालय में नहीं होती चाहिए. विह मांग मक मिल मिल हिं मिल हैं। विश्व कि कि कि कि कि कि विह 0 I मक मिक मि मिक मि निपर-भिपर हिंडुनशी गार्वा जाव हो उप मिमाम के किपायता प्रदेश के वित के वित महामाय है जामाय

िक काष्या जाया बयन समिति विनिधिबत करे: ाराइ क्रिसिरिंग निर्मितिय वाय प्राप्त आकासी : नार्यासी मिन क शावेदती के साय-साय उनके भावेदतों पर विचार किया जाएगा. फिलीफक्ष. फास १४५ मिंडे हाए कि निरक नव्हास ,रिड्र तिछर गाँछिय तहीति की कि प्राचन के प्रकाविद्यालय के प्रिक्स में माहत मध्यप्रेश राज्य रोजगार कार्यालय द्वारा प्रत्यायोजित पात व्यक्तियो फ ई डिन जिलीमनीम प्रमुखात पर शिमने व विशेष मिमिल ईम । राउ समस् रूप राया ह समा हिना । स्वार्थ स्वा है। इही कप वृष्टि रुष्टि कि कि हिम । राह्य ही मिर्गिर कि मिर्गि कि कि शीवें पर हों)रिक्त पदों की कुल संख्या के दो तिहाई पद विष्वविद्यालय मम्म के डबीहीर में किस की कि रक्ड़िख किन्छ) के किमिमनी है जिली मनी है जिले मनी है। न यता निविद्य प्रथम श्रेणी, दितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के मधि-सामान्य शत) विनियम, 1969 के विनियम कमांक 4 (तीत) म, जितमें जवाहर जाल नेहरू कृषि विख्वविद्यालय सेवा (सेवा की निमाम क िरम रूप रिश् क किमी का कि रहति गाउन (मिह)

प्रक काप्रभीष प्रम तहीयूनीतीष ग्राविध कि तहीय विक्री क क्रिय के भरवार कर सक्त के किन्य के महित्र के क्रिय के राक्ष छ्योंक में डिक के किए म थिए प्ररोक्त के नग के गिर के डिक क होम्ब्रिम कि ए एलाइहोहरही की द्वि मिर्ग होहए कि फेर्री शेष नोरा विज्ञापन के जरिए सीधी भरती के लिए नियत किया जाबेगा. त्राहित के पहरे । कि एक किया नियम किया ना १ के प्रिमा है -मेक क प्रनामनी नवती कातिय ६० प्रतियत कारा निवन निया नय के क्रे परन्तु विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य अनुभाग में द्वितीय श्रेणी या

开, 开,

तथा असज्जित निवास स्थान पाने का भी हकदार होगा. जहां कुल-पति के निवास स्थान को विश्वविद्यालय द्वारा सज्जित किया जाता है. वहां वह अपने निवास स्थान के फर्नीचर के लिए शासन द्वारा समय-समय पर शासकीय फर्नीचर के भाड़े के लिए विहित दर पर भाड़ा प्रभार का भुगतान करेगा?

वह नि:शुल्क वाहन का भी हकदार होगाः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति की तारीख को शासन या विश्व-विद्यालय की सेवा में हो तो उसे उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन धन (+)20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता या 500 रुपये जो भी कम हो, दिया जा सकेगा:

परन्तु यह भौर भी कि यदि मण्डल विश्वविद्यालय के हित में ऐसा करना भावश्यक समझे तो वह कुलाधिपति की पूर्व सहमति से ऊपर विनिधिष्ट वेतन से उच्चतर वेतन नियत कर सकेगा.

(ख) कुलपित विश्वविद्यालय भविष्य निधि के लाभों का हकदार नहीं होगाः

परन्तुं बिद किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से ही विश्वविद्यालय की सेवा में हो, कुलपित के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे अपनी भविष्य निधि में अभिदान करते रहने की अनुज्ञा होगी और विश्वविद्यालय का अंगदान उतनी राशि तक सीमित होगा जितनी वह कुल-पित के रूप में उसकी नियुक्ति के पूर्व अंगदान कर रहा था.

- (2) कुलपति, मण्डल द्वारा नियत यात्रा भत्ता नियमों में विहित दरों पर यात्रा भत्ता तथा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का भी हकदार होगा.
- (3) (क) कुलपित, सिकय सेवा पर बिताई गई कालाविध के 1/11 भाग के लिये पूर्ण वेतन पर अवकाश का हकदार होगा. वह अपने कार्यकाल के दौरान जब कभी भी आवश्यक समझे ऐसा अवकाश को सकेगा और इसकी सूचना मण्डल को देगा:

परन्तु यदि उसे देय अवकाश नब्बे दिनों का हो जाता है तो वह ऐसा अवकाश अजित नहीं करेगा. कुलपित अजित अवकाश समीपत करने तथा उसका नगदीकरण कराने और विश्वविद्यालय द्वारा उसके अधिकारियों को स्वीकृत सभी अन्य अवकाश सुविधाए पाने का हकदार होगा.

- (ख) उपखण्ड (क) में उल्लिखित प्रवकाश के अतिरिक्त कुलपित बीमारी के मामले में या निजी कार्यों के कारण अपनी कालाविध के दौरान तीन माह से अनिधक कालाविध का अवैतिनिक अवकाश लेने का हकदारहोगा; परन्तु लिया गया अवैतिनिक अवकाश बाद में उस सीमा तक पूर्ण वेतन अवकाश में अन्तरित किया जा सकेगा जिस सीमा तक अवकाश जपर उपखण्ड (क) के अधीन देय हो गया है.
- (4) कुलपति की शक्तियां.—कुलपति को निस्नलिखित शक्तियां प्राप्त होगी:—
 - (क) विश्वविद्यालय के अनुमोदित बजठ के भीतर आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय मंजूर करना, परन्तु वह विभिन्न विनि-योजन इकाइयों के भीतर राशियों का पुनर्विनियोजन कर सकेगा;

- (ख) विश्वविद्यालय नियमों के उपबन्धों के श्रध्यश्रीन रहते हुए स्वयं के यात्रा भत्ता देयक तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक पर प्रतिहस्ताक्षर करना;
 - (ग) अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अनुसार अनुसूचित बैंक में विश्वविद्यालय की और से खाता खोलना और विश्वविद्यालय के किसी आहरण तथा संवितरण अधिकारी को ऐसा खाता प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत करना:
 - (घ) यात्रा भत्ता देयको पर प्रतिहस्ताक्षर करना तथा विश्व-विद्यालय प्रधिकारियों की ग्रधिकारिता से परे कर्तव्य पर होन की अनुपस्थिति मंजूर करना;
 - (ङ) शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अवकाश मंजूर करना

घ—कुलाधिपति तथा कुलपितको छोड़कर विश्वविद्यालय के ग्रधिकारियों की उपलब्धिया सेवा के निवंधन तथा शर्ते और शक्तिया तथा कर्तव्य

 अन्य अधिकारियों की सेवा की शर्ते आदि.-(1) अधिनियमों के उपबन्धों तथा इस पश्चात् बनाए गये परिनियमों के अध्ययीन रहते हुए कुलाधिपति तथा कुलपित को छोड़ा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सेवा शर्ते वहीं होगीं जो अधिकारियों के लिये विश्वविद्याल द्वारा विहित सेवा संविदा में सन्निहित हों.

(2) मंडल, यदि चयन समिति द्वारा इस प्रकार सिफारिश की गई हो तथा ऐसी सिफारिशों स्वीकृति के लिये अभिलिखित किए गए कारणों से इन परिनियमों द्वारा विहित आरम्भिक वेतन उच्चतर आरम्भिक वेतन मंजूर कर सकेगा, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को पाँच से अधिक अरि वेतन वृद्धियां नहीं दी जायेगी।

(3) खण्ड (1) में उल्लिखित सभी अधिकारी विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतन भी अधिकारी होगें और वे मण्डल द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिये इस सम्बन्ध यथा विहित अवकाश, अवकाश वेतन भत्तों तथा अन्य लाभों के हकदार होंगे: परन्तु

अभ्यार्थी की महाविद्यालयों के अधिष्ठाता तथा निर्देशकों के पद पर नियुक्ति 5 वर्षः कालावधि के लिए ही होगी एवं वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा (द्वितीय कालावधि)। पर वह तीसरी बार नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(4) विश्वविद्यालय के कुलाधिपित तथा कुलपित को छोड़कर, अधिनियम की धारा-11 अधीन उल्लिखित सभी अधिकारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय सेवा (सेवा सामान्य शर्ते) विनियम, 1969 के विनियम क्रमाँक 4 में यथा परिभाषित प्रथम श्रेणी, द्वितं श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के अध्यापनोत्तर सेवा कार्मिक उस समय तक विश्वविद्यार की सेवा में बने रहेंगे जब तक वे 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।

विश्वविद्यालय का अध्यापक चाहे वह किसी भी पद नाम से जाना जाता है, जिस नियुक्ति विश्वविद्यालय में, अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई जो ऐ नियुक्ति को लागू होते हैं, और उसके अन्तर्गत ऐसा अध्यापक भी होगा जो पदोन्नित द्वारा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया है और जो कम से कम बीस वर्ष र अध्यापक/अनुसंधान/प्रसार/विकास कार्य में लगा रहा हो, उस समय तक विश्वविद्यालय सेवा में बना रहेगा, जब तक कि वह 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता।

प्रत्येक अध्यापक उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयुप्राप्त कर ले, ऑ दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जायेगा। परन्तु कोई अध्यापक, जिसकी जन्मतिथि किसी म की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में बासठ वर्ष की आयुप्राप्त करः पर सेवा निवृत्त हो जाएगा।

यह संशोधन दिनाँक 7-8-1998 से प्रभावशील होगा।

रों में (8) ९१ । अर के राधांत्रम, मधांत्रम के (म) के महिम्मी के रिक्तिक एक कि राधांत्रकार सम्म कालीक म के के कि के इस रिक्ष के प्रमित्र के कि कि कि कि स्वार्थ के कि कि कि कि स्वार्थ के स्वर्ध के

(3) विश्वविद्यालय को देज किसी राशि के पिने लेखा निस्ति भी की या संडल द्वारा हम संबंध में बस्त्रक हम से प्राप्ति का प्राप्ति क

11. लेखा उपनिगतक—उसकी उपनिधियां और शक्तियां तथा कर्तेब्य,—(1) लेखा उपनिगतक एक पूर्णकालिक बेतन प्राप्त श्रीयकारी होगा और उसकी नियुक्ति सुसंगत परिनयमी में अन्तिबर उपनिधीं के अनुसार कुलपति द्वारा की जावनी.

11 (2) स्था उप-नियंत्रक राज्य शासन हारा समय-समः मान्य एवं अनुमीदन किये गये वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा.

12 (I) कुलसन्विव राज्य शासन द्वारा समय-समय पर मा अनुमोदन किये गये वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा.

(2) कुलसचिव के निम्नलिखित कतेब्द होंगे :--

-तीप्र क्योंक तिधम्र के 14 छाष्ट्र कि मण्तीधीम्र डुक (क) राभिड्र भिष्ठाकरिस्ट पृष्टी के निष्ठित आर्थेत नेड्ड

रियो प्रकार क्रिया में प्राप्त क्रिया में प्राप्त क्रिया क्रया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिय क्रिया क्

(चार) परन्तु यह भी कि एस पुनियोजित ब्यक्ति 60 वष की जाय से जाने विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं रचे जायेंगे.

 समय पर माय द्वारा समय-समय पर मान्य होता समय-समय पर मान्य होता.

(२) सारा 19 के प्रमास उन्हारा उन्हाय (३), (क) स्वाव कार्य (क) स्वाव कार्य के सात-क्षित्र के प्रमास के प्रमास कि कि कार्य के स्वाव के स्वाव कि कार्य के स्वाव कार्य के साव कार्य के स्वाव कार्य कार्य के स्वाव कार्य कार्य के स्वाव कार्य कार्य के स्वाव कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार

कि मधनीयोष प्रीय किरक प्राधीन निषय ब्रिस्टी को हुए (क) धारा (39) ३३ के ब्राधीन मंडलको उससे के स्ट्रा (39) के लिए भी जुला होगा.

(ख) वह साय तथा फीस प्राप्त करेगा, मुगवान के साथ तथा स्विच्चरण क रवाएगा तथा विश्वविद्यालय के दीनक वित्ताय सब्बद्दार के लिए और उसके उचित लेखांकन के लिए तथा उस के संबंधित पत्त ब्यवहार सिहत सभी अनुषांगिक विषयों के लिए उत्तरशायी होगा.

,।।। रेक मध्रमी क्षित्र मिर्गास कि मिनिक-क्षित्र उत्तर विद्या त्रीय फितीमीम छि।कड्डम, फिल्म फल्डोसम, किल्म किस किसी कि किस्त केंद्र किस किसिमीस कि विश्वितियात्र हारा समय-समय पर अन्मीदित

- , गार्रक एष्डिकेम ।क घ्रह्म क ड्रिए-राद्वारक्ष वर्ष विषय क्षेत्रका निर्मा स्था हार (छ)
- , प्राप्त किया सम्बद्ध भारत स्था। इ.स.च्या सम्बद्धाः ार्म हाल प्राप्टिंग ,र्गणकापकी प्राथा करोशिष हुछ (म) क्ष्मा सम्बद्ध भ्रम्भ क्षित्रकाणका क्ष्मा प्राप्टि
- निर्मा; कि किछ । एक तीप्रजीपन्स क्योफ्ष , 15निहुं डिगर्हण में छों के कियान माहि बनावे रखने की दृष्टि से छात सन्भासन-नभाष्ट्राय में विमारम के सम्बोधाव में होये हैं है।
- (निक्त्या मुनियास्रो का पर्वेदेशण करेगा; विन किस्पेर कार्या के लिये सिभी में रिप्र कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य है
- किये आवश्यक अतीत हो, ध्यवस्था णाभनक के किछ कि कि कामड़िस सिर्ग मन्द्र 195 (न) वह छातवृत्तियों, शिष्यवृतियों, अशकातिक रोजगार
- ; गार्फ कम्पप्त ह किष्ठप्रेष्ठ के किछि में धिक्षेप्त के णाप्रज्य के किछि ड्रह (छ)
- फाइरुक्ट निय के नीयल्कु में म्ड्रेक्नी के फिर्केक (ज) बह इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग तथ
- नमें सहयोग तथा सहायता हेगा. ठालों के रोजगार के मामलों में रोजगार ब्यर् (स) वह विश्वविद्यालय में अपना पाठ्यक्रम पुरा कर चुन
- गए म्हे में मामम्हे था किनी म्हाममूख हुए प्राप्त १० एममू 14(1) निदेशक अनुसंधान सेवाएं राज्य शासन हार
- पर की जायेगी जैसे मंडल हारा अनुमीदत किए जाये. नविष्य अनुसंधान सेवाएं, की नियुनित ऐसे निवास
- (3) निदेशक अनुसंधान सेवाएं, के निम्नलिखित करिक
- , राग्रेक गिष्ट । क एक्ष्मी किमेर रूप अनुसंधान कार्य क लिये और उसके संचाल लीमिं । प्राह्म मिथ्निविद्यालय हारा संचालि में सुधार के लिये किये जाने वाले अनुसंधा विद्यालयीन अध्यापको द्वारा अध्यापने योग्यर क्रमी 1थत क्रिंसी के निाम सीएए गगड़ क्रिंख ड्रम (क)

- , मिलि कि इस्से में शास्य केस्ट (छ) वह विश्वविद्यालय के अभिनेखों, सामान्य मुद्रा तथा एसे अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा जो कि मंडल हाए
- तिक तिक प्राप्त सबनाएं जारी करना;
- नत्त रखेगा. . - मिल कि किठक , गिर्फ मिल में एक के निमी उन मिली , कि मिक्सी ाप फिहोमीछ कि डिक्ती त्रवृत्त प्राधिष क मफ्रिंगिष कि तिर्वे कि इष्णी पांची और लिंग हो . (घ)
- , ११६७ वर्ष व्यवहार संचालित कर्मा; तिष्टुन लाह मिस में सीत्रीए कि फड़ेक के कहांग्डी बिर्छ किष्यीय कि इष्ट्रीए हिंही एक किस रेक इंछि कि फि्ष्टिडी (छ) बह विश्वविद्यालय के वितत्त से संबंधित विषयों तथा
- में संबंधित विश्वविद्यालय के परिनियमों का प्रशासन म्डेर क्रिक केमर में मन के किल गण वादा के किल के किल (F)
- त्राम्बर बिलमीस क किछ निम र्ने इछि देखि गर्म गर्म गर्मिस क एत्रीतमधी देग कि छात्र कितिक एक एक एक नाइ इति ाष्ट्र कार्याय कार्य के प्रवेश का अधिक में मिल प्रवाम नमिनि रहित । एड्स राम्हे निमुम्स यमस्या है। एड्स समस्या क्छीह उसमूह क हिरीतिकी हैंग कि 1912 कि समूर हैं (छ)
- तथा उसके माचरण से संबंध हो; क्षेत्रमी अन्य विषय होंगे, जिनका छात्र की उनल ब्रियो जिसमें उसकी शिक्षक उपलिख्यां, छात के हम में अचिरण (IP) वह नियमित के प्राय क प्रायम काल का इह (P)
- न मिलेख रखेगा; किछ। जो कार्य के अवस्थित होने वाले गेर छातो (ह) वह निम्जीकामिया प्रथा प्राप्त विषय होता है ।
- (ञ) वह विश्वविद्यालय के स्नातकों के अभिलेख रखेगा;
- समय पर समनुद्धित किये जाएं. हारा, जिसक प्रति वह उनके लिय केलरदायी हो, समय-हीएलक फिट की फिल एर्क मड़कानी क फिर्न कार मिंग्रेड़ (3)
- .गार्फ रगार एवं अनुमीदन किये गये वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा. 13 (1) सिमार स्थार किल्याण राज्य शासन द्वारा समय-
- --: गिंडु फर्कत कामिनिन्मी के णियन काय, स्थाया काम 🔻 (2)
- -धीए ाथत फिंगीकधीस मिशक्षिक्य के एस इंघ (क) क्लिक पाप्रजन्न के किछ स प्रान्ति के फिरीक

- (ख) वह विश्वविद्यालय द्वारा यथा अपेक्षित अनुसंघान सेवा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजट अनुमान तैयार करेगा.
- (ग) वह अनुसंधान सेवा के सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुमोदित अनुसंधान कार्यक्रमों में लगे हुए महा विद्यालयीन
 कर्मचारियों के सदस्यों का पर्यवेक्षण करने में संबंधित
 संकायाध्यक्ष की संहायता करेगा.
- (घ) वह अनुसंघान परिणाम का संकलन करवाएगा तथा मकलन का पर्यवेक्षण करेगा तथा अनुसंघान निष्कर्षी के समुचित प्रकाशन का पर्यवेक्षण करेगा.
- (ङ) वह संबंधित संकायाध्यक्षों के परामर्श से ऐसे सामान्य प्ररूप में तथा ऐसी संख्या में, जैसी अवधारित को जाये, अनुसंधान पाण्डुलिपियों को प्रकाशन के लिये अनुमोदित करेगा.
- (च) वह संभी प्रकाशनों की अंक संख्या समनुदेशित करेगा तया सभी प्रकाशनों का अधिकृत अभिनेख रखेगा.
- (छ) वह अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करने तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा.
- (ज) वह अध्यापन कार्यं करेगा.
- (झ) वह ऐसे अन्य कर्तब्यों का पालन करेगा, जो परि-नियमों, विनियमों या मंडल के पूर्व अनुमोदन से कुलपित द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जाएं.

Cin Dani - - Air

15 (1) निदेशक विस्तार सेवाएं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर मान्य एवं अनुमोदन िकये गये वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा.

T THE PLAN COM

- (2) निदेशक विस्तार सेवाएं की नियुक्ति ऐसे निबंधनों पर की जायेगी, जैसे मंडल द्वारा अनुमोदित किये जायें.
 - (3) निदेशक, विस्तार सेवाएं के निम्तलिखित कर्तव्य होंगे:--
 - (क) वह ऐसे अहाते के भीतर तथा अहाते के बाहर होने वाले शैक्षणिक कार्य पर संपूर्ण नियंत्रण करेगा; जिसमें ऋषक तथा ग्रामीन परिवार अंतर्वेलित हों.
 - (ख) वह विस्तार योजना के संबंध में कृषकों तथा अन्य गैर-छात्रों की शिक्षा के लिए वार्षिक कार्यक्रम तथा बजट आवश्यकताएं तैयार करेगा.
 - (ग) वह विस्तार शिक्षा के विभिन्न रूपों में पाठ्यक्रमों का विकास करने में तथा छातों को पढ़ाने में संकायाध्यक्षों की सहायता करेगा.

- (घ) वह ऋषि सहकारी संस्थाओं के साथ श्रहाते से बाह्य कार्यक्रमों तथा ग्रामीण युवा कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करेगा.
- (ङ) वह महाविद्यालय को समनुदेशित या महाविद्यालयों से संबद्ध विस्तार विशेषज्ञों और कर्मेचारीवृत्द के ऐसे अन्य सदस्यों का, जो विस्तार कार्यों में लगे हों, पर्यवेक्षण करेगा तथा विस्तार कार्य का मार्ग-दर्शन करेगा
- (च) वह विस्तार कार्यक्रम के बेहतर विकास के लिए प्रकाशन, फिल्म आदि जैसी सामग्रियों को तैयार करने के कार्य का निर्देशन करेगा,
- (छ) वह विक्ष्वविद्यालय विस्तार सेवाओं के भाग के रूप में किसी भी सामग्री का वितरण करेगा.
- (ज) वह अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग तथा कर्त्तं व्यों के निर्वहन में कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा.
- (झ) वह अध्यापन कार्स करेगा.
- (ञा) वह ऐसे अन्य कर्त्तव्य करोगा, जो परिनियमों तथा विनियमों द्वारा तथा मंडल के पूर्व अनुमोदन से कुलपित द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधि-रोपित किये जायें.
 - 16 (1) निदेशक शिक्षण राज्य शासन द्वारा समय-समय प एवं अनुमोदन किये गये वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा.
- (2) निदेशक शिक्षण की नियुक्ति ऐसे निबंधनों पर की जाएगी जैसे मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाएं.
 - (3) निदेशक शिक्षण के निम्नलिखित कर्ते व्य होंगे :---
 - (क) वह विश्वविद्यालयों के सभी संकायों और सम्बद्ध विष्यों में शिक्षा का संपूर्ण प्रभारी होगा.
 - (ख) वह संबंधित संकायाध्यक्षों के परामर्श से पाठ्यकर्मों तथा पाठ्य वर्याग्रों की रचना, विकास, मूल्यांकन तथा सुधार करेगा तथा छात्रों के व्यावसायिक सक्षमता, चरित्र तथा नेतृत्व के गुण को विकसित करने के लिए अभिकल्पित अध्यापन प्रक्रिया का विकास करेगा.
 - (ग) वह विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों में प्रध्यापन तथा परीक्षा का एक समान मानक सुनिश्चित करेगा.
 - (घ) वह घष्ट्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा की एक एकीकृत पद्धति का विकास करेगा तथा विभिन्न संकायों के ग्रष्ट्यापन कार्यों का समन्वयं करेगा.
 - (ङ) वह संघटक महाविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों, फार्मी के शक्षिक कर्मचारियों को सेवान्तर्यंत तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने का प्रबंध करगा.

r West of I. .

- (न) वह स्नातकोत्तर उपाधियों की अपेक्षाओं की तैयारी में विश्वविद्यालय के छात्रों के कार्य की योजना तथा समन्वय पर सम्पूर्ण नियंत्रण करेगा.
- (छ) वह सुसंगत महाविद्यालयीन संकाय के हाथ, जिसमें स्नातकोत्तर छाद्र प्रध्ययन कर रहे हों, तमन्वय करेगा जिल्लों ऐसी उपाधियों संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति उपित रीति से हो.
- (ज) वह अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रयोग तथा निवहन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा.
- (झ) वह अध्यापन कार्यं करेगा.
- 17 (1) अधीक्षक भौतिक संयंत्र राज्य शासन द्वारा समय-समय पर मान्य एवं अनुमोदन किये गये वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा.

परन्तु जब किसी व्यक्ति का वेतन राज्य शासन या किसी भी ग्रन्य ग्रिमिकरण से प्रतिनियुक्ति पर ग्रःहरित किया जाये तो उसका वेतन संबंधित विनियम के अनुसार नियत किया जायेगा.

- (2) प्रधीक्षक, भौतिक संयंत्र के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे :--
 - (क) वह विश्वविद्यालय के रख-रखाव पर तथा विश्वविद्यालय के भवनों, उद्यानों, मैं दानों तथा फार्मों की सुरक्षा पर सम्पूर्ण नियंत्रण करेगा.
 - (ख) वह विद्युत् तथा जल की पूर्ति टेलीफोन सेवा के तथा ऐसी ही अन्य सेवाओं का तथा विश्वविद्यालय के बाहनों के प्रचालन तथा रख-रखाव का पर्यवेक्षण करेगा.
 - (ग) वह विश्वविद्यालयों की स्वच्छता तथा आरोग्यकारी स्थितियों की व्यवस्था करने वाले संकायों का निदेशन करेगा.
 - (घ) वह अन्य अधिकारियों के सहयोग से विश्वविद्यालय के उपकरणों के प्रतिष्ठापन, उपयोग तथा रख-रखाव की व्यवस्था करेगा.
- (क्र) वह कमरों, घरों, भवनों तथा मैदानों के आवटन तथा उपयोग का समुचित प्राधिकारियों तथा अधिकारियों के निदेशों के अनुसार पर्यवेक्षण करेगा
- (च) वह मंडल द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार विश्व-विद्यालय भवनों के मैदानों के निर्माण और/या परिवर्तनों की योजनाओं का निर्देशन करेगा.
- (छ) वह ऐसे अन्य कर्त्तं व्यों का पालन करेगा जैसे उसे विश्व-विद्यालय की भौतिक सुविधाओं के उचित कृत्यों के लिए कुलपति या मंडल द्वारा समन्देशित किये जाएं.

- 18. संकायाध्यक्षों की शक्तियां तथा कर्त्तव्य.—(1) संबंधित संकायध्यक्ष तीन वर्षों की कालावधि के लिये संकाय के महाविद्यालयीन संकायध्यक्षों में से ऐसे निबंधनों पर नियुक्त किया जायेगा, जैसे कुलपित की सिफारिशों पर कुलाधिपित द्वारा अनुमोदित किए जायें. सेवा की आवश्यकता तथा प्रशासन की सुविधा पर निर्भर रहते हुए कुलपित की इस कालावधि को घटाने/कम करने की शक्ति होगी.
 - 18 (2) संकायाध्यक्षों को राज्य शासन द्वारा समय-समय मान्य एवं अनुमोदन किये गये वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा.
- (3) संनायाध्यक्ष (डीन आँफ फैक्टी) (क) संनाय का अध्यक्ष होगा तथा संनाय की नीतियों के प्रशासन तथा निष्पादन के लिये कुलपित के प्रति उत्तरदायी होगा.
- (ख) परिनियम तथा संकाय से संबंधित श्रन्य विनियमों के सम्यक पालन के लिये उत्तरदायी होगा.
- (ग) किसी भी उदस्य के संकाय के समक्ष कोई भी विषय प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाल डाले बिना नीतियों की रचना करेगा तथा उन्हें संकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा.
- (घ) संकाय में ग्रध्यापन/ग्रनुसंघान/पाट्यचर्याग्रों/विस्तार/ पाठ्यक्रम/रूपरेखाग्नों/परीक्षाग्रों/पंजीयन तथा प्रवेश ग्रादि संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों से संबंद विषयों का संगठन करने, सलाह देने, मार्गदर्शन करने तथा संचालन करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा इस संबंध में कुलपति तथा ग्रन्य संबंधित ग्रधिकारियों के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा.
- (ङ) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों, महाविद्यालयों, छात्रों तथा जनता के साथ संकाय के सभी शासकीय कार्य के लियें सम्पर्क के माध्यम के रूप में सेवा करेगा.
- (च) ऐसे ग्रन्थ कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जैसे उसे कुलपित द्वारा समनुदेशित किये जाएं.
 - 19 (1) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष (डीन) को राज्य १ द्वारा समय-समय पर मान्य एवं अनुमोदन किये गये वेतनमान में प्राप्त करेगा.
- (2) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष (डीन) की नियुक्ति परिनियम 6(क) (एक) के अनुसार की जाएगी
- (3) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष (डीन) के निम्नलिखित कर्त्तंब्य होंगे:—
 - (क) वह एक महाविद्यालय पर, जिसका कि वह प्रशासिक तथा शैक्षिक प्रमुख है, उसके सभी कर्मचारियों, छात्रों, कियाकलापों, सुविधाओं तथा उसमें उपगत के व्यय के संबंध में सम्पूर्ण नियंत्रण करेता.

- तथा स्वावचाद्रम् (ण) स्वावचाद्रम् इट (ण) विस्ताद सावीत समित प्राप्ति स्वावच्या स्वावचच्या स्वावच्या स्वाव
- ाथत बास्त्रए फिली के पिणलक्षेत्रक स्पिष्टाक्रिया क्रिक्ट हाममूख उच्च क्षिड्डेस प्रिंग्टक्येश्वाक क्षिस्ट एक्ष्टिस प्रभाग के तीपलक्ष्ट ग्रीहर गार्ग्टक गार्ग्टि एगड़्यान्तर किली के ताब सुद्र तीप के क्ष्ट्रेश्वा तिम्प्टिस प्राप्तिक्ष्य कि प्रिंग्टिस की गार्ग्ड है गाममूख के ग्रिष्ट्रम के किशीक्ष्यीग्रह
- क् रिष्ट्रमी तहबीती. कि घेष्ट्रेस नायस्तुष्ट कार्ष्ट्रेसी ड्रेट् (ष्ट)

 क् रिप्ट तप्त तसीकड़ी कि सिरोज्य सिर्फार कि निर्मात कार्यस्तुष्ट

 क् रिप्ट प्राप्त कार्य कार कार्य का
- क्षित्र क्षित्र मित्र मित्र मित्र क्षित्र क्षित्र मित्र मित
- राह्मको के साक्की को प्रधामान समामको के विकास निवास को सहायका कि कि सिन्ह
- तितेत) वह महाविद्यालयीन कम नारी बृद्द हारा' निष् जाने वाने विस्तार शिक्षा कार्य का निर्देशन करेगा,
- निष्य । एठ । एउन । छात्र हा कि एक हो, कि एक हो हो हो (छ) । के फेर के छिल र प्रतिकान में स्वावस्थान के हो हो । । एर के प्रक्रित के हो हो हो ।
- (न) विषय के प्रमाय के समय के मेरिक मेरिक के माध्यम से महाविद्या कि के प्रमाय के जिले तथा महाविद्यालय के नियम अपने के जिले के लिए केलपिक प्रमाय के प्रमाय के
- की गुर्में , फर्क नना पक्ष किंग्रें का क्ष्में कुंठ (प) राड तीपलकु 1ए ।राड मिथनीडी 1ए मिथनीरीप फिपीरिश्रोक रुए छन्। ए एंग्रें क्ष्में तहा प्रकार किंट प्रिविध्योक प्रमुख्य ।

- मध्याम के क्वाना संकालाध्यक्ष का संचालक के संबंधित स्था स्था मिस्स के सिर्मिय के स्थान के सिर्मिय के प्राप्त के मिस्स के सिर्मिय कर्मक्यों के निवेदन के लिय कुलपित के प्रियम्बर्मिया
- .गार्फ्स भाक जात्रको विषय विषय हेस (इ)
- (च) वह परिनियमो तथा विनियमो के सम्यक् अनुपालन के लिये जनरदायी होगा.
- (छ) बह घरन महाविद्यालय में विद्याधियों के रिजस्ट्रीकरण तथा उनकी प्रगति का पर्वेदेशण करेगा.
- क्षित्र क्षित क्षत्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र
- (ह्र) वह महाविद्यालय में संलंग अनुसंधान के वित्र उत्तर-निर्म सिस्थाओं के उचित प्रशासन के लिये उत्तर-रागी होगा
- ान्ह महाविद्यालय से सवंद अनुसंयान केन्द्र/शिश्रम रिक्तम कामे की भूमियों, भवनेते, प्रयोगशालाओं, पुरतकालयों तथा ऐसी हो इस्स संपत्ति का तथा रेखरखान के लिंग चेन्द्रांचित प्राधिकारियों के भूष
- (उ) वह महानिचालयों के छात्रावाओं के रखरबाव, तथा पर्यवेशण तथा कार्यकरण के लिये उत्तरदायी होगा
- (ठ) वह भंडार सामिययो, उपकरणो तथा ऐसी अन्य वस्तुखो को उपाय्त करने के लिये उरदायो होगा, जो कि महाविद्यालय तथा उससे सलग्न इकाइयों के लिये आव्ययक हो.
- (ड) बहु जसके बाधीन थाने वाली 'संस्थायों में उच्च स्तरोय अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायों होगा.

- 20 (1) विश्वविद्यालय का पुस्तकाध्यक्ष को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर मान्य एवं अनुमोदन किये गये वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा.
 - (12) विश्वविद्यालय के पुस्तकाष्ट्रपञ्च के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:--
 - (क) वह विश्वविद्यालय के सभी पुस्तकालयों का रख-रखान, नियंतण तथा प्यंवेक्षण करेगा और उनकी सेवाप्रों का संगठन ऐसी रीति से करेगा कि वे अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार की आव-श्यकताओं के लिए अत्यन्त लाभप्रद हों;
 - (ख) वह विश्वविद्यालय के अधीन आनेवाली सभी पुस्त-कात्रपों के निकास तथा प्रचालन के लिए वाधिक बजट तैयार करेगा;
 - (ग) पुस्त के खरीदने तथा छात्रों और कर्म चारीवृन्द के सहस्यों के बीच उनका वितरण करने के लिए संकायाध्यक्षों तथा निर्देशकों से सिफारिशें प्राप्त करेगा तथा उनका समन्वय करेगा.
 - (घ) वह अधीक्षक, भौतिक संयंत्र के माध्यम से विश्व-जिञ्जालय के पुस्तकालयों के स्थान में सुघार की राज्यस्यकता पर लेखा नियंत्रक की सिकारिंग करेगा.
 - (ङ) वह पुस्तकालय तथा उसमें सुधार से संबंधित ऐसे समी काय करेगा, जिनकी अपेक्षा कुलपति द्वारा उससे की जाये.
 - स्पष्टीकरण --इस परिनियम के प्रयोजन हेतु "विश्व-विद्यालय के पुस्तकालयों" में विश्वविद्यालय श्रहाते में पुस्तकालय तथा विश्वविद्यालय के श्रंतर्गत श्राने वाले सभी महाविद्यालयों तथा संस्थाओं से संलग्न सभी पुस्तकालय सम्मिलित हैं.

टिप्पणी .— जुलपति, पूर्वगामी पिरिनियमों या इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित किसी भी अन्य परिनियम में उल्लिखित किसी भी अधिकारी से यह अधिका कर सकेगा कि वह अपने स्वयं के कर्तां क्यों के अतिरिक्त अन्य कृत्यों का निर्वहन करें.

मध्याय तीन---विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

- 21. मंडल.—(1) कुलपति, अधिनियम की धारा 26 के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना द्वारा मंडल का गठन करेगा.
- (2) अधिनियम की घारा 26 की उपघारा (4) में यंशा अधिकथित मंडल के यंथास्थित, नामनिद्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) अधिनियम की घारा 55 के उपबंधों के अध्यधीन रहत हुए 3 वर्ष की अवधि तक पदधारण करेंग. यह अवधि उस तारीख को आरंभ होगी जिस तारीख को उनका नाम निदेशन या निर्वाचन "मध्यप्रदेश राजपत" में प्रकाशित हो.

- 22. विद्या परिषद् (1) घारा 29 की उपधारा (एक) की मद (पांच) के ब्रधीन निर्वाचित किये जाने वाले तीन ब्राह्मा-पक मतप्रव द्वारा निम्नानुसार निर्वाचित किए जाएंगे:—
 - (क) एक सदस्य कृषि संकाय द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा;
 - (ख) एक सूदस्य पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन संकाय द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा
 - (ग) एक सदस्य अन्य संकायों, यदि कोई हों, द्वारा अपने सदस्यों में से जैसा कि कुलपित द्वारा अवधारित किया जाये, चकानुकम से निर्वाचित किया जायेगा.
- (2) विद्या परिषद् विनियमों द्वारा संकाय के उद्देश्यों के अनु-सार विभिन्न संकायों द्वारा पाठ्यचर्या तथा पाठ्यविवरण के विकास को तथा विश्वविद्यालय की उपाधि की अपेक्षाओं का उपबंध करेगी. ऐसे विनियमों में यह भी उपबंध होगा कि संकाय के प्रस्ताव विद्या परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे.
- 23. संकाय (1) विश्वविद्यालय में निम्नि लिखित संकाय होंगे, स्रर्थात :—
 - (एक) कृषि संकाय;
 - (दो) पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन संकाय ;
 - (तीन) कृषि इंजीनियरिंग संकाय ;
 - (चार) डेरी प्रौद्योगिकी संकाय;
 - (पांच) उपर उल्लिखित विषयों से भिन्न प्रत्यक ऐसे विषय का संकाय जिसके लिये कोई नई संस्था खाली गई हो या छात्रों को शैक्षिक उपाधियों के लिये ग्रहें बनाने के लिए उसी प्रकार, की अन्य संकाये खोलीं गई हों.
 - (2) प्रत्येक संकाय में निम्न्तिखिन सदस्य होंगे :---
 - (क) संकायाध्यक्ष-ग्रध्यक्ष ;
 - (ख) महाविद्यालयों के सभी सकायाध्यक्ष (डीन) ;
 - (ग) संकाय में ग्रद्ययन के सभी विभागाध्यक्ष ;
 - (घ) सभी प्राष्ट्रयापक (प्रोफेसर) तथा छह अनुसंधान विशेषज्ञ तथा तीन विस्तार विशेषज्ञ, जो कि विश्वविद्यालय की सेवा में निमोजित हों,— निदेशक अनुसंधानं/निदेशक विस्तार के परामर्थ से सकायाध्यक्ष द्वारा अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए नामनिदिष्ट किए जाएंगे.

61.

कि रंजल म्ड को गर्ड सिफसरिश करेगा कि एवस (8) कि सिम्प्रिक प्रविधाय कि प्रतिकारिक कि स्वाप्त के स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त के स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त के स्व

- किण्ड (क) माक्स ,णडू ठडुर निधम्बस के मियनीरीए (७) रिड में कार्ख के फलाडकी हम की कि पृत्ती के फिल्कीक प्रकाश प्रमाण कि प्रित्ता के किए में कि प्रिक्षित के प्रिक्षित कि प्रित्ता के प्रित्ता कि प्राप्ता कि प्रित्ता कि प्रित्त कि प्रित्ता कि प्रित कि प्रित्ता कि प्रित्त कि प्रित्त कि प्रित्त कि प्रित्त कि प्रित्त कि प्रित्त कि प्
- (ख) इषक् में स्वादात के व्यवस्थायों के व्यवस्थित के प्रकृत (ख) में अनुस्था के भावना के प्रतिकास में भावना में भ

24. अन्य प्राधिकरणः—शरा 25 की मद (एक) में (तीन) के में उल्लिखत प्राधिकारियों के अस्तिरक्त विश्वविद्यालय के --- ज़िलाइकरण होंगे, अथात :--

- (1) प्रशासनिक परिषद्,
- (३) शिक्षा विस्तार परिवद्,
- (३) अनुसंधान परिवद्,
- (4) स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद्..
- 25. प्रशासीनेक परिवर्द --- (1) प्रशासनिक परिवर्द म निम्नीलिखत व्यक्ति होंगे, अथित :--
- (क) कुलपति--मध्यक्ष;
- (व) लेवा नियंत्वकः]

समाभाक्ष (म)

- (ग) छल सम्बद--सम्बद:
- की कि (निह) क्षप्रवाधाकक कि कि प्रिणावशाहम (ख) कुलपीत द्वारा कमातुक्तम से एक वर्ष कि गिणिक कि पिए नामनिद्धि किये जायेंगे.
- (म) निदेशक, सनुसंधान सेवाये;
- (छ) निदेशक निस्तार भेवाएं;
- (व) महीसक, मोतिक संयंत्र (फिजिक्त प्तान्ट) ;
- (म्) कुषि संकाय से दो विभागाध्यक्ष, पशु चिक्रिस्ता निक्राम तथा पशुपालन संकाय से प्र विभागाध्यक्ष, कुश्च विभागाध्यक्ष, कुषि इंजीनियरी संकाय से एक विभागाध्यक्ष, कि के कुछ अपुराधिक कि विभाग कि स्वाधिक कि
- (न्) छात्र क्स्याण संकायाध्यक्ष.
- (2) प्रशासितक पीरवह का यह कतंव्य होगा। कि वह प्रशासिक (2) प्रशासिक पीरवह का यह कतंव्य होगा। कि वह प्रशासिक प्रकृत पर, जिनका प्रहुत्यों संबंधी विवयों को कि विवान विवयों के संबंध हो, जो कि उसे मंडल, कुलपित, विवान प्रशासिक हो कि प्राप्त के प्राप्त के प्रिकारिक प्राप्त के प्राप

जीप प्रिक्ष (प्रप्तितीय उप्रोमीमिप) क्याध्यायज्ञम क्य (ज) क के काश्रीक कम्प्रिय ति क्षि म क्याध्यायज्ञम क प्राक्षम में मक्ताब्सम् प्राप्तिक का प्रकार क्याज्ञम क्याज्यम क्याज्ञम क्याज्यम क्याज्ञम क्याज्यम क्याज्ञम क्याज्ञम क्याज्ञम क्याज्ञम क्याज्यम क्याज

- (च) निदेशक अनुसंधान सेवाएं.
- (छ) निरेशक, निस्तार सेवाएं.
- (ज) निदेशक, शिक्षण.
- (ज्ज्ञ) सन्य सं क्ष्मित सं क्ष्मित स्व (ज्ज्ञ) कं प्रांक्षित संकामाध्यक्ष संबंधित क्ष्मित क्ष्मित्र के सम्बन्धित क्ष्मित्र क्ष्मित्र के सम्बन्धित क्ष्मित्र के स्वांत्र समझे स्वांत्र समझे स्वांत्र समझे स्वांत्र समझे स्वांत्र समझे स्वांत्र समझे स्वांत्र स्वांत्र समझे स्वांत्र स्वांत्र समझे स्वांत्र स्वांत्य स्वांत्र स
- (3) प्रत्येक संकाय अपने संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा.
- (४) प्रत्वे संकाय एक महाविद्यालय संगठनारमक योजना के प्राव्क संकाय (१) कि निसमें ते महाविद्यालय संगठनारमक योजना के कि विश्वार होता, जिसमें ते कि विश्वार हार कि प्राव्क ते सामें कि कार्य के वायों हारा किया महाविद्या के प्रसावित के प्रत्या कार्य में सामें कि कार्य में सामें कि वायोंगी. किसी संकाय के परिवर्ड हारा विवार किया जाता है तो उसे मंडल कार विवारा के ख्रांतित कर दिया जाता है तो उसे मंडल हारा विवारा के ख्रांतित कर दिया जाता है तो असे मंडल हारा विवारा के ख्रांतित कर दिया जातेगा. परिवर्ड और/गा मंडल हारा चाहे गए कोई के ख्रांतित कर दिया जातेगा. परिवर्ड और जिसे मंडल हारा चाई गए कोई के क्षांतित कर दिया जातेगा. विवार के किये जायेंगे.
- (३) प्रत्येक संकाय अपने कार्य के सेंच संचीचत किसी भी प्रम्य पर प्रम निया परिवय् पर प्रम निया भी विषय पर विश्वा किसी भी विषय पर विश्वा स्टेश विश्वा परिवर्ष को ऐसी सिफारिश करेगा जैसी शिवर्ष के प्रमा किसी हो.
- (6) विद्या पीरवद् द्वारा बनाए गए विनियमो के अध्यक्षित रहते हुए, प्रत्येक संकाय नियमीय संबंधी अपेक्षाओं की हुए, प्रत्येक संकाय विश्वविद्यालय की उपाधि संबंधी अपेक्षाओं की पृति के लिये महाविद्यालयीन पाह्यवयणि तथा पाह्यकम रूप रेखाएं प्रांतिक किनात अनुभवों विकासित करेगा तथा धारापत के अपुसार अनुसंधान स्था विश्वार विद्यालय के उद्देश्यों के अनुसार अनुसंधान तथा विस्तार विद्यार कियाक्ष्माण केया.
- क्ष्य पहु हु ए प्रत्यक्ष के उपवृत्य के प्रिम्पेन (८) संक्ष्य पहु विद्यालय कि विष्य क्ष्य के विद्यालय प्रत्य के स्वाय महाविद्यालय में क्ष्य के प्रवाय के प्रत्य के प्रत्य के प्रवाय के प्

- 26. शिक्षा विस्तार परिषद्.—(1) शिक्षा विस्तार परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति होगे, श्रर्थात् :—
 - (क) निदेशक, विस्तार सेवायें -- अध्यक्ष
 - (ख) सभी सकायाध्यक्ष (डीन आफ फ कल्टी) तथा सभी महानिद्यालयों के सकायाध्यक्ष (डीन) महानिद्यालयों के संकायाध्यक्षों में एक संकायाध्यक्ष जो कि अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाय, उसके (परिषद् के) सचिन के रूप में कार्य करेगा.
 - (ग) निदेशक, शोध सेवायें.
- (2) शिक्षा विस्तार परिषद्, निदेशक, विस्तार सेवाएं, के प्रति उत्तरदायी होगी और ऐसे सभी विषयों पर, जो कि विस्तार सेवा से संबंधित हों, तथा विशेषतः निम्निलिखत से संबंधित विषयों पर विचार करेगी तथा सिकारिश करेगी:—
 - (क) महावि ालयीन छात्रों का प्रशिक्षण ;
 - (ख) इषि ग्रामीण जीवन विस्तार सेवा,;
 - (ग) कुषकों के लिये शिक्षा सामग्री तैयार करना ;
 - (घ) गैर छात्रों के लिये अल्यकालीन पाठ्यकम संचालित करनाः
 - (ब.) इषकों के लाभ के लिये जेत्र विस्तार कार्य कम है;
 - (च) कृषि उत्पादन का विकास तथा सहक री संस्थायें बनाना।
 - (छ) कृषि के विकास के लिये सामग्री तैयार करना जैसे प्रकाशन, फिल्में भादि जिससे विस्तार का बेहतर विकास हो।
- 27. श्रनुसंधान परिषद्.—(1) श्रनुसंधान परिषद् में निम्न-लिखित सदस्य होंगे, श्रयांत्:—
 - (क)- निदेशक , अनुसघान सेवायें अध्यक्ष,
 - (ख) सभी संकायाध्यक्ष तथा महाविद्यालयों के संकायाध्य, (डीन),
 - (ग) निरेशक विस्तार सेवायें,
 - (घ) पुस्तकाध्यक्ष,
 - (ड.) दी से अन्धिक ऐसे प्रत्य विशाणाज्यत, जो कि निदेशक अनुसंवान सेवार्वे द्वारा नामनिर्देश्ट किये जाएंगे ;
 - (च) महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों में से एक संकायाध्यक्ष जो कि निदेशक अनुसंधान सेवाएं द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा—सचिव.
- (2) अनुसंघान परिषद निदेशक, अनुसंघान सेवाएं के प्रति उत्तरदायी होगी और वह विश्वविद्यालय में कृषि अनुसंघान से संबंधित सभी विषयों पर और विशेषतः निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर विचार करेगी तथा सिफारिशें करेगी.—
 - (क) कृषि ग्रामीण जीवन ग्रन्संघान सेवा ;

- (ख) इत्विके विकास के लिये सामग्री तैयार करना जैसे प्रकाशन, फिल्में ब्राटि जिनते क्रिन्तं प्राप्त का बेहतर विकास हो।
- 28. स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् --(1) स्नातकोतर अध्ययन परिषद्, में निम्नलिखित सदस्य होंग अर्थात् :--
 - (क) संकायाध्यक्ष, जो कि कुलपति द्वारा नामनिर्देश्ट किया जायेगा—ग्रध्यक्ष ;
 - (ख) सभी संकायाध्यक्ष ;
 - (ग) सभी महाविद्यालयीन संकायाध्यक्ष (डीन) ;
 - (घ) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं ;
 - (ङ) निदेशक, विस्तार सेवाएं.
- (2) स्नातकोत्तर श्रष्ट्ययन परिषद्, विद्या परिषद् के सम्पूर्ण पर्या-वलोकन के श्रंतर्गत कार्य करेगी, किन्तु निदेशक शिक्षण के प्रति उत्तरदायी होगी श्रीर वह स्नातोकोत्तर श्रष्ट्ययनों से संबंधित सभी विषयों पर तथा विशेषतः निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर विचार करेगी तथा सिफारिशें करेगी:—
 - (क) महाविद्याश्लय के स्तातकोतर पाठ्यकम का विकास करना तथा उसमें प्रवेश के मानक निर्धारित करना ;
 - (ख) स्नातकोत्तर उपाधियों के लिये पाठ्यकम, अनुसंवान तथा अन्य अपेक्षाएं विहित करना ;
- (ग) स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिये संबंधित संकायाध्यक्ष की सहमति से स्नातकोत्तर उपाधियों के ग्रम्याथयों के कार्य निष्पादन का मुख्यांकन करना ;
 - (घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जैसे कि मंडल तथा कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जाएं.
- 29. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की समितियां.--
- (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्रश्विकरण ने सो समितियां नियुक्त कर सकेगा जसी कि वह प्रधिनियम के मधीन उसे समनुदेशित कर्त्तं व्यों के दक्षतापूर्ण निर्वेद्न के लिए पाउष्यक समझे.
- (2) प्रत्येक समिति में ग्रन्य प्राधिकरणों के सदस्य या सदस्यों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारीवन्द के ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जा सकेगा,जिन्हें नियुक्त करना प्राधिकरण द्वारा उचित समझा जाए.

30. प्रधिकरणों के सदस्यों को देव नाता भत्ता तथा दैनिक भत्ता.—इन प्रधिकरणों के या किन्ही भी समितियों के सदस्यों को प्राधिकरण की या उसकी किन्हीं भी समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिये ऐसी दरों पर याता-भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि मंडल विनियमों द्वारा अवधारित करे.

ग्रध्याय चार--विश्वविद्यालय के कर्मचारी व विश्वविद्यालय के ग्रध्यापक

- 31. विश्वविद्यालय के अध्यापक.—(1) विश्वविद्यालय के भध्यापक या तो,—
 - (क) शिक्षण प्रदान करने के लिये और/या अनुसंघान का संचालन तथा मार्गदर्शन करने के लिये और/या विस्तार कार्य कमों का संचालन तथा मार्गदर्शन करने के लिये विश्विद्यालय से वेतन पाने वाले ---
 - (एक) प्राध्यापक, (दो)सह प्राध्यापक, (तीन) सहायक प्राध्यापक,

के रूप में विश्वविद्यालय के सेवक होंगे, या

- (ख) ऊपर उल्लिखित प्रवागी में से किसी भी प्रवर्ग में ऐसी शतों तथा ऐसे निबंधनों पर, जैसे मंडल विनियमों द्वारा विह्ति करे, मानसेवी अध्यापकों के रूप में मंडल द्वारा नियुक्त होंगे.
- (2) कोई अध्यापक शिक्षण प्रवान करने के लिए और/या अनुसंधान तथा/या विस्तार कार्यक्रम का संचालन या मार्गदर्शन करने के लिये केवल उसी मानक तक पात होगा जिसके लिये मंडल द्वारा इस संबंध में बनाये गये विनियमों के अनुसार उसे इस रूप में मान्यता प्रवान की गई हो.
- (3) श्रध्यापक ऐसे कृत्यों का पालन करेगा तथा ऐसे कत्तं व्यों का निवहन करेगा जैसे कि विद्या परिषद् विनियमों द्वारा विहित कर.
 - (4) जहां कहीं भी शब्द "अध्यापक/प्रध्यानकों" आए हो, वहां उसमें/उनमें अनुसंधान तथा विस्तार कियाकनापों में संनग्न व्यक्ति सम्मिन्त हैं.
 - 82. विश्वविद्यालय के ग्रध्यापकों के लिये ग्रहेंताएं .— मंडल के अनुमोदन के ग्रध्यधीन रहते हुए विद्या परिषद, विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के ग्रध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के ग्रम्य-थियों के लिए ग्रहेंताएं विहित कर सकेगी.
- (1) राज्य शासन के अनुमोदन से अध्यधीन रहते हुए, विद्यालय के वेतन भोगी अध्यापकों को राज्य शासन द्वारा समय-र पर मान्य एवं अनुमोदन किये गये वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा :-
- ं) प्राध्यापक/समकक्षसह-प्राध्यापक/समकक्ष
- ·) सहायक प्राध्यापक/समकक्ष

- (तीन) सहायक प्राप्टवापक 700-40-1100-50-1300 (ग्रसिस्टेण्ट प्रोफेसर) निर्धारण -50-1600 रुपये.
- (2) यन समिति द्वारा की गयी विनिर्देष्ट सिफारिशों पर, जो कि लिखित कारणों द्वारा समिति हों, कुरपति, लेखा नियंत्रक के परामर्श से ऐसा उच्चतर आरस्भिक वेतन मंजूर कर सकेगा.
 - (क) जो कि उस पद के जिस पर नियुवित की जानी हो वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन से सात प्रियम वेतन वृद्धियों से प्रधिक नहीं होगा; धा
 - (ख) पहले से ही नियोजित अभ्यर्थी के मामले में, उसे
 . अन्यत प्राप्त हो रहे वेतन की पांच अग्रिम वेतनवृद्धियों से अधिक नहीं होगा और यदि उसका
 उत्त वेतन पद के वेतनमान की किसी भी अवस्था
 (स्टेज)का तत्स्थानी न हो तो उक्त वेतनमान
 में, अभ्यर्थी को पहले से ही प्राप्त हो रहे वेतन
 केंटीक नीचे की प्रवस्था से अधिक नहीं होगा.

टिप्पणी.—ऐसे सभी मामले, जिनमें (क) तथा (ख) के अधीन अग्रिम वेतन वृद्धियां मंजूर की जाती हैं नियुक्ति की तारीख से चार माह के भीतर मंडल को सम्यक् रूप से प्रतिवेदित किये जायेंगे.

- (3) प्रधिनियम तथा इन परिनियमों के उपबंधों के प्रध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के प्रध्यापकों की सेवा की ग्रन्य शतें वे ही होंगी, जो कि प्रध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा विहित सेवा के करार में सम्मिलत हैं.
- (4) विश्वविद्याग के सभी बेतन भोगी अध्यापक पूर्णकालिक अध्यापक होंगे, और ऐसे अब नाश, अबकाश-बेतन, भत्तों तथा अन्य लाभों के हकदार होंगे, जसे कि मंडल द्वारा इस संबंध में अपने कर्मचारियों के लिये समय-समय पर विहित किए जाएं.
- (5) जहां कहीं भी शब्द "ग्रव्यापक" श्राया हो, वहां उसमें श्रनुसंधान तथा विस्तार कियाकलापों में संलग्न व्यक्ति सिमलित हैं.
- (ख) विभागाध्यक्ष, अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष तया क्षेत्र विस्तार इकाई के अध्यक्ष.
- 34. विभागाध्यक्ष के उत्तरदायित्व तथा कर्तं व्य आदि.—चूंकि विभाग किसी संकाय के प्रन्तांत ज्ञान के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अध्यापन, प्रनुसंबान तथा विस्तार की प्राथमिक इकाई है, इसलिये विभागाध्यक्ष के उत्तरदायित्व तथा कर्तं व्य निम्नानुसार होंगें:—
 - (क) वह विभाग में भ्रध्यापन के भ्रायोजन के लिये तत्संबंधी कार्य की गुगवता तथा दक्षतापूर्ण प्रगति के लिए तथा विभाग को प्रभावित करने वाली विभागीय नीतियों को तैयार करने तथा निष्पादित करने के लिये संकाथाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा.
 - (ख) वह विभाग के अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार कार्य पर संबंधित महाविद्धालयीन संकायः ध्यक्ष को प्रतिवेदन देगा तथा उसकी प्रायया अन्य महा-विद्यालयान संकायाध्यक्षीं तथा सकाय अध्यक्ष (डी आफ क्रेक्टी) को पेजेगा

1730

निवित हम से से में भी किया जायेगा; 8) हे हें. इस विषय में मंडल विनिश्चेष ओतिम होगा तथा कमें चारी ान्त्र निर्मा संस्था में संस्था न रहे या उसमें संस्था रहता -मक की गार्ज प्राथित में हैं में हैं मार्ज में विषारिय करेगा कि की मन -धी।ए ि, फाल । प्राप ल कही ए हैं वहीं महों हम के प्रलाइ हो हिं व

अध्यापिक--विद्यापरिषद्. अधिकारी--प्रशासीक परिषद्.

नेवा कामिक--प्रशासनिक परिषद्.

म यथा उपबंधित के सिवाय, शितिरिक्त पारिश्रमिक का हकदार (३) विश्वतिद्यालय काकोई भी कमेनारी, इस परिनियमी

.मिंड किसीए राजा क राज्य शासन के कम्दारियों पर लाग होने वाले अवकाश नियमों त बनाय तब तक विश्वविद्यालय के सभी कम्बारी तत्त्वात्री थो। 37. घवनाथा.--जब तक मंडल घवकाण के विषय में विनियम

नाएक इस परितियम क प्रशीन जनवन्छ को शिष्र क मध्नीत्रीय ए इ ह रिणि जन म्राम मान मिन् विशिष्ट मामले में लखबद किए जाने वाले पायन की राधि कम करके थाने वाली राधि पर नियत की जायगी वतन म स पथन तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के समयुष्य मिर्म क्रिनिय विश्वविद्यालय में स्वाविध्यम् महार कार्म -मक फिकी हमी के जीमक हु, मि गृड तिड़ क जान फिकी अनीजन म रिम्प्रिनीरी क में वारी कि उपलिख्या. -- निर्मित मिर्मि म

श्रव्याप पांच—भिवय्य निधि, उपदान श्रादि

—, डि म तिभी में प्राप्त 39. परिभाषाएं.—इस श्रधाय में, जब तक कि संदर्भ स

हैं डिंग निल्य मेरे अन्य भेरी मीम्मलित नहीं हैं; नमीम मा कार्यनारी तथा व्यक्तियत भन मिन-हामी दिया में एक के निर्दे मिरह और सुर्ह कारी म ह रहाशीख़ छ "मर्रह" में घड़म क छिम्मिक किसी

: ई डिम तिर्मामनी तमीम कर्मामन मिम्पाप्ट क्रियामिक क्षेत्र स्थापना स्थापना किन्तु उसमें प्रतिनियुक्ति पर भाषा हुआ ब्यक्ति स्वायी या अस्यायी पद पर नियुक्त पूर्णकालिक कर्म कालिक धेवा में परिवोक्षा पर या अन्यया, किसी 'कमनारी" से अभिप्रेत है विख्वविद्यालय की पूर्ण-(B)

विषयविद्यालय का कर्मचारी नहीं समझा जायेगा; क्राफ्रिय के माम्बार भड़ कि मिधक रेप कि ातार हि डिम कि रिप्ट 00 मामनिर्क वर अपि होर हुए प्र

ं है काम कि एक हो।उ इंकि इन्छि के फिरमीरीम के छ अभिदाता" हे अभिषेत है तिसमीह है "तिष्रभी भीर

एष्ट्रेंग्रिक स्थामाप्त । क्षेत्रक के किल में गामनी इह (॥)

.गार्गड मिन्युत्तर, धृत्री के लामकई कि त्रीपष्ट प्रि निधियों के वितरण तथा व्यय के लिये तथा विभा-योगियनी प्रीय गिर्म प्राप्त उपन प्रीगियनी द्रिन (म)

न स्वरूप तथा भीत के बारे में मुचित करेगा. धाक कि क्षाप्रभाभ कामाभनी कि फिरोान नुन्द की बेठके ब्रुक्ताएगा तथा विभाग क मन--िमिमिक प्रिमिमिक हप सिमिमि कर्म मिनि र नह नामकृत्य । यह विश्व क्षेत्र क्षेत

तथा करो क्षेत्र । उसके द्वारा प्रयोग किया जाता फिल्मां कमणी किमणी रागंत्र फिल्म के कीए के त्रिकिशिष्ट भर है मध्राम के स्थानकि के प्रति र्गाम । ए रेक् क्रियायिक स्ट रात्रको ,क्षर्वनी निवेहन करेगा जैसे कि निदेशक, अनुसंधान तथा रिष्ट मिष्ट । कि किन्द्र कि प्रकार है कि विकास कि विकास कि विकास कि

, जीए का कि । विश्व विकास के इत्य के प्राचित वर्षा उनकी होवा की

. कियार कि कि जिल्लारी के उन्हें किया क रिगक्षाप प्रमुक्ति क विषद अपनि नियुक्ति प्राधिकारी कि एक इन्द्र हुन्य भी उत्तरहाम हो है कि हुन हुन है। क एक्ष्मी किएगी। क्षीप क्षीक्ष के प्राप्त किया कि किया कि किया कि मान नाल नत्य एसे होंगे जमेमंडल द्वारा निहित किए जाए. ऐसे फ़की 1913 किन्छ किन कि कि कि किन , प्रांते के किन किन , नामनिक के किमीन कि में में कि कार्य पर प्रमान-मिम करेगा जैसे कि विश्वविद्यालय के किया क्षेत्रपति कि निष्पादन के लिये निष्यत नमीव किया है है अय है विस्ता के विद्या कि विद्या के वित्या न 35. सेना-कामिक,--विश्वविद्यालय इसमें इसके पूर्व टाल्ल-

halltll (h)

—: गर्मह रात्रकृष्ठ, प्राप्त कि छत्रीममूख एगड रिगन्छीय कमेंबारियों के संबद्ध नग के लिये इसमें दशीय गये प्राधिकरण या मिं , उर ७ इं सिंग, जार किया जाए, ऐसी हर पर, जैसी कि किंग्न महीशि तमीयनी कप्तर शिष्ट मिका क प्रणाष्ट्री हिंदी (।) . विश्वविद्यालय के कमचारियों का अधिविद्यालय न

. जिप्लिस—क्पापकार मधिकारी--मंडल.

.क्रहाफ्ती किल--क्रमीक क्रि

मामिक्तायन होए परिमा वारा निवार किया वायेगा यदि विवास मसङ्गा नभू के प्राव्यक्ति के पालकाएको कि मिकी के प्राक्र सङ् डि गनमिष्ठ कि लेड़ हो। या है किड़ि हो। के किड़ी समें है क प्रमानना में संगन नहीं होगा जिसमें विश्वविद्यालय के फिकी रहाइ के मलाइमांका है। दिश्लीमनीस क्मीक कि ए कि - विश्वविद्यालय का कम्बारो (जिसमें श्रविकारो, श्रव्या-

- (घ) "निरन्तर सेवा" से अभिप्रेत है निर्वाध सेवा और उसमें प्रौसत वेतन या प्रधं भौसत वेतन पर अवकाश की कालावधि तथा असाधारण अवकाश की काला-वधि की पूर्वभामी तथा बाद की सेवा की कालावधि सम्मिलत है, किन्तु असाधारण अवकाश की काला-वधि सम्मिलत नहीं है;
- (छ) "परिवार" से अभिन्नते हैं (एक) पुरुष अभिदाता के मामले में उसकी पत्नी, बच्चे, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हों, तथा अभिदाता पर आश्रित माता, पिता और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा तथा बच्चे, परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर दे कि उसे शासित करने वाली स्वीय विधि अथवा पति या पत्नी के समुदाय की छढ़िजन्य विधि के अन्तर्गत उसकी पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं रह गई है तो उसे इस योजना के प्रयोजनार्थ अभिदाता के परिवार का एक भाग तब तक नहीं समझा जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में लिखित छप से अभिव्यक्त सूचना द्वारा यह प्रजापित न कर कि वह उसके परिवार का भाग है; और
- (दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति और बच्चे अभिदाता या पति पर आश्वित माता-पिता और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा तथा बच्चे :
- परन्तु यदि श्रभिदाता समिति को लिखित सूचना भेजकर यह इच्छा श्रभिन्यक्त करें कि वह श्रपने परिवार से अपने पित को अपर्वीजत करना चाहती है तो उसका पित तथा उसक पित पर निर्मर उसके माता-पिता को इस योजना के प्रयोजनार्थ श्रभिदाता के परिवार का भाग तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि श्रभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न कर दें;
 - स्पष्टीकरण. उपपूर्वत दोनों में से किसी मामले में, यदि अभिदाता के बच्चों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ले लिया गया हो और यदि, दत्तक लेने वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण विधितः मान्य हो तो ऐसे बच्च को अभिदाता के परिवार से अन्वर्णत समझा जाएगा.
 - (च) "निधि" से अभिन्नेत है "इंदिरा गांधी कृषि विश्व-विद्यालय अंगदायी भविष्य निधि";
 - (छ) "वर्ष" से माभिन्नेत है विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष ;
 - (ज) "सिमिति" से अभिन्नेत है निधि के प्रशासन के लिये नियुक्त न्यासी सिमितिः
- 40. निध लेखा तथा लेखा परीक्षा का प्रशासन.—(1) (क) निध निश्वनिद्यालय द्वारा धारित की जायगी श्रीर एक न्यासी समिति द्वारा प्रशासित होगी, जिसमें कुलपित, कुलसचिव, लेखा नियंतक

- तथा कर्मचारियों के कम से कम दो प्रतिनिधि जिन्हें कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा, सिम्मिलत होंगे.
- (ख) निधि की सभी धनराणि "इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अंशदायी भविष्य निधि" के नाम से भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या ऐसे अनुसूचित बैंकों में, जैसे कि समिति द्वारा इस संबंध में विनिश्चित किए जाएं, जमा की जाएगी या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवंशित की जाएगी, जिसे कि ऐसे एक व्यक्ति वा अधिक व्यक्तियों द्वारा जिन्हें समितियों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, अकेले या संयुक्त रूप से प्रचलित किया जाएगा. समिति, स्वविवेक से, अभिदाता के व्यक्तिगत नाम से डाकघर में या बैंकों में बचत बैंक खाता और/या संचयी सावधिक जमा खाता खोल सकेगी और ऊपर बताई गई रीति से उसके प्रचालन की व्यवस्था कर सकेगी.
- (ग) निधि के लेखे 31 मार्च, की स्थिति के अनुसार वार्षिक रूप से तैयार किए जाएंगे और लेखाओं का लेखापरीक्षण विवरण, प्रतिवर्ष समिति की बैठक के समझ, जो कि अधिक से अधिक 31 अगस्त तक होगी या लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा की तारीख से दो माह के भीतर जो भी तारीख बाद की हो, प्रस्तुत किया जावेगा तथा ऐसे विवरण की एक प्रति अभिदाता को ऐसी बैठक के पश्चात् यथासंभव शीध उपलब्ध कराई जाएगी.
- (घ) निधि के लेखाओं की लेखा परीक्षा उसी प्राधिकारी द्वारा की जावेगी जो कि विश्वविद्यालय के लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है, या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउण्टेण्ट द्वारा की जायेगी.
- (2) समिति की बैठक.—समिति की प्रत्येक बैठक में कुलपित या उसकी अनुपस्थिति में कुलसिव या दोनों की अनुपस्थिति में लेखा नियंतक अध्यक्षता करेगा. कार्य करने के लिये गणपूर्ति हेतु कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी प्रत्येक सदस्य एक मत देगा तथा मतों की समानता की स्थिति में पीठासीन अधिकारी निर्णायक मत देगा.
- 41: (1) निधि में अभिदान (क) उन कर्मचारियों के सिवाय, जो कि अधिनियम की धारा 57 के अधीन विश्यविद्यालय में आमेलित कर लिये गये हों और जिन्होंनें सेवा निवृत्त लाम को पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि योजना का विकल्प दिया हो, विश्वविद्यालय का प्रत्यक कर्मचारी एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर लेने के बाद आने वाले माह के आरम्भ से निधि का अभिदाता बनने का हकदार हो जाएगा और उससे निधि का अभिदाता बनने की अपेक्षा की जाएगी:

परन्तु ऐसे कर्मचारी को जिसे पूर्वगामी पैरा के उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार भविष्य निधि के लाभों के लिये सिम्मिलित किया गया हो, एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर लेने के पृश्चात् 60 (साठ) दिनों के भीतर, विश्वविद्यालय में उसकी नियुक्ति की तारीख से अभिदान देने का विकल्प होगा और उस दशा में विश्वविद्यालय भी उसके खाते में इन परिनियमों में यथा-विहित दर पर राशि का अंशदान करेगा अभिदान की बकाया राशि उपयुक्त मासिक किश्तों में वसूल की जायगी:

परन्तु यह और भी कि इस पैरा में दी गई कोई भी बात संविदा पर नियोजित कर्मचारी पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि उसकी संविदा के निबन्धनों में अन्यथा उपबन्ध न हों.

- (ख) उप-पैरा (क) द्वारा अपवर्णित कोई भी कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय से आकस्मिक पारिश्रमिक से भिन्न पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति भी निधि में अभिदान दे सकेगा, यदि समिति द्वारा इस प्रकार अनुज्ञात किया जाए.
- (2) श्रभिदान की दर.—(क) श्रभिदाता, निधि में ऐसी दर पर जो कि उसके बेतन से 10 प्रतिश्वत से कम नहीं होगी, जो कि उसके द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, मासिक श्रभिदान देगा श्रभिदान की दर नियत करने का आवेदन विहित प्ररूप में किया जाएगा ऐसा श्रभिदान विश्वविद्यालय द्वारा श्रभिदाता को देय वेतन में से प्रतिमाह निकटतम रूपये में पूर्णाकित राशि में काट लिया जाएगा विश्वविद्यालय का श्रंशदान परिनियमों में उपविद्यत किए गए अनुसार नियत बना रहेगा.
- (ख) उपर्युक्त सीमाओं के भीतर भभिदाता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ से अभिदान की दर में परिवर्तन कर सकता है.
- (ग) एक बार नियत की गई अभिदान की दर वर्ष भर अपरि-वर्तित रहेगी.
- (घ) पैरा 41(2) के खण्ड (क) से (ग) तक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी निधि में मासिक रूप से महंगाई भत्ते के ऐसे अंश का अभिदान देगा, जैसा कि कुलपित द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्देशित किया जाए. ऐसे अभिदान के महें विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी अंशदान नहीं दिया जाएगा.
- (3) अवकाश पर गए हुए कर्म चारी का अभिदान. अवकाश पर होने से अनुपस्थित अभिदाता का एसी अनुपस्थित की कालावधि के दौरान अश्वदान उसके अवकाश बेतन पर निर्धारित किया जाएगा, किन्तु ऐसा कोई भी अभिदाता अपने वेतन की पूरी राशि पर अभिदान देने के लिये स्वतंत्र होगा, परन्तु उसे ऐसा करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना उसे भुगतान करने के लिये उत्तरदायी अधिकारी को उसके अवकाश बेतन के प्रथम भुगतान की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व देनी होगी:
- (4) विश्व विद्यालय का अंशदान.—अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय प्रतिमाह निधि में प्रत्येक श्रिभदाता के वेतन की 10 प्रतिशत दर से निधि में नियोक्ता का अंशदान देगा, परन्तु किसी ऐसे अभिदाता के संबंध में, जिसे परिनियम के उप पैरा 41 (1) (ख) के अधीन अभिदान देने की अनुज्ञा दी गई हो, विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी ऐसा अंशदान नहीं दिया जाएगा.
- 42. वयाज विश्वविद्यालय प्रति वर्ष 31 मार्च को या तत्पश्चात् ययासंभव शीघा —
 - (एक) वर्ष के दौरान निधि में निवेश पर प्रोद्भूत तथा प्राप्त कुलं ब्याज का एक लेखा तैयार करेगा;
 - (दी) विश्वविद्यालय के कुलपित के अनुमोदन से ऐसी दर अवधारित तथा अधिसूचित करेगा जिस दर पर वर्ष के दौरान प्रत्येक अभिदाता के लेखे में जमा राशियों पर ब्याज अनुज्ञात किया जाएगा;

Sid a

- (तीन) पूर्वगामी वर्ष के दौरान प्रत्येक अभिदाता के लेखे में मासिक गुणनफलों (प्रोडक्ट) में शेष के आधार पर प्रत्येक अभिदाता को देय ब्याज की राशि जमा करेगा; और
- (चार) श्रभिदाता के नाम पर निधि की पुस्तकों में जमा सभी राशियों पर ब्याज सेवा निवृत्ति / पदत्याग / सेवासमाप्ति / मृत्यु की तारीख के परे छः माह की कालावधि तक के लिये देय होगाः

परन्तु यदि यह पाया जाए कि मामले को तय करने में विश्वविद्यालय की श्रोर से विलम्ब हुआ है तो उस तारीख से एक वर्ष की कालाविध तक के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

- 43. (1) निधि से प्रत्याहरण तथा वस् ियां. समिति के स्विविवेक से, अभिदाता को उसके द्वारा आवेदन किया जाने पर, निधि में उसके नाम जमा राशि में से निम्निलिखित शतों के अध्यधीन रहते हुए अस्थायी अग्रिम दिया जा सकेगा, जो कि किसी भी दशा में अभिदाता के स्वयं के अभिदान तथा उस पर निकलने वाले ब्याज से अधिक नहीं होगा:
 - (कं) कोई भी अग्निम तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि सिमिति का इस बात से समाधान न हो जाये कि आवेदक की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उसका दिया जाना उचित है तथा जब तक कि ऐसा वचनबंध न किया जाय कि उसे निम्नलिखित उद्देश्य / उद्देश्यों पर ही खर्च किया जायेगा अन्यथा नहीं:—
 - (एक) अभिदाता या उसके परिवार के किसी व्यक्ति की या विशेष परिस्थितियों में उस पर वस्तुतः आश्रित किसी भी व्यक्ति की बीमारी के सम्बन्ध में उपगत व्ययों का भुगतान करने के लिए बीस वर्षों की सेवा पूर्ण हो जाने पर इस प्रयोजन के लिए आंशिक अंतिम प्रत्याहरण अनुज्ञात किया जायेगा और अत्याहरण की राशि शेष की आधी राशि या 6 माह के वेतन की राशि, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी;
 - (दो) ग्रावेदक या उस पर वस्तुतः ग्राधित किसी भी ग्रन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य या शिक्षा के संबंध में विदेश याता का व्यय का भुगतान करने के लिये;
 - (तीन) निम्न प्रकार के मामलों में उसकी या उस पर वस्तुत: ग्राश्रित किसी व्यक्ति की शिक्षा पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये;
 - (क) भारत के बाहर शैक्षिक, तकनीकी, व्यावसायिक या वृत्तिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिये.
 - (ख) भारत में उच्च शाला प्रक्रम के परे चिकित्सा, इंजीनियरी तथा अन्य तकनीकी या विशेषीकृत पाठ्यक्रमों के लिए, परन्तु अध्ययन पाठ्यक्रमें तीन वर्षों से कम कालाविध का न हो

12

क त्रीपू कि राधीरा वाद बरव वा दाशित की पि (उपह) हि एत्राधास्य में कार कि तीमीर की कि (यूक्त और अभिदाता के साधारण साधसे से प्रिक्त भार का का करने के लिए अधिस.

- (2) विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रत्यहरण की थातें.—िनम्न-लिखित नियमों के अधीन यथा अनुत्रेय अभिमों को राशियां इस शतें के अध्यधीन हैं कि अभिम की मंजूरी के पश्चात् अभिवाता के लेखें में शेष राशि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के मामले में 100 ह. से कम नहीं होगी तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में 400 ह. से कम्
- क रिल्लेखित कारणों तथा अस्य विश्वेष कारणों के में स्वीम विश्वेष कारणों के मंत्र मिला में अभि निवास, जो कि मंजूरी प्राधिकारी द्वारा निवास, जो कि मंजूरी प्राधिकारी हारा गया अभियात कि जाएंगे, अन्य कारणों से विशेष में अभियात के अभियात के तीन माह के वेतन या निवास के आधे से, जो अभिवास के आधे से, जो से में होगी.
- (राम) उण्ड के (क) (क्प) ६४ मधनोरीप (क्प) में धंबंध के पण्ड पर हिंगिकों उज्जीनीशीय में प्रमिक्षिय प्रपष्ट ६३ (२) एक एम्हास्य में महिंग्य के किल्प के प्रमास १ किल्प मिल्प स्

(छः) समेवारी या उसकी पत्नी की जीवन बीमा पालिसियों (छः) समेवारी या उसकी पत्नी को जीवन बीमा पालिसियों

(9)

- प्रायहरण तभी अनुजात किया जाएगा जव वर और/या स्थल भारप्रस्त न हो और किसी संयुक्त संपत्ति में हिस्सा खरीक्ने या ऐसा भवन या घर या भूमि, जिसका स्वामित्व विभाजित हो, खरीदने के लिये प्रत्याहरण भनुवांत नहीं किया जाएगा;
- भित्र प्रत्याहुत राशि घर और/या स्थल के कथि के विस्तया निर्माण या मरम्मत या पुनर्वनंत की वास्तविक लागत से श्रधिक हो या यह राशि का
 उपयोग उस प्रयोचन के लिये न किया जाय
 जिसके लिये वह प्रत्याहुत की गई हो तो, यथादिश्वति, श्रधिशेष या पूर्ण राशि सिमित को पक्मृश्त ऐसे प्रत्याहुरण के माह से, परिनियम ६३
 (3) (शठ प्रेरा को विहित दर पर, ब्याच सहित
 हुरुन लोटा दो जाएगी. लोटाई गई रकन
 पुरुन लोटा दो जाएगी. कोटाई गई रकन
 सुरेन लोटा दो जाएगी.
- (ताम) डण्ड क (क) (1) ६४ पप्रनिपेप (तित) ति एउड्डाफार फिली के नाम्प्र उन्होंनीडों में सि (इज्डाक्षि कि फिल्ड 000 या उत्तर के ड्राम इब्ड में हमाम कि फिल्डों किन्नों, गिर्मुड ड्रिम क्षित के होति के सिक्टों के सिक्टों के प्राप्त के होते के प्राप्त के होते के प्राप्त के होते के प्राप्त के होते के प्राप्त हैं होते
- प्राप्त भिष्ठिय का कि कि के कि के स्थाय विश्व अस्थायी अधिम कि वितन था स्थल की वास्तिक के शिक्ष की स्थाय की स्थित लागत था शेष के आधे जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूब अनुस्तेय नहीं होगी, परन्तु घर का स्थल/भू-खण्ड विश्वविद्यालय की पूर्व अनुस्रा के बिना किसी भी रोति से भारअस्त या अन्य संकामित नहीं किया जाएगा. इस अधिम की अदायगी 30 से अनिधक जाएगा. इस अधिम की अदायगी 30 से अनिधक
- (घ) अधिस, निधि में अभिदाता के स्वयं के अंशदान की राशि तथा उस पर ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगा.
- हिस नियम से "निविक्त के नियम के नियम हुई (ए) इं राइक्ड्र एमस सेरु रिमिक्स किसी निविध्य हुई

क प्राप्त अपरानी तथा छूट प्राप्त ब्याज के बाज संचय की कूल राशि, जो कि कमैनारियों के बाठ में जमा हो, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी:

- ক (ক) সেণ্ট্যত ক (I) ৪১ দদদীসীদ (চি ফিনি কি দদ্যিয়ে ত্ৰুত্বীদীলী দি (ছাণ্ট) ছণ্ড —: াদিন্ত দায়িজাৰ কি চিচ্চ চন্তালিনিন্দী তেন্ত্ৰাচন্ত্ৰ
- (2) कमंत्रारी ने सेवा के दस वर्ष पूर्ण कर लिये हों या अगले दस वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होंने बाला हो;
- ाह होमरोस १ हो ए । हो स्टेस्ट । विकास के स्टेस्ट । कि स्टेस्ट । कि स्टेस्ट के स्टेस्ट के स्टेस्ट हो ए । स्टेस्ट के स्टेस हो हो स्टेस हो स्टेस हो स्टेस हो हो स्टेस ह
- (4) यदि प्रत्याहरण चर और/या चर के स्थल के 6 माह के जिये किया गया हो तो प्रत्याहरण के 6 माह के भोतर क्य कर लिया जाना चाहिए;
- (a) पदि प्रत्याहरण घर के निस्तीण या ऋय या भरम्मत या पुनरेचता के लिये पहिले किया मधा हो तो ऋण की के मुक्तने के लिये किया गया हो तो ऋण की भवत्याय प्रत्याहरणु की तारीख से तीत खाह भवत्यात की जानी चाहिए;

47

(नार) अभिराता थपने विकल्प से एक माह में एक से ग्राप्त किस्त चुका सकता हैं.

किरते कंपीचार क्रिक्त किरते कर्में के के के किरते के निवास करता के किरते के प्रारंग होगी। हरण के परचात दूसरे साधिक के व्यवस्था के किरते के प्रारंग के किरते किरते के किरते किरते के कि

(सात) इस परितियम के अधीन की गई वसूलियों जब वे की जायं निधि में अभिदाता के लेखें में जमा की जायेगी.

जहां राग्नि की अदायनी 12 से प्रताहुत राग्नि पर ब्याज अनधिक माधिक किस्तों में की की एक किस्त. गई हो.

न्याय प्रमाय क्षेत्र स्थाप स्

जहां उराधि की श्रदाधारी <u>24 में</u> प्रत्याहुत राशि पर ब्याज श्रिक किरतु 36 में अनिधक की तीन किरते. मासिक किरतों में की यह हो.

जहां राशि के अदायनी 36 में प्रत्याहत राशि पर ब्याज अधिक किन्तु 48 में अनिधक को चार किन्तु. .रिक्रको किन्तु के कि कि कि

जहां राशि परिनियम 43(2) लोटाई जाने वाली राशि (क) (दे) (४) के अधोन पर ब्याज को एक किस्त. लोटा दो गई हो.

परन्तु सिमित्स बिबनेक से ग्रेब्स राधि परया संमय-समय पर उसकी बकाया थेन राधि पर उस दर से, जो कि कमंनारी के खाते में निधि में जमा थेव राधि पर तत्समय भुगतान योग्य हो, एक प्रतिथात प्रधिक ब्याज बसूल किया जा सकेगा.

(नी) पूर्ण ब्याज साधारणतः मूलघन की पूर्ण' अदायगी के पृथ् पश्चात् आने दाले माह में बसूल किया जायेगा. किन्तु यदि अग्निराता ऐसा के भूपतान की कालावधि 20 माह से अधिक हो, यदि अभिदाता ऐसा नाहे तो ब्याज दो समान किस्तों में बसूल किया जा सकेगा.

> जब प्रस्पाहरण मंजूर किया जाय या आयकर अधिनियम, क 1961 के अनुसूची चार के भाग "क" के नियम के 11961 के जन्म के अनुसूची चार के उपनियम के मामले में जिपमा के जानियम के अपनियम (2) में निविश्व के मामले में अपिया के उन्हें प्रतिया, आदि अपने के उन्हें प्रतिया के अपने के

(म) स्रीप्रम, विशेष कारणों के सियाप, सभी पूर्वेती अधिम भिर्मा पूर्वेती अधिम के सियाप, सभी पूर्वेती अधिम से क्षेत्र के भीत उस पर अप 12 माइ के भीतर तब तक तक नहीं दिया जाएगा माधि के परिनंपम जब तक कि पहुंच के कि एक प्राप्त के दिश्च के एक प्राप्त के दिश्च के एक सिक्च माधिक माधिक

.तोम पिंदनी ,मधीस एउस्ट्रे कि तज्ञिशक्ष क्रिको (कप्र) पिर्फाल एको डिस पूर्णम ,प्रकड्छि कि फिलोक्सी मि शिस्र कि मधीस पिर फेडी राड लिड्रेप द्रीय क्षि पिर क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

(3) प्रायहित रक्मों की अंदायंगी.—(एक) (4) (5) क के कि कि (8) है (1) (1) (क) (8) के के अंदायंगी.—(४) (१) (क) के कि कि के अध्यक्षीन रहते हुए, जहां प्रत्याहरण प्रिमितंग्द के प्राचित्र के अध्यक्षीन रहते हुए, जहां प्रत्याहरण प्रिमितंग्द के क्षा (क) को किया जाता है, वहां प्रत्याहत राग्नि के अध्यक्षित हैं। अदायगी

क् (क) (1) (क) (4) क्या परिनियम 43 (1) (क) खण्ड खण्ड (चार) में यथा चिनिदिष्ट विवाह के सम्बन्ध में अनुशत् किया जाता है वहां प्रत्याहुत राथि की अदायमी 48 में अनिधक समान मासिक किस्तों में की जायेगी.

(तित) जहां प्रव्याहरण किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये अनुश्रात किया जाता है वहां प्रव्याहत राथि 24 से अनिधक समान सासिक किस्तो में चुकायी जायेगी. 88

- (दस) वसूली के प्रयोजन के लिये प्रत्येक ग्रग्निम को अलग-ग्रलग माना जायेगा.
- (4) अग्निम का आंशिक अंतिम प्रत्याहरण में संपरिवर्तन :— औंशिक अंतिम प्रत्याहरण की पावता के अध्यक्षीन रहते हुए', ऐसा अभिदाता, जो खण्ड (1) के उपखंड गि(एक), (दो), (तीन) तथा (चार) अं और खंड (2) के उपखंड (क) (चार) में विनिद्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए गिरा प्राहरित कर चुका हो या भविष्य में आहरित करे, स्वविवेक से सक्षम प्राधिकारी से लिखित निवेदन कर उसके मद्धे बकाया राशि को आंशिक अंतिम प्रत्याहरण में संपरिवर्तित कर सकेगा.
- 44. श्रभिदाता के लेखे में जमा राशि का भुगतान.—(एक) श्रभिदाता के खाते में जमा राशि परिनियम |44 (दो) में विनिर्दिष्ट श्रगली शर्त के श्रध्यश्रीन रहते हुए, उसके द्वारात्यागपत दे दिए जाने पर उसकी सेवा समाप्त होने पर, उसे पदच्युत किए जाने पर, उसकी मृत्यु हो जाने पर, छटनी हो जाने पर श्रौर/या उसकी सेवा निवृत्ति हो जाने पर देय हो जायगी परन्तु यदि समिति निदेश दे तो उसमें से कटौती की जाकर विश्वविद्यालय को उसका भुगतान किया जाएगा.
 - (क) श्रभिदाता द्वारा विश्वविद्यालय के प्रति उपगत किसी दायित्व के ग्रधीन देय कोई भी राशि उस कुल राशि तक, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा उसके लेख में ग्रंशदत्त की गई हो, उसके संबंध में ब्याज सहित जमा की जायगी.
 - (ख) जहां श्रभिदाता घोर श्रवचार या घोर उपेक्षा के कारण वर्खास्त कर दिया गया हो वहां नियोक्ता के श्रंशदान की पूर्ण राशि या उसका कोई भाग उसके संबंध में व्याज सहित जमा की जाएगी.
- (दो) कोई भी कर्मचारी उसकी ग्रोर से विश्वविद्यालय हारा ग्रंशदत्त राशि तथा उस पर व्याज की रकम को पाने का हकदार तव तक नहीं होगा जब तक कि वह उस तारीख से, जिस तारीख को उसे परिनियम 41 (2) (क) में विहित दर से भविष्य निधि में ग्रभिदान देने की ग्रनुज्ञा दी गई हो, विश्वविद्यालय की सेवा में निरंतर 5 वर्षों की कालावधि तक न रहा हो ग्रीर यह कि उसे त्याग पत्न देने की ग्रनुज्ञा दी गई हो या वह सेवा निवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो या पद से उसकी छटनी कर दी गई हो.

स्पष्टीकरण.—लेखा उस दिन बंद कर दिया जाएगा, जिस दिन घटना घटित हो.

45. नामनिर्देशन.—(1) प्रत्येक ग्रिभदाता, निधि में सम्मिलित होने के पश्चात् यथाशी छ, विश्वविद्यालय के कार्यालय को नामनिर्देशन भेजेगा, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाने पर निधि में उसके लेखा में जमा राशि पाने का अधिकार एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया गमा हो : परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का कि परिवार हो तो नामनिर्देशन उसके परिवार के सदस्यों से भिन्न कि तो व्यक्ति या किन्हों व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा

- (2) यदि श्रमिदाता उप-पैरा (1) के श्रधीन एक से श्रधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन करे तो वह नामनिर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देश प्रक्ति को देय ग्रंग को राशि इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगां/
 करेगी कि निधि में किसी भी समय उसके लेखे में जमा पूर्ण राशि का समावेश हो जाए.
 - (3) प्रत्येक नामनिर्देशन विहित प्ररूप (फार्म) में किया जाएगा
- (4) कोई भी श्रभिदाता विश्वविद्यालय के कार्यालय को लिखित सूचना भेजकर किसी भी समय नामनिर्देशन रह कर सकेगाः

परन्तु अभिदाता ऐसी सूचना के साय इस परिनियम के उपबंधों के अनुसार किया गया नया नामनिर्देशन भेजेगा.

- (5) अभिदाता नामनिर्देशन में.---
 - (क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में यह उपबंधित कर सकेगा कि अभिदाता के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार नामनिर्देशन में यथा विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्ति संक्रिमत हो जाएगा;
 - (ख) यह उपबंधित कर सकता है कि नामनिर्देशन उसमें विनिर्दिष्ट किसी ग्राकस्मिकता के घटित होने या घटित न होने की दशा में ग्रवैध हो जाएगाः

परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय श्रिभदाता का कोई परिवार नहोतो वाद में उसका परिवार हो जावे की दशा में नामनिर्देशन श्रवैध हो जाएगा.

- (6) यदि किसी ऐसे नामनिर्देश्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसके संबंध में उर रैरा (5) के खण्ड (क) के अधीन कोई नाम निर्देशन में विशेष उरबंध नहीं किया गया हो या ऐसी कोई भी घटना घटित हो जाने पर, जिसके कारण उर पैरा (5) के खण्ड (ख) के उपबन्ध के अनुसरण में नामनिर्देशन अनैश्र हो जाता है तो अभिदाला विश्वविद्यालय कार्यात्रय को लिखित सूत्रना भेतेगा जितके द्वारा नाम . निर्देशन को रद्द कर दिया गया हो तथा इस परिनियम के उपबन्धों के अनुसार नया नामनिर्देशन किया गया हो.
- (7) अभिदात द्वारा किया गरा प्रत्येक नामनिर्देशन तथा जुनक द्वारा दी गई रहकरण की प्रत्येक सूचना उस सोमा तक, जहां तक वह विधिमान्य हो, उस तारोख से प्रभावी होगी, जिस तारीख को वह विश्वविद्यालय के कार्यालय में प्राप्त हो.

- (ग) यहि किसी सेक्ट ने विश्वविद्यालय में बीस विशे हों पे स्वीयक कालावधि को धेव कि विश्वविद्यालय में बीस क्षा कि सिन्धे के जिए एक माह के मोदित सेवा के प्रथम दीस पूणे वर्षों के लिए हैं काहि के नित्त की दर्र के प्रत्येक पूणे वर्ष के लिए डेंट माह के नेतित की दर्र के प्रत्येक पूणे वर्ष के लिए डेंट माह के विश्वविद्या का प्राच्या का प्रवास के साधार पर निश्च-से में प्रयास के सिन्धि से मिन्दि हों की स्वास दी विश्वविद्यालय की सेवा में कि में कि सेवा की प्रवास के साधार है कि मा से हिंग है। यह है पर कि सेवा के सेवा के
- (घ) केवल ऐसे मामलों के सिवाय, जिनमें कोई सेवक मण्डल को अनुजा से, जो कि इस आधार पर दो गई हो कि वह विश्वविद्यालय की सेवा छोड़ता है या जहां विश्व-विद्यालय की सेवा में रहते हुए सेवक की मृत्यु हो वाती है, सेवक या उसके परिवार को किसी भी उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा.
- (ड) सिश्यावित "परिवार" से सामायत है एंसे व्यक्ति, जो कि मण्य के प्रमम से सेवक की पाय में, सेवक की मृत्यू के प्रमम सेवक पर निमंद थे और इस विषय में मण्डल का विनियचय श्रीम होगा.

अध्याप छ:--ग्रीदिक कार्यक्रम, प्रवेश सम्पादन

क--प्रध्यापन का संगठन

- निक्त में क्षाया मोन्स परिमावायें.--इस मध्याय में, जब तक सन्त
- (क) 'श्रीक्षक वर्ष'' से अभिप्रत है 12 माह की कालाविध, जिसक दौरान कार्य का एक वक पूर्ण होता हो;
- कि डिंगिन्स् १४ प्रकल से ११ है । ४ से निस्तर १० स्टाना हो। कानानाय, एक गैसिक वर्ष में ऐसी तीन नानावधिया होगी;

- 46. श्रीभदाता द्वारा निष्णादित किया जाने वाला करार.— प्रत्येक कर्मचारी निधि का अभिदाता बनने पर विहित प्ररूप में एक करार निष्ट्रपादित करेगा.
- 47. निधि के व्यय.—-निधि के प्रशासन से संबंधित सभी व्यय, जिसमें उन कर्मचारियों का बेतन तथा भत्ते सम्मिलित हैं, जो कि निधि के प्रशासन के प्रयोजन के जिए नियुक्त किए गए हों, विश्वविद्यालय इारा बहुत किए जायेंगे तथा निधि में भारित नहीं किए जायेंगे.
- 48. सिमित की बिक्तयों.—(एक) इस ब्रघ्यांय में उपबंधित न किए गए विषयों के लिए सिमिति एसी ब्राक्तियों का प्रयोग कर सक्ती नेसी निधि के प्रशासन के लिए क्ष वश्यक हों.
- लडणम गथत फिक्रम प्रक प्राथित पिर मधनीकी कप्रपु सीमीम (१५) : फिक्रम प्रक प्राविधः कुन्छ मि नर्शमान्य कि

परन्तु समिति महिष्य निष्ठि महिष्यम्, 1925 या क्येनारी महिष्य निष्ठि मधिनयम्, 1952 के उन्हारो त्वात् तृशीन देशार् को गई योजना तथा नियमों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा विनियम तैयार करेगी.

- 50. उपरान.—विश्वविशालय के ऐसे कमंबारियों को, जिनका श्रीकित ने विश्वविशालय में प्रीप हो भीर जो विश्वविशालय भीषक्तम बेतन 60 ह. प्रतिमाह से कम हो भीर निवालय प्रविध्य निधि के लाभों के हकदार नहीं, निस्तिलिखत मान के अनुसार निवाल
- िम सिकी के हिस कि धोंक्य मक संस्ट गर फिन स्ट (क) निक्त को है। अपरान नहीं हिया जाएगा.

06

- -िक्स क्षित्र होता हो कि कि क्षित्र होता है। क्षित्र क्षित क्षित्र क्षित्र क्षित क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षि
- (च) प्रत्येक में महानिद्यालय में राजनी कार्येक में स्वानिद्यालय में मिन्यें म
- (छ) पार्यक्रमी में तथा विश्वविद्यालयों में छात्रोम (छ) जनक प्रस्थित संबंधी अपेक्षायें, परीबीसा का पत् तथा बखस्तिगी के कारण;
- (च) छात्रों के लिए छातावास तथा भय निवास व्यवस्था;
- (झ) गणवेंश तथा अन्य शानुषीमक विषय, जिनकी छातों हे अपेक्षा की जाती हो;

कारों का प्रवेश। संपादन

- 53. विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छालों की अहंगाये:— (1) विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए छाल की स्पूनतम श्रीक्षिक उपलिख पिरिनियम 53 के खण्ड (1) के प्रधीन के सिवाय विश्वविद्यालय मण्डल द्वारा श्रीधकशित की जाएगी.
- (2) विहित ग्रीक्षक उपलिख्यों के अतिरिस्त विश्वविद्यालय म प्रवेश पाने का इच्छूक अस्पर्थी अच्छी नैतिक आदतों वाला होगा तथा वह ऐसी व्यक्तिगत तथा शारीरिक पूर्वोक्षाओं की पूर्ति करेगा, जैसी कि छात कत्याण के संकाषाध्यक्ष (डोन) हारा अवधारित की जाये.
- (3) उन सभी छातों के नाम, जिन्हें विश्वविधालय में प्रवेश दिया गया हो, उनके इस प्रकार किए गए बयन के पश्वात्, यथाथीघ्र कुल सचिव के सूबना-फूलक पर प्रदर्शित किए जायोंगे तथा यदि कुल सिबंद उन्हें प्रकाशित करना आवश्यक समझे तो ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित किए जायेंगे जैसी वह उचित समझे.
- 5. छासे किसी नमास्त का मूखांक्त किसी छात है। जिसी जात है। मिली किसी ता मूखांक्त के किसी ता मुख्य स्वाप मार्थ होता स्वाप स्वाप होता है। जाते नियमों नियमों के अनुसार अवधारित किसा जाएगा.

69

- (ग) "पाठ्यचयी" से अभिप्रेत हैं किसी उपाधि को प्रपेशाओं की पूरि के लिए प्रथिशण प्रदान करने हें व चर्णात तथा अभिहित पाठ्यकर्मों की एक श्रृंखला;
- (व) "पाठ्यक्तम" से शिष्मोत है एक सीमरटर में चलने वाली तथा किसी पाठ्यचनी की साभन्न तथा विनिद्धित इंग होने वालो कसाओं तथा कार्य घनुभव की एक धृंखला;
- (क) "पाठ्यक्स श्रेय" (कीकी है विषयित है किसी पाठ्यक्स का माझात्मक माप, एक मेमिस्टर के जरिए प्रति क्रियं प्रत्याधित छात "प्रयास" में तीन घंटों के लिए एक श्रेय दिया जाएगा;
- हैं कि की कि ,घर्ष ४८ ,ई हिंधभीस है "प्राथ सहव्हाए" (ख) .र्ज केल में प्रअमिह क्रिय हाख
- 52. विश्वविद्यालय कलेण्डर, शैक्षिक वर्ष, सिमस्रर, वार्षिक कैरलाग.—(1) श्रीक्षक वर्ष सामान्यतः प्रति वर्षे 1 जुलाई के प्रथम कार्ये दिवस को आरम्भ होगा.
- —:ार्गेड रामुनान्मनो :तभामाप्त रऽभमीह (s)

प्रथम सेमिस्टर जुलाई में नवम्बर-दिसम्बर तक, हितीय सेमिस्टर् नवम्बर-दिसम्बर् में अप्रैल-दिम

प्रस्तृ मिन होगे, जिनमें कक्षाओं और/या शांतरिक परीक्षाओं का संचालन किया जाता है, प्रयोगशालाये तथा पुरतकालय खुले रहते हैं.

- (3) विश्वविद्यालय शैक्षिक वर्ष भारम्भ होने के पूर्व एक विश्व-विद्यालय वाषिक कैटलाग प्रकाशित करेगा, जिसमें यथासंभव, निम्न-विद्यालय बार्षे केटलाग प्रकाशित कर्ने तिम्निवित बार्वो तक हो लिखित बार्षे होगा:--
- निंड एम्प्राप्त के रस्मीति कर्षत्र एक्षत के वेद कक्षी (क) किरिति कि छिडुकि धिक्साए प्रीप्त भिरिति कि
- (ब) विभिन्न महाविद्यालयों में छातों के प्रवेश के लिए अहेताव तथा उनका अधिकतम संस्था;
- (ग) रजिस्ट्रीकरण, पार्यक्सो, प्रयोगशालाओ, छात्र कार्य छातानास आदि के लिए प्रभार्य फीस;

मिल हास ,ांघरी मिल तथा क्या निवियों, छास फीम

कि विश्वविद्यालय में उपस्थित रहते समय उसके व्ययो कि पूरि के लिए; भीर/या

े नियनीनवालय में उठहरू नियादन के लिय उस्स में प्रमुख्द के क्य में 1 प्रशासीका को अनुसार मण्डल विषय: की संयुक्त सिकारिशों के अनुसार मण्डल विषय: विद्यालय छात्रवृत्ति निर्मिक प्रशासन में प्रनालनों को शासित करने के लिये विनियस बनायेगा.

59. खास फीत, रिजरूरोकरण, पारुपक्षम, प्रयोगशाला तथा ब्रम्स (1) प्रत्येक भीमरहर प्र रिजरूरोकरण के समय नामांकित खाला प्रा रिजरूरोकरण फीसका मृगतान कोगा, जैसी विनियमों हारा विहित की जाय. खण्ड (4) में यथा उन्हाधित के मिलाय, सिमस्टर के लिय रिजरूरो करण तब तक पूर्ण नहीं होगों जब तक कि फीस का मृगतान निक्शा जाए तथा एक बार विश्वविद्यालय हारा छात को स्वीकार नाकिया जाए तथा को खोंडाई नहीं जायेगों.

(2) विश्वविश्वालय में किसी नाइपका की लिये रिजस्ट्रोकरण के समय नामांकित छात एक पाठ्यकम की स का भागतान करेगा, के समय नामांकित छात एक पाठ्यकम की स का भागतान करेगा, खण्ड (4) जो किसी होगो के मिलाय के निर्माण कर तक की स्था उपबंधित के सिलाय, किसी पाठ्यकम के लिये प्रवेश तव तक अनुशात नहीं किया जायेगा वह तक कि की स्थातान न किया जाये जायेगा वह तक कि की स्थातान न किया जाये विभिन्न के अनुशार तथा ऐसी की स्थायोग अन्या नहीं.

(3) प्रशासिन प्रियद् कुनपित के सनुमीदन से, विनियम ,दारा वह कीस विह्ति करेगी जिन शम्यनान छात द्वारा केकेटेरिया, पुस्तक 1= लयों, प्रयोगशालाओं तथा विन्दं विद्यालय को सन्य सुविद्याओं आदि क उपयोग के लिये किया जायेगा.

(4) म्णडल, प्रशासिक परिषद् की सिफारिशों पर, सारा 9 में निर्माद (1), (2) तथा (3) के निर्माद का कितपों को उपसुक्त खण्ड (1), (2) तथा (3) के श्रासिक किया जा श्रासिक किया जा किया की निर्माण किया जा सकता का किया की निर्माण करा प्रकेश राजे रिक्स प्रशासिक परिषद् की सिफारिश पर मण्डल

शिक्षक, छात्र कर्त्याण, के संकायाच्यस (डीन)हारा निहित नियम के भनुसार, श्रुस संबंध में अपनी राय प्रतिवेदित करेगा कि छात्र विखन-विद्यालय दा घच्छा छात्र किस मात्रा में हैं

(2) किसी भी नामांकत छात को उस दशा में विश्वविद्यालय में बने रहने रही. देंग नामांकत छात को उस दशा में विश्वविद्यालय में बने रहने नहीं दिया जाएगा, जंद सेमिस्टर के अन्त में, जिसके दौरान कर के जंदों दिया जाएगा, जंद सेमिस्टर के अन्त में, जिसके दौरान वह परियों का पर रहा हो, विश्वविद्यालय में किए जातों के मामले में 2. 75 से नीचे हो. विश्व की को इस्त को का का का कर का का किस का मांकित अवर स्नाणित न करें कि वह एक नामांकित जव तक छात के का नामांकित का के हम में अने सामांकित का के हम में अने मांकित का का का तथा उसके मंदिना महाविद्यालय के संकाराध्यक्ष (डीन) हारा छात के कम से अने मंदिना महाविद्यालय के संकाराध्यक्ष (डीन) हारा छात के कम में अवे के लिय में अवेश के लिय में अवेश के लिय आयों के लिय आयों के लिय आयों के किस मांकित का के सामांकित छात के किस में अवेश के लिय आयों के लिय मांकित कर संकाराध्यक्ष ऐसे निवस्तान रही हुए उसे परी- के अधि परी- कर संकाराध्यक्ष के उसकी संवी के अधि सामांकित होगा, जो कि आधिनयम, परिनियमों तथा विनियमों में अधिकारित होगा, जो कि आधिनयम, परिनियमों तथा विनियमों में अधिकारित होगा, जो कि आधिनयम, परिनियमों तथा विनियमों में आधिकारित हों।

(2) कोई भी नामिकत छात विश्वविद्यालय के लिए या विश्व-विद्यालय के बाहर प्रतिकर सिहत या प्रतिकर रहित किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होगा, जब ऐसा कार्य अध्यापक को राय में, छात के क्यां कार्य मंभार ह्य से बादक हो. परन्तु अध्यापक के ऐसे विनिर्णय को छात करवाण के संकायाध्यक्ष द्वारा जस संकाग कोर छात करवाण हो, संकायाध्यक्ष की सहमति से जलटा जा संकाग और छात करवाण संकायाध्यक्ष का विनिश्चय भाविम होगा. छात करवाण के संकारा-हाथ तथा वंकायाद्यक्ष शिव होगा. छात करवाण के संकारा-हाथ तथा वंकायाद्यक्ष हो कि साथ के निर्देशिय के निर्देशिय किया जाएगा, जिसका का

उस मामले में विनिष्ववय अंतिम होगां.

--:।। १४ मा अदान करेगा:--प्रद्यान का अपेक्षाओं की पूर्व कि हो, निम्मानुसार मास्टर निचालय, जब मंडल हारा श्रनुमीदित किया जाए, ऐसे छात को, जिसने (1)--. जन्म जवाधियां, प्रकार तथा श्रवेशाएं.--(1)

; (मोक्) महाप्त नाप्त रउनाम (क)

7861 7545H 01 First, SPRIS 195KWH

- (ডিছটমন্ত লদনীয় হুত্য দুরাদ দিদরীতর্চ নাছে সত্যাদ (ছ)
- . (ग्रियनीकिंद्र घोतु) किंगिनम्ड नगर ७३५१म (ए)
- .डि एको क्रम्र (मभीषि) प्रकार प्रकार कि प्राकांत्र १४७ हि कि पिए एक्टिएनीए प्रकार नमर करोताह क्षत्र रह प्रमा वाया वाया कर हमा क्षत्र व्यापन 1म हि ग्रेमी रेष्ट्र में तिरि प्रकाशि उडीर्ल भिन ३९ मक मि मक लिक्ति जपाधि के पश्चात् विश्वविद्यालय में, विशिष्ट उपाधि पर लाग् होने गए तथा विद्या परिषड् हारा अनुमीदित किए गए अनुसार, स्नातक एकी त्रिही । राष्ट्र इष्यीप नम्प्रस रक्तिकान्त्र निम्ही (२)
- पास विश्वेषांकरण हे से से उत्कृष्ट सक्षमता है. क्स हारा ही गई परीक्षा हारा यह प्रविधात होर कि छात्र हो कि एक त्याम्प्रते निम्ठ हि थाम क्षेत्र ग्रीह हि एको ठठुन्ए (मुप्तीहि) उसने एक ब्यापक ग्रीध परियोजना पूरी की हो तथा एक स्वीकार्य प्रबंध हो या शत्मोदित श्रत्या हारा श्रीजि किए हो. इसके श्रोतिरक्त गुरेश रेप्ट में होरि उक्स्प्रह डडीर मिक् 80 मक हि मक लाह निर्द गिर्ह प्रमान करेगा जब काल ने मास्टर जगाधि के पश्चात् इत्सर काल कर कि धी। एक कि विभालियी त्याक्ष रडवाड त्रवीतिमृत्य पथा राड द्रृष्टीप ति हो। स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् हारा यथा बिहित तथा बिशा नीपू कि सिक्षिक के अन्यविद्यालय के अनेसाओं की पूर्व (3) विश्वविद्यालय, जब मंडल हारा अनुमीदित किया जाए,

मिन्द्रविद्यालय के सर्वोत्तम हित में उमित समझे. फ़िर्क ,गण्डेक किंत्रीतमधी मिंत कि छीमधी।लकु रुडम . .गिर्डक तथीर्ष माल्जीम क परिवास से प्रेंच महत्वास के नियम के परिवास का सर्वप्रथम विद्या परिषद् द्वारा परीक्षण किया जाएगा. तंत्रगःचात 🌘 घात्रप्र क् रिश्व नाव्रप्र धीाप्य वनाम--.iप्रधीाप्य वनाम .2a

वदासय के सर्वेत्तम हित में उचित समझा जाप. पद, मंडल आदि प्रदान करेगा, जो परिषद् तथा कुलपति द्वारा विषय णामह संप्र, रामधी।पिक तन्त्रीमुस सिप्ते, रिंडु प्रासे रक रेणू मान स्रीपट जैं काया व्यक्तियो को, जिन्होंने विश्वविद्यालय हारा प्रायोगित गैर नुष्रत कि किए हमामान रम एरीकि मि है। कि में ब्रह्म मुद्र हर ।राइ विधा परिषद् हारा बनाए गए जिल्लामें के अनुसार और १७४वर् 63. पत्रोगािश (जिल्लोमा) मेंडेल तथा प्रमाणपत.—कुलपति

है। हुती-र्ड कि रिष्ठ्रप्र कि कि है कि ग्रीक तक्ती कि कि लड़ाम 190 171इ किया परिवद् की सिमारिया पर मंडल के कुल सरियदे कि नेहमत कडम-- मिल प्रजी अगाव का ब्राप्ट कियो। प्रियो गाना- मेंबल

05

समझी जाय. बना सकेगा, जब ऐसी छुट विख्विवशनय ने सवौत्तम हित के अनुक्ल क्षि मधनीति ठारीकंछ ६ उक्ष किमरित्र धन्नी कि जिल्ला प्रत्याम प्रमूख

महायाय सात-विश्वविद्यालय की जवाधि, ६ स्रोपाधि तथा धवाख

--: गार्श्वक मात्रस स्रोगिष्ट क्वान्त रामुनानम्ही , डि १०७ के विषे कि स्वान्त न्हिनी कि , कि हाल हासीमान उमना फिक्नी नहिम हारा हा हिन्दे 60. स्तातक प्राप्ति प्रकार तथा अपेक्षाएं.--(1) विषय विद्यालक

- (क) बचलर आफ साहन (क);
- (ख) वेचलर ब्राफ् वेटरिसरी साइस एंड एमिमल हसवंडरी;
- (१) विनितिष्ट्र योद्ध), (क्षिणिमिक्ट भाष्ट्र रुलक् है (म)
- (म) वैनलर आफ डेयरी साइस एण्ड टेक्नालीजी.
- --:गिंडु तिलीमगीस मक्ष्यद्राप निधी हें। कि तिथी लिन में मिर्हा हो। मार्ड होसी हैं मार के पूर्व लिइ स्र क्रि (सिरोफ्न छड़ाप) मिक्र एता हो सिर्म । राष्ट्र इवरी व (2) स्ति । इस्ति ।
- (क) श्राधारभूत विज्ञान तथा मानविको;
- (ख) संकाय का आधार भूत विषय;
- (ग) उससे संबंधित क्षेत्र; तथा
- (घ) विश्रेष व्यविसायिक भीर या वृत्तिक विषय.

क्स लिए हो, सक्षम बनायेगा. [इशिस्ट ऋस्मिलापों के निष्णादन में, जिनके जिए उसने दिशेष पार्थ. न्ह : काष्ट्रा क्या में नारमित हो। मिल क्या क्या निवास कि किया निवास कि कि मिम के महिम एमिए राष्ट्र घोड़ मेर की कि ,गिंड़ लाए उसहार क हिंग कारों में छात्र की आधारभूत तथा उपयोज्य जान अजित करने

· . पृड़ीाम सिर्ज छाउनामड़े भिरान स्वर प्राप्त होता है। जिन्ह रामुगानम के प्राक्षं में जाल करियोह के क्रांध्रुष्ट आर्षड़ तरुक जिल्हा के से अपित कम है एक प्रतिहर में इस है मिक भीसत भीजत इ।रा अजित करने होंगे और विख्विद्यालय में पूरे किए गये सभी मन्सार विधिष्ट उपिष के लिए विस्पेम हारा विहित पाठ्यकम के किनाम नड़ीबी कि ज्ञाल पृत्री के न्त्रिक न्याप धीएए कार्तान

जाफ ग्राप प्रदान किया जाएगा. उर्कमोडीम र्स्घ रहै । तिलं रक तिलीख तिमीख इर्ध डडोई एक क्यीय रिप्त 28.8 में एक कि हाल रक्तांकितान्त्र रिक्ष है रार्क रक क्लीक क्सीक़ इक् उड़ीक रिक कड़ीक़ अहिर २९,६ में एक कि छाछ कठाएर अहर में तीर कि

(2) विश्वविद्यालय के तामांक छात्रों के किये ऐसे के किरिश्या, के किरिश्या के किरिश्या के किरिश्या के किरिश्या कि किरिश्या किरिश्य किरिश्या किरिश्या किरिश्या किरिश्या किरिश्या किरिश्या किरिश्य किरिश्या किरिश्य किरिश्य किरिश्य किरिश्य किरिश्य किरिश्य किरिश्या किरिश्य किरिश्य किरिश्य किरिश्य किरिश्य किरिश्य किरिश्य किरिश्य

-68. छातों के लिये विश्वविद्यालय छातावास.—(1) विश्व-विद्यालय, विश्वविद्यालय के मामांकित छातों के लिये एमे तथा ऐसो खावास सुविद्याकों को खबस्या तथा प्रवालन करेगा जैसी मंदल द्वारा विश्वविद्यालय में सर्वोत्तम हिंग में विविद्य समझी जाए.

(2) खण्ड (3) क उन्नन्ध के अध्यक्ष में एटी हुए ऐसा की कि कि कि (2) नामांकित छात, जो विश्वविद्यालय के छातानास या अपरास सुविधा में रहता है, विश्वविद्यालय को ऐसी छातानास की में भू के भू कारातित करेगा, जैसी मंडल द्वारा से मेंस्टर के आरम्भ होने के पूर्व अवधारित कार्य.

ड़ेन क्षेत्र काल क्ष्म कि ग्रंग कि क्ष्म काल का क्ष्म (१) । राक्ति के इंड है नामान के माना माना के हुन है हम्म

(४) प्रशासिक परिषट्, विशापिष्ट की सहभी सह कि शिवार (४)
ति के प्रशास के प्रशास के प्रशास के कि स्वाप्त का स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कि स्वाप्त का स्वाप्त स्वाप्त कि स्वाप्त का स्वाप्त स्वाप्त

(5) इस परियोग्यम के प्रयोजनाथ छाताचात कोत में भोजन स्थापनार सामार सामार सामाय छाताचा हो।

मन्यप्रहेशको राज्यशास के साम से तथा आहेशा नुसार, वियोग मिल्यो, वियोग मिल्यो

प्रीपाल, दिनांक 9 सितम्बर् 1987

क. वी. ५-5-87-वीरहे-दो.—मारत के विधान के सुरुष्ठेह 348 के खण्ड (3) के सनुसरण में, दृरिरा गोधी होणे विश्वीवालप शिवित्य, 1987 (स्मांक 20, स्नांमित (881) क्षेत्रो अनुवाद राज्याल के प्राविद्यारा प्रदृष्टा का प्राविद्या कि शावा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा बाहेशानुसार, विनोप मेहरा, िशोष सम्बद्ध

क क्यून बहुमत द्वारा गारत प्रस्ताव द्वारा विषयिवाल द्वारा गरत क्या में व्याप क्षा में व्याप क्ष

अध्याव बाठ--विश्वविद्यालय से संबंधित संगम (एसोसिएशन)

क लक्ष्य के मगम काछ केप्रतम किनो हरण । ताम का प्राथम विकास किनो हरण । ताम का प्राथम ।

ब्रह्माय नी--क्नमारियों को व्याचात ब्रब्स्या, छात्राचात तथा

Dibyete Hib hels

66. कम्बारियों की शावास अंवस्थात्या शन वास अवस्थाएं -66. कम्बारियों की शावास अंवस्थात्या शन वास अवस्थाएं (1) विश्वविद्यालय हारा झप्ते कमचारियों के लिये आवश्यक सृह
चित्रका विश्वविद्यालय के दिव्य कायकरण हेतु आवश्यक होना मंदल
हारा अवशारित किया जाय, अधिपाधित किए जा सक्ते, उनका निस्णि
किया जा सक्या जाका स्वामित्व लिया जा सक्या. प्रशासिक परिवर्द् जा सक्यात्या जनका स्वामित्व लिया जा सक्या. प्रशासिक परिवर्द् का सक्यात्या जनका उपयोग किया जा सक्यां के उचित प्रशासिक क्य क्य द्यारियों की आवास व्यवस्था सुवंधी विषयों के उचित प्रशासिक के क्ये विनियम बना सक्यों तथा आयोग कर सक्यों.

(2) प्रशासिक परिवर् द्वारो की गयी सिकारिश के अनुसार मंडल विश्वविद्यालय के कम्बारियों के लिये स्वास्थ्य, मनोर्जनात्मक तथा अन्य आनुष्णिक सुविद्याओं को अध्वस्था कर सकेगा. ऐसी सभी सुविद्याओं का प्रशासन, प्रशासनिक परिवर् द्वारा तैयार किए गए तदा अंगोकार किए गए विनियमों में किए गए उपवन्ध के अनुसार दिवा चाधेगा.

67. शति क किल क्यां क्य

में उस के प्रांति-तिर्म केसर में या उसरे मिला के पर में रहेगा; या

(ख) विश्वविद्यालय छातावास में या छातों रुं लिये अनुमोदित बास स्थान में रहेगा. इस तिवय १२ विद्या परिवद् हारा विनित्यम बनाये जाये गे.

Bhopal, the 9th September 1987

No. B-4-5-37-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Indira Gandhi Krishi Vichwa Vidyalaya Adhiniyam, 1987 (No. 20 of 1987), the State Government hereby makes the following first Statutes, namely:—

THE INDIRA GANDHI AGRICULTURE UNIVERSITY, RAIPUR STATUTES, 1987

TABLE OF CONTENTS

Statutes :.

CHAPTER I-GENERAL

- 1. Short title and commencement.
- 2. Definitions.

CHAPTER II—OFFICERS OF THE VISHWA VIDYALAYA

A-Other Officers

- 3. Other Officers.
- B-Appointment of officers of the Vishwa Vidyalaya other than the Chancellor and Vice-Chancellor
 - 4. Qualification for posts of officers.
 - 5. Selection Committees for appointment of officers, teachers and service personnel.
 - 6. Procedure of Selection Committee.
 - 7. Procedure for appointment.
- C-Emoluments, terms and conditions of service and powers and duties of the Vice-Chancellor
- 8. Emoluments and other terms and conditions of service of the Vice-Chancellor.
- D—Emoluments, terms and conditions of service and powers and duties of officers of the Vishwa Vidyalaya other than Chancellor and Vice-Chancellor
- 9. Conditions of service, etc., of other officers.
- 10. Comptroller—Emoluments and powers and duties.
- Deputy Comptroller—His emoluments, powers and duties.
- 13. Registrar—Emoluments and powers and duties.

Statutes :

- Dean of Student Welfare—Emoluments and powers and duties.
- Director of Research Services—His emoluments and powers and duties.
- Director of Extension Services—His emoluments, powers and duties.
- 16. Director of Instructions—His emoluments, powers and duties.
 - Superintendent of Physical Plant—His emoluments and powers and duties.
 - 18. Powers and duties of Deans of Faculties.
 - Dean of College—His emoluments, powers and duties.
 - Vishwa Vidyalaya Librarian—His emoluments and powers and duties.

CHAPTER III—AUTHORITIES OF THE VISHWA VIDYALAYA

- 21. Board.
- 22. Academic Council.
- 23. Faculties.
- 24. Other Authorities.
- 25. Administrative Council.
- 26. Extension Education Council.
- 27. Research Council.
- 28. Council of Post-graduate Studies.
- 29. Committees of the Authorities of the Vishwa Vidyalaya.
- 30. Travelling Allowance and Daily Allowance payable to members of authorities.

CHAPTER IV—EMPLOYEES OF THE VISHWA VIDYALAYA

A-Teachers of the Vishwa Vidyalaya

- 31. Vishwa Vidyalaya Teachers.
- Qualifications for teachers of the Vishwa Vidyalaya.
- Scales of pay of teachers and other terms and conditions of their services.



Statutes:

B-Heads of Departments, Heads of Research Station and Heads of Field Extension Unit

- 34. Responsibilities and duties, etc., of Head of Department.
- C—Other employees of the Vishwa Vidyalaya and their conditions of Service, etc.
- 35. Service personnel.

D-General

- 36. Additional work of Vishwa Vidyalaya employees.
- 37. Leave.
- 38. Emoluments of a retired employee.

CHAPTER V-PROVIDENT FUND, GRATUITY, ETC.

- 39. Definitions.
- 40. Administration of Fund Account and Audit.
- 41 (1) Subscription to the Fund;
 - (2) Rate of Subscriptions;
 - (3) Subscription of an Employee on Leave;
 - (4) Vishwa Vidyalaya's Contribution.
- 42. Interest.
- 43. (1) Withdrawals from the fund and recoveries
 - (2) Conditions for withdrawal for Various Purposes;
 - (3) Repayment of amounts withdrawn.
 - (4) Conversion of an advance into Part-Final Withdrawal.
- Payment of amount standing to the credit of the subscriber.
- 45. Nominations.
- 46. Agreement to be executed by subscriber.
- 47. Expenses of the Fund.
- 48. Powers of the Committee.
- 49. Provident Fund to be free from all liability.
- 50. Gratuity.

Statutes .

, Å .

CHAPTER VI—ACADEMIC PROGRAMMES, ADMISSIONS, PERFORMANCE

A-Organisation of Teaching

- 51. Academic Programmes-Definitions.
- Vishwa Vidyalaya Calendar: Academic Year, Semesters, Annual Catalogue.

B-Student Admissions, Performance

- Qualifications for student admission to the Vishwa Vidyalaya.
- 54. Credit for previous studies and experiences.
- 55. Evaluation of students performance.
- 56. Student-Probations and dismissals.
- Extra-curricular activities of students, Vishwa Vidyalaya activities, employment.

C-Scholarships, Loan Funds, and Student Fees

- Vishwa Vidyalaya Scholarships and Student Loan Funds.
- Student Fees, Registration, Course, Laboratory and others.

CHAPTER VII—VISHWA VIDYALAYA DEGREES, DIPLOMAS, AWARDS

- 60. Bachelor Degrees, kinds and requirements.
- 61. Advanced Degrees; kinds and requirements.
- 62. Honorary Degrees.
- 63. Diplomas, Medals and Certificates.
- 64. Withdrawal of Degrees, Diplomas, etc.

CHAPTER VIII—ASSOCIATIONS RELATED TO VISHWA VIDYALAYA

65. Alumni Association.

CHAPTER IX—STAFF HOUSING, STUDENTS HOSTELS AND OTHER ACCOMMODATIONS

- 66. Employee Housing and other Accommoda-
- Student quarters, Cafeterias and other accommodations for students.
- 68. Vishya Vidyalaya Hostels for students.



STATUTES

CHAPTER I-GENERAL

- 1. Short title and commencement.—(1) These Statutes may be called the Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidyalaya, Raipur Statutes, 1987.
 - (2) They shall come into force on the.....
- 2. Definitions.—In these Statutes, unless context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidyalaya Adhiniyam, 1987;
 - (b) "Section" means a section of the Act;
 - (c) Words and expressions used but not defined in these Statutes, and defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

CHAPTER II-OFFICERS OF THE VISHWA VIDYALAYA

A-Other Officers

- 3. Other Officers.-In addition to the officers mentioned in clauses (1) to (6) of Section 11, the following shall be the officers of the Vishwa Vidyalaya :---
 - (1) Superintendent of Physical Plant.
 - (2) Vishwa Vidyalaya Librarian.

B-Appointment of officers of the Vishwa Vidyalaya, other than the Chancellor and Vice-Chancellor.

- 4. Qualifications for posts of officers.—Qualifications required of candidates for appointments to the posts of University Officers other than those of , the Chancellor and Vice-Chancellor shall be fixed by the Board or the appropriate appointing authority, as the case may be, taking into consideration the recommendations of—(a) the Administrative Council in the case of Registrar, Comptroller, Superintendent of Physical Plant and Dean of Student Welfare, and (b) the Academic Council in respect of the remaining officers. The prescribed qualifications shall be given due publicity and the Selection Committee shall select the candidates to such offices with due regard to the qualifications so prescribed.
 - 5. Selection Committees for appointment of officers, teachers and service personnel.-Anticipating a vacancy, the Vice-Chancellor shall; get a Selection Committee constituted consisting of members as detailed below for selecting candidates to be recommended for appointment to officers

other than those of the Chancellor and the Vice-Chancellor:-

Designation of the post

Composition of Selection Committee

(2)

(1)

(a) Director of Research Services.

(i) One member nominated by the Department of Agriculture of the

Director of Extension Services. Director Instructions.

State Government. (ii) One expert member representing the Union Ministry of Agriculture to be nominated

by the

of India.

Deaprtment of

Agricultural Re-

search and Educa-

tion, Government

Associate Directors Research.

(iii) One member from the Academic/Ad ministrative Council nominated by the Vice-

Deans of Colleges Superintendent of Physical Plant.

Comptroller.

Registrar.

Librarian

Chancellor. (iv) & (v) Two expert members from outside the Vishwavidyalaya to be nominated by the Vice-Chancellor.

Dean of the Fac-(vi) ulty or the Direc tor to be nominated by the Vice-Chancellor depending upon the nature of the post.

(vii) Vice-Chancellor or his nominee-Chairman.

(viii) Registrar shall be the Secretary.

(1)

(c) Assistant Librarian, College Librarian, Technical Asstt. (Lib.), Agriculture Assistant, Farm Superintendent, Dairy Manager, Foreman, Lady Extension Teacher, Extension Assistant and similar nonteaching technical and field staff posts. (2)

- (1) Chairman.-to be nominated by the Vice-Chancellor according to the nature of the post.
- (2) Dean/Director/ Librarian to be mominated by the Vice-Chancellor.
- (3) Head of the Department concerned.
- (4-5) Two expert member from outside the Vishwa Vidyalaya to be nominated by the Vice-Chancellor.

Registar or Deputy Registrar-Secretary

(d) Deputy Registrar, Deputy Comptroller, Assistant Comptroller, Assistant Registrars, Executive Engineer, Accounts Officer, Audit Officers, Assistant Engineer, Junior Engineer, Medical Officer and such other technical posts. Technical Officers to Deans of Faculties, Section Officers and other similar posts.

not covered by the .

above.

1 W. S. W. Stoney St. W.

- (1) Vice-Chancellor . (or his nominee) -Chairman.
- (2) Registrar.
- (3) Comptroller.
- (4-5) Two members to be nominated by the Vice-Chancellor according to the nature of the post to be filled
- (6) One member not connected with the ·Vishwa Vidyalaya . to be nominated by the Vice-Chancellor.
- (e) Ministerial posts (except those of Section Officers) in the man. The section of the section various officers of the
 - (1) Registrar (or his nominee)—Chair-
 - Vishwa Vidyalaya. (2) One Assistant Res., gistrar to be nominated by the Vice-Chancellor.

(1)

- (3) One officer to be nominated by the Comptroller from his office.
- (4-5) Two officers to be nominated by the Vice-Chancellor from any of the Faculty/Directorate/Department.

Note.—This committee will deal with the appointments on posts at the point of entry into service and also with promotion to higher posts.

- (f) Ministerial/Technical posts located at the point of entry into service like Lower Division Clerk, D.K. II, Laboratory Assistant in the Institutions like Colleges, Research Stations, etc.
- (1) Dean of College/ Officer-in-Charge of the Institution-Chairman.
- (2-3) Two senior members nominated by the Dean of Faculty/Director concerned from the Institution/ Department where the post is to be filled up.
- (4) One teacher of the College or officer equivalent to be nominated by the Dean of College/ Officer-in-Charge by rotation.
- (g) Technical Posts (Non-Ministerial) in various offices of the Vishwa Vidyalaya.

they be set a

AND MANAGEMENT OF THE OWNER.

- (1) Registrar (or his nominee). Chairman.
- (2) One officer to be nominated by the Comptroller from. his office.
- nominated by the Vice-Chancellor from any of the . Faculty/Directorate/Department

- The residence of the second

Note.—This Committee will only deal with the appointments on posts at point of entry into service and also with promotion to higher posts.

(1)

(2)

- (h) Departmental Promotion Committee in case of Ministerial staff (including all Ministerial Staff in the Vishwa Vidvalaya up to Assistants).
- (1) Registrar—Chairman.
- (2) Comptroller— Member,
- (3-4) Two officers to be nominated by the Vice-Chancellor from within the Vishwa Vidyalaya.
- (5) One officer not connected with the Vishwa Vidyalaya to be nominated by the Vice-Chancellor.

(Note.—In case of promotion to technical posts carrying the scale equivalent to ministerial staff, Chairman of the Promotion Committee will be the appointing authority.)

Note.—The quorum for every Selection Committee under clauses (a) to (h) of Statute No. 5 shall be of half the total number of members plus one.

6. Procedure of Selection Committee,-(a)(i) All posts of Officers of the Vishwavidyalaya as detailed under section 11 of the act and Statute 3 (except those of the Chancellor and Vice-Chancellor, Deans of Faculties) and teachers (as defined under section 2 (x) of the act and detailed in Statute 31) shall be filled by Selection based strictly on merit through All India advertisement. The employee of the Vishwavidyalaya possessing the prescribed qualifications shall be eligible to apply and their applications shall be considered alongwith those of other candidates. However, the posts of Director Research services, Director of Extension Services, Director Instructions, Deans of Colleges and Dean Student Welfare shall be inter transferable provided the requirements of minimum qualifications laid down for the post are fulfilled.

the the se section to be seen to be seen as the second

The Scheme of pay revision and fixation of pay and other measures for maintenance of standards in Agriculture Education to the Officers, Teachers, Librarians, PTI and Sports Officer working in the Agricultural Universities of the State shall be in accordance with the orders of the State Government, Agriculture Deptt., Mantralaya implemented on the recommendation of Govt. of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Research and Education from time to time.

(iii) In case of recruitment to the posts of nonteaching Service Personnel including the officers of Class-I, Class-III and Class-III, as specified in Regulation No. 4(III) of the JNKVV Services (General Conditions of Service) Regulations, 1969 (except those at the point of entry to service), two-third out of the total number of vacant posts shall be filled-up by promotion from amongst the employees of the Vishwa Vidyalaya and the remaining one-third posts shall be filled-up by selection based strictly on merit and advertisement, other than that contemplated below in sub-clause (B), or on the names of eligible persons being sponsored by the M. P. State Employment Exchange. The employees of the Vishwa Vidyalaya possessing the prescribed qualifications shall be eligible to apply and their applications shall be considered alongwith those of other candidates. The Selection shall ordinarily be made either by holding interviews or by holding competitive examinations, as the Selection Committee may decide:

Provided that for class-II and above posts in the works section of the Vishwa Vidyalaya, 60% quota shall be fixed for promotion from amongst the employees of the Vishwa Vidyalaya and 40% quota for direct recruitment through advertisement. In case the nature of vacancy is such that the Vishwa Vidyalaya may not be able to recruit the desired type of person either from the promotion quota or by direct recruitment through advertisement, the Vice-Chancellor may obtain the services of a suitable person on deputation from the Government of Madhya Pradesh.

(b) In case of direct recruitment through advertisement the applications received in response to the advertisement: shall first be scrutinised by a Committee to be appointed by the Vice Chancellor, which shall recommend, to the Vice Chancellor, the names of those applicants who fulfil the prescribed qualifications, for being considered for the post. The screening committee shall also recommend to the

The state of the s

Vice-Chancellor, for being called for interview, the names of those candidates whose qualifications are within the possibilities of relaxation by the Selection Committee. The applicants so recommended by the aforesaid committee and approved by Vice-Chancellor—shall be called for an interview by the Selection Committee. In case of selection for the posts of Professors and Associate Professor, the Selection Committee may, in the manner as may, be prescribed by the Board from time to time, at its discretion, also consider in absentia in the candidature of such applicants as are abroad on the date of interview.

The Selection Committee shall recommend a panel of not more than three names arranged in order of merit, for each vacancy, to the Vice Chancellor.

- (c) In case of recruitment by promotion from amongst the Vishwa Vidyalaya employees, the Vishwa Vidyalaya shall determine in respect of each grade or service to which appointment may be made by promotion, the grade or service from which such promotion may be made. The Selection Committee shall scrutinize the service record, qualification and professional attainments, etc. of all employees in the concerned grade or service from which promotion is to be made and shall recommend a panel of not more than three names for each vacancy, arranged in order of merit-cum-seniority.
- 7. Procedure for appointment.—(1) The panel of recommendees in order of merit prepared in accordance with Statute 6 (a), 6 (b) and 6 (c) shall be submitted by the Vice-Chancellor to the appointing authority, with his own recorded recommendations.
- (2) The appointing authority may accept and approve the recommendations or return the recommendations refusing to accord approval, giving reasons in writing thereof, in which case the Vice-Chancellor shall, in due course present another panel of recommendees in order of merit to the appointing authority in accordance with the Statutes 6 (a), 6 (b) and 6 (c).
- (3) Subject to the provisions of Statute 6 (a) the appropriate appointing authority may make an ad hoc appointment in any emergency for a period of not more than six months. Such an ad hoc appointment extending beyond a period of six months will require the approval of the Board.

- C-Emoluments, terms and conditions of service and powers and duties of the Vice-Chancellor
- 8. Emoluments and other terms and conditions of service of the Vice-Chancellon—
- 8(1)(a) The Vice-Chancellor shall receive a salary as approved by the State Govt. from time to time.

(b) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefits of the Vishwa Vidyalaya Provident Fund:

Provided that if a person already in service of the Vishwa Vidyalaya is appointed as Vice-Chancellor, he shall be allowed to continue to subscribe to his Provident Fund and the contribution of the Vishwa Vidayalaya will be limited to what he had been contributing prior to his appointment as Vice-Chancellor.

- (2) The Vice-Chancellor shall be entitled to receive Travelling Allowance at the rates prescribed in the Travelling Allowance Rules fixed by the Board and also Medical reimbursement as per Vishwa Vidyalaya Rules.
- (3) (a) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay for 1/11th of the period spent on active service. He may avail himself of this leave whenever he finds it necessary to do so during his tenure and report the same to the Board:

Provided that he will cease to earn such leave when the leave due to him amounts to ninety days. The Vice-Chancellor shall be entitled for surrender and encashment of earned leave and all other leave privileges as are granted by the Vishwa Vidyalaya to its officers.

- (b) In addition to the leave noted in sub-clause (a), the Vice-Chancellor shall be entitled in case of illness or on account of private affairs to leave without pay for a period not exceeding three months during the period of his tenure, provided that leave taken without pay may be subsequently transformed into leave on full pay to the extent to which leave may have become due under sub-clause (a) above.
- 4. Powers of Vice-Chancellor.—The Vice-Chancellor shall have the power :—
 - (a) to sanction recurring and non-recurring expenditure within the approved budget of the Vishswa Vidyalaya provided he may reappropriate amounts within the various units of appropriation;
 - (b) to countersign his own T.A. bills and medical reimbursement bills subject to the provisions of the Vishwa Vidyalaya Rules;
 - (c) to open account on behalf of the Vishwa Vidyalaya in the Scheduled Bank in accordance with sub-section (3) of Section 36 of the Act and to authorise any drawing and disbursing officer of the Vishwa Vidyalaya to operate such an account;
 - (d) to countersign T.A. bills and sanction absence of duty beyond jurisdiction of officers of the University;
 - (e) to grant leave as per delegation of powers.

D—Emoluments, terms and conditions of service and powers and duties of officers of the Vishwa Vidyalaya other then Chancellor and Vice-Chancellor.

- 9. Conditions of service etc. of other officers.—
 (1) Subject to the provisions of the Act and the Statutes hereinafter made the conditions of service of the officers of the Vishwa Vidyalaya other than the Chancellor and Vice-Chancellor shall be those embodied in the contract of service prescribed by the Vishwa Vidyalaya for officers.
- (2) The Board, may, if so recommended by the Selection Committee and for reasons to be recorded in writing for acceptance of such recommendations,

sanction a higher initial salary than prescribed by these Statutes, but not exceeding five advance increments to any candidate.

(3) All officers mentioned in clause (1) shall be whole-time salaried officers of the Vishwa Vidyalaya and shall be entitled to leave, leave salary, allow-ances, and other benefits as prescribed in this behalf by the Board from time to time for its employees:

Provided that if a candidate from outside the services of the Vishwa Vidyalaya is appointed for posts of Deans of Colleges and Directors, the period of his appointment shall be for such a tenure and subject to such conditions as may be determined by the Vice-Chancellor. Such a candidate unless selected for another suitable post during the prescribed tenure will have no claim on any other post in the Vishwa Vidyalaya after the expiry of the specified tenure. The Vice-Chancellor shall have powers to suitable curtail/reduce such tenure depending upon the exigencies and convenience of administration.

- (4) All officers except the Chancellor and the Vice-Chancellor of the Vishwa Vidyalaya mentioned under Section 11 of the Act, teaching staff of the Vishwa Vidyalaya as defined under Statute 31 of the Vishwa Vidyalaya Statutes, non-teaching service personnel of class I, class II, class III and class IV categories as detailed in Regulation No. 4 of the JNKVV Services (General Conditions of Service) Regulations, 1969 shall be entitled to be in service of the Vishwa Vidayalaya until they complete the age of 60 (sixty) years, provided that—
 - (i) All Vishwa Vidyalaya employees may, in the public interest or in the Vishwa Vidyalaya interest be retired at any time after they attain the age of 57 years or 27 years of qualifying service, on three months notice without assigning any reason or on payment of three months pay and allowances in lieu of such a notice;
 - (ii) There shall be a Technical Evaluation Committee headed by Vice-Chancellor, two experts from outside the University in the concerned discipline nominated by the Vice-Chancellor, one representative of the State Government and one representative of the I.C.A.R., to evaluate each person at the age of 35/45/55 years respectively. On the basis of evaluation the said Committee will decide about the continuance or the retirement of the person concerned.

- Similarly, there shall be an evaluation committee for Administrative Officers (Asstt. Registrar and above) under the Chairmanship of the Vice-Chancellor. The other members of the committee shall be a representative of the State Government and Director of Agriculture. The screening will be done on attaining of age 55 years;
- (iii) The cases of such persons as have been re-employed in the Vishwa Vidyalaya Service, after retirement from Government Service, shall be governed by the terms and conditions of their re-employment in the Vishwa Vidyalaya Service; and
- (iv) Provided also, that such re-employed persons shall not be continued in the Vishwa Vidyalaya service beyond the age of 60 years.
- 10. Comptroller-Emoluments and powers and duties.
- 10(1) The Comptroller shall receive a salary in the scale as approved by the State Govt. from time to time.
 - (2) In addition to the powers exercised by him under clause (a), (b) and (c) of sub-section (3) of Section 19, the Comptroller shall also exercise the following powers, namely:—
 - (a) he shall be responsible for the preparation of the financial estimates and for its presentation to the Board under Section (39) 33 of the Act;
 - (b) he shall receive income and fees, disburse payment and be responsible for the day-to-day financial transactions of the Vishwa Vidyalaya and for the proper accounting thereof and all incidental matters including correspondance relating thereto;
 - (c) he shall exercise such other power as may be prescribed by the Statutes and Regulations or as may be required, from time to time, by the Board or the Vice-Chancellor with respect to matters pertaining to accounts and finances of the Vishwa Vidyalaya for which he shall be directly responsible to the Vice-Chancellor;
 - (d) he shall attend the Board meeting as and when required to do so for the purpose of fulfilling his responsibilities and duties envisaged in Section 19 (3) of the Act, (1987).

- (3) The receipt of the Comptroller or of the person or persons duly authorised in writing in this behalf by the Board for any money payable to the Vishwa Vidyalaya shall be full discharge for the same.
- 11. Deputy Comptroller, his emoluments, powers and duties.—(1) The Deputy Comptroller shall be a whole time salaried officer and shall be appointed by the Vice-Chancellor as provisions in the relevant Statutes.
 - 11(2) The Deputy Comptroller shall receive a salary the scale as approved by the State Govt. from time to time

- (3) The Deputy Comptroller shall perform such functions and duties including those pertaining to accounts and finances of the Vishwa Vidyalaya as may be assigned to him from time to time by Statutes, regulations, delegation of powers and by the Comptroller and the Vice-Chancellor and in respect of such functions or duties assigned to him, the Deputy Comptroller shall be directly responsible to the officer concerned.
- 12. Registrar Emoluments and powers and duties.
- 12(1) The Registrar shall receive a salary in the scale as approved by the State Govt. from time to time.
 - (2) It shall be the duty of the Registrar,-
 - (a) to be responsible for the preparation of the annual report under Section 41 of the Act;
 - (b) to be custodian of the records, common seal, and such other property of the Vishwa Vidyalaya as the Board shall commit to his charge;
 - (c) to issue all notice convening meetings of the Board, Academic Council and of any committees or bodies appointed under the Act of the Vishwa Vidyalaya of which he is to act as Secretary;

102

- (d) to keep the minutes of all meetings of the Board, the Academic Council and of any committees or bodies appointed under the Act of which he is to act as Secretary;
- (e) to conduct the official correspondence of the Board and the Academic Council except matters pertaining to finances of the Vishwa Vidyalaya and matters incidental thereto falling within the ambit of Comptroller's duties;
- (f) to administer Statutes of the Vishwa Vidyalaya with respect to admission of students and their continuance as such;
- (g) to prepare time schedule for academic courses as recommended by the Faculties and plan and direct the admission of students for various courses and record transfers and drop-outs as recommended by the Faculties;
- (h) to maintain records of each student of the Vishwa Vidyalaya including academic accomplishment, conduct as a student, and all other matters which bear on the accomplishments and conduct of the student;
- (i) to maintain records on non-student attendants in Vishwa Vidyalaya programmes, as designated by the Director of Extension Services;
- (j) to maintain records of Graduates of the Vishwa Vidyalaya;
- (k) to discharge such other functions as may be assigned to him from time to time by the Vice-Chancellor to whom he shall be responsible for the same.
- 13. Dean of Student Welfare-Emoluments and Powers and fluties.
- 13(1) The Dean of Student Welfare shall receive a salary in the scale as approved by the State Govt. from time to time.
- (2) It shall be the unity of the Dean of Student Welfare—
 - (a) to plan and direct, in co-ordination with other Vishwa Vidyalaya. Officers and authorities, all non-curricular activities for student including clubs, recreation centres, cooperatives, etc., as may from time to time be approved by the Vishwa Vidyalaya for Welfare of students;

- (b) to supervise the management of students hostels, messing arrangements and cafeterias;
- (c) to co-operate with the staff in charge of physical education activities, National Cadet Corps and other allied activities;
- (d) to deal, in consultation with the Dean of the Faculty concerned, with student indiscipline, excessive absenteeism and other student irregularities from point of view of maintenance of discipline etc.;
- (e) to supervise health programmes and medical facilities for student;
- (f) to make arrangements for scholarships, stipends, part time employments and other such assistance as may be deemed necessary for welfare of students;
- (g) to communicate with guardians of students concerning the welfare of the students;
- (h) to be responsible to the Vice-Chancellor in the exercise of powers and discharge of duties under the Act;
- (i) to co-operate and assist the Employment Bureau in the matters of employment of the students who have completed courses in Vishwa Vidyalaya.
- 14. Director of Research Services his emoluments and powers and duties.—(1)
 - 14(1) The Director of Research Services shall receive a salary in the scale as approved by the State Govt. from time to time
- (2) The Director of Research Services shall be appointed on such term as the Board may approve.
- (3) It shall be the duty of the Director of Research Services—
 - (a) to exercise overall control of the planning and prosecution of research conducted by the Vishwa Vidyalaya, excepting research done by students to meet degree requirement and by teachers of the Vishwa Vidyalaya to improve teaching ability.
 - (b) to prepare Research Service Programmes and annual budget estimates as may be required by the Vishwa Vidyalaya;

- (c) to assist the Dean concerned in the supervision over the members of the College staff engaged on approved research programmes under the general perview of the research service;
- (d) to require and supervise the compilation of research result, and the proper publication of the research findings;
- (e) to approve for publication, in consultation with Deans concerned, research manuscripts in such general form and such number as may be determined;
- (f) to assign numbers to all publications and to maintain official record of all publications;
- (g) to be responsible to the Vice-Chancellor in exercise of the powers and discharge of the duties under the Act;
- (h) to undertake teaching work;
- (i) to perform such other duties as may be conferred or imposed on him by Statutes, Regulations or by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board.
- 45. Director of Extension Services—his emoluments, powers and duties.—
- 15(1) The Director of Extension Services shall receive a salary in the scale as approved by the State Govt. from time to time.
- (2) The Director of Extension Services shall be appointed on such term as the Board may approve.
- (3) It shall be the duty of the Director of Extension Services—
 - (a) to exercise overall control of on-campus and off-campus educational work involving culti-
 - (b) to prepare yearly programmes and budget needs for the education of cultivators and other non-students in connection with the extension scheme;
 - (c) to assist the Deans of Faculties in developing courses and in teaching students in various forms of the extension education;
 - (d) to supervise off-campus programmes dealing with regricultural co-operatives and rural youth programmes;
 - (e) to exercise supervision over the extension specialists assigned or attached to the Colleges and such other members of the staff

- who are engaged in extension work and guide the extension work;
- (f) to direct the preparation of materials such as publication, film, etc., for better development of the extension programme;
- (g) to distribute any material as a part of the Vishwa Vidyalaya Extension Services;
- (h) to be responsible to the Vice-Chancellor in the exercise of powers and discharge of duties under the Act;
- (i) to undertake teaching work.
- (j) to perform such other duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes, Regulations or by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board.
- 16. Director of Instructions—his emoluments, powers and duties.—

 16(1) The Director Instructions shall receive a salary in the scale as approved by the State Govt. from time to time.
- (2) The Director Instructions shall be appointed on such terms as the Board may approve.
- (3) It shall be the duty of the Director Instructions—
 - (a) to be in overall charge of the Education in all the Faculties of the Vishwa Vidyalaya and allied subjects;
 - (b) to frame, develop, evaluate and improve courses and curriculum and develop teaching

 procedure designed to inculcate in the students professional competence, character and quality of leadership in consultation with the Dean of Faculty concerned;
- (c) to ensure uniform standard of teaching and examination in all constituent colleges of Vishwa Vidyalaya;
- (d) to develop an integrated system of teaching, research and extension education and to coordinate the teaching work of different Faculties;
- (e) to make arrangements for providing in-service and post-graduate training facilities to academic staff members of constituent colleges, Research Stations/Farms;
- (f) to exercise overall control of the planning and co-ordination of work done by the students of the Vishwa Vidyalaya in preparation for the requirements of post-graduate degrees;

- (g) to co-operate with the relevant college faculty in which post-graduate students are studying in order that the requirements for such degrees may be fulfilled in proper manner;
- "(h) to be responsible to the Vice-Chancellor in exercise of powers and discharge of duties under the Act;
- (i) to undertake teaching work;"
- emoluments and powers and duties.
- 17(1) The Superintendent of Physical Plant shall receive a salary in the scale as approved by the State Govt. from time to time.
- Provided that when the salary of a person is drawn from the State Government or any other agency on deputation, his pay shall be fixed in accordance with the concerned regulation.
- (2) It shall be the duty of the Superintendent of Physical Plant—
 - (a) to exercise overall control of the Vishwa Vidyalaya maintenance, security of Vishwa Vidyalaya buildings, gardens, grounds and the parks;
 - (b) to supervise the supply of electricity, water, telephone and other such services and the operation and maintenance of Vishwa Vidyalaya vehicles;
 - (c) to direct operations providing for the cleanliness and sanitary conditions of the Vishwa Vidyalaya;
 - (d) to provide for the installation, use and maintenance of Vishwa Vidyalaya equipments, in co-operation with other officers;
- (e) to supervise the allotment and uses of rooms, houses, buildings and grounds as directed by appropriate authorities and officers;
- (f) to direct the plans for, construction and/or alterations of Vishwa Vidyalaya buildings and grounds as ordered by Board;
- (g) to perform such other duties as may be assigned to him by the Vice-Chancellor and Board, for the proper functions of the physical facilities of the Vishwa Vidyalaya.
- 18. Powers and duties of Deans of Faculties.—

 (1) The Dean of the Faculty concerned shall be appointed on such terms as approved by the

- Chancellor on the recommendations of the Vice-Chancellor from amongst the Deans of Colleges in that Faculty for a period of three years. The Vice-Chancellor shall have powers to curtail/reduce this period depending upon the exigency of service and convenience of administration.
- 18(2) The Dean of Faculties shall receive a salary in the scale as approved by the State Govt. from time to time.
- (3) The Dean of the Faculty shall-
- (a) be the Chairman of the Faculty and shall be responsible to the Vice-Chancellor for the administration and execution of Faculty Policies;
- (b) be responsible for the due observance of the Statutes and other regulations relating to the Faculty;
- (c) formulate and present policies to the Faculty for their consideration without prejudice to the right of any member to present any matter before the Faculty;
- (d) be responsible to organise, advise, guide and conduct matters relating to the policies and programmes related with teaching/research/ extension, curricula, courses course outlines, examinations, registration and admission etc., in the Faculty and act as the Chief Adviser to the Vice-Chancellor and other concerned officers in this connection;
- (e) serve as the medium of communication for all official business of the Faculty with other authorities of the Vishwa Vidyalaya, Colleges, students and the public;
- (f) perform such other duties as or assigned to him by the Vice-Chancellor.
- 19. Dean of College—his emoluments, "powers and duties,"
 19(1) The Dean of the College shall receive a salary in the scale as approved by the State Govt. from time to time.
- (2) The Dean of the College shall be appointed in accordance with Statute 6(a) (i).
 - (3) It shall be the duty of the Dean of College-
 - (a) to exercise overall control of the Gollege of which he is the administrative and academic head in respect of all employees, students, activities, facilities and the expenditure incurred therein;

- (b) to supervise the teaching, research and extension work of the staff of the college and be responsible for the work and conduct of all the students of the college;
- (c) to be responsible to the Vice-Chancellor through the Dean of the Faculty and the Director concerned, in exercise of the powers and discharge of duties under this Statute;
- (d) to exercise such powers and discharge such duties as may be delegated or entrusted to him by the Vice-Chancellor in regard to the College of which he is the Dean and to be responsible in all Technical and Administrative matters related to teaching, research and extension etc. through the Dean of the Faculty and the Director concerned;
- (e) to undertake teaching, research and extension by himself;
- (f) he shall be responsible for the due observance of the Statutes and regulations;
- (g) he shall supervise the registration and progress of the students in his college;
- (h) he shall formulate and present policies on academic matters pertaining to his college to the Faculty/Academic Council for consideration through the Dean of Faculty/Director of Instructions;
- (i) he shall be responsible for proper administration of Research Station/Instructional Farm/ Institutions attached to the college;
- (j) he shall be also responsible to the concerning authorities for the use and maintenance of lands, buildings, laboratories, libraries and such other properties of the college, the Research Station/Instructional Farm and other institutions attached to the college;
- (k) he shall be responsible for the maintenance, supervision, functioning of the hostels of the college;
- to be responsible for the procurement of stores, equipments and such other items as are necessary for the college and units attached with the same;
- (m) to be responsible for the maintenance of high standard of discipline in the institutions under him;

- (n) to be responsible for the maintenance of high standard of financial discipline in the institutions under him;
- (o) to assist the Dean of the Faculty for all policies and programmes related to teaching, research and extension work in the College on co-ordinated basis;
- (p) to prepare proposals for College activities and budget estimates for the needs thereof and be responsible to the Comptroller through the Vice-Chancellor, that all college activities are in accordance with sanctions of the appropriate authorities;
- (q) to assist the Director of Research Services on the development of plans and budgets for research in the pertinent subjects and in the preparation of reports as may be asked by him and also direct the research work done by the College staff and students and under the schemes attached with the institutions under him;
- (r) (i) to assist the Director of Extension Services on development of plans and budgets for extension work in the institutions under him;
- (ii) to assist the extension services on the development of informational materials; and
- (iii) to direct the extension education work done by the College staff;
- (s) to assist the Director of Instructions and direct the works of post-graduate students in his college;
- (t) to be responsible to the Vice-Chancellor, through the Superintendent of Physical Plant for the educational use of the buildings and rooms assigned to the college and for the general equipment of the college;
- (u) to perform such other duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes, Regulations or by the Vice-Chancellor.
- 20. Vishwa Vidyalaya Librarian—his emoluments and powers and duties.—
 20(1) The Vishwavidyalaya Librarian shall receive a salary in the scale as approved by the State Govt. from time to time.

(2) It shall be the duty of the Vishwa Vidyaraya Librarian—

(a) to maintain, control and supervise all libraries of the Vishwa Vidyalaya and to organise their

- rices in the manner most beneficial to the
- (b) to prepare annual budget for developing and operating all the libraries under the Vishwa Vidyalaya;
- (c) to receive and co-ordinate recommendations from Deans and Directors for the purchase of books and distribution thereof amongst students and members of the staff;
- (d) to make recommendations to the Comptroller, through the Superintendent of Physical Plant, on the need of improvement in accommodation of the libraries of the Vishwa Vidyalaya;
- (e) to do such other things in connection with the library and improvement thereof as may be required by the Vice-Chancellor.
- Explanation.—For the purposes of this Statute "Libraries of the Vishwa Vidyalaya" shall include libraries of the Vishwa Vidyalaya campus and all libraries attached to the colleges and institutions under the Vishwa Vidyalaya.
- Note,—The Vice-Chancellor may ask any of the officers mentioned in the foregoing Statute or others, hereinafter mentioned, to discharge such other function in addition to his own duties.

CHAPTER III—AUTHORITIES OF THE VISHWA VIDYALAYA

- 21.—Board, (1) The Chancellor shall, by notification, constitute the Board in accordance with the provisions of Section 26 of the Act.
- (2) As laid in sub-section (4) of the Section 26 of the Act, the members of the Board (other than ex-officio members) nominated or elected as the case may be, shall, subject to the provisions of Section 55 of the Act, hold office for a term of three years. The term shall commence from the date on which their nomination or election is published in the "Madhya Pradesh Gazette".
- 22. Academic Council.—(1) Three teachers to be elected under item (v) of sub-section (1) of Section 29 shall be elected by ballot as follows:—
 - (a) One member shall be elected by the Faculty of Agriculture from amongst its members;

- (b) One member shall be elected by the Faculty of Veterinary Science & Animal Husbandry from amongst its members;
 - (c) One member shall be elected by the other Faculties, if any, from amongst their members, by rotation, as may be determined by the Vice-Chancellor.
 - (d) The tenure for the elected members of Academic Council from various faculties of the Vishwavidyalaya shall be 3 years.
- (2) Academic Council shall, by regulations, provide for the development of curriculum and syllabi by various Faculties in accordance with the objectives of the Faculty and the Degree requirements of the Vishwa Vidyalaya. Such regulations shall also provide that proposals of the Faculties shall be subject to the approval of the Academic Council.
- 23. Faculties.—(1) The Vishwa Vidyalaya shall have the following Faculties, namely:—
 - (i) Faculty of Agriculture.
 - (ii) Faculty of Veterinary Science & Animal Husbandry.
 - (iii) Faculty of Agricultural Engineering.
- (iv) Faculty of Dairy Technology.
 - (v) Faculty of each of such subject other than those mentioned above for which a new institution is opened or similar other Faculties offered to qualify students for academic degrees.
- (2) Each Faculty shall consist of the following members:
 - (a) Dean of the Faculty-Chairman.
 - (b) All Deans of Colleges.
- (c) Heads of Department of Studies in the Faculty.
- (d) All Professors and six Research Specialists and three Extension Specialists, employed in the service of the Vishwa Vidyalaya, nominated by the Dean of Faculty in consultation with Director Research/Director Extension for a period of one year from the date of notification.
- (e) One Associate Professor and if there be no Associate Professor, Assistant Professor from each Department in the Faculty, by rotation, for each academic year, according to seniority.

- (f) Director of Research Service.
- (g) Director of Extension Services.
- (h) Director of Instructions.
- (i) Not more than two members, not in employment of the Vishwa Vidyalaya, as the Dean of Faculty may co-opt for a period of two years.
- (j) One member from each of the other Faculties as the Dean may, in consultation with the Dean of the Faculty concerned, co-opt for such period as he may deem fit.
- ' (3) Each Faculty shall be responsible to its Dean.
- (4) Each Faculty shall draw up a College Organisational Plan which provides for such departments s deemed best and shall define the scope of the work to be done by the college and the various departments comprised in each such Faculty. A proposal of a Faculty shall be considered by the Academic Council and, if approved by the Council shall be forwarded to the Board for its consideration. Any changes desired by the Council and/or Board shall be referred to the Faculty.
- (5) Each Faculty shall consider and make such recommendations to the Academic Council on any question pertaining to its sphere of work as may appear to it necessary or on any matter referred to it by the Academic Council.
- (6) Subject to Regulations made by the Academic Council, each Faculty shall develop college curricula and course outlines to meet the degree requirements of the Vishwa Vidyalaya, and shall rovide teaching, laboratory and field experiences and other opportunities for learning and shall participate in research and extension activities, in accordance with the objective of the Vishwa Vidyalaya.
- (7) Subject to the provisions of the Statutes, each Faculty shall prescribed detailed conditions of admission of students to the College and to the various courses of study in the Faculty; shall formulate standards for the evaluation of the progress and attainments of the students of the college and recommend dismissals of students who fail to meet the academic requirements of the college and Vishwa Vidyalaya.
- (8) A Faculty shall recommend to the Board that degrees be conferred on students who have satisfactority fulfilled the degree requirements of the Faculty and Vishwa Vidyalaya.

- (9) Subject to the Statutes, a Faculty shall-
- (a) Assist the Extension Services on the development of plans for training of cultivators and others who are not students of the college and shall recommend to the Director of Extension Services, the issuance of diplomas, certificates or other recognition to those meeting the prescribed requirements; and
- (b) Assist the Research Service on the development of plans for the conduct of research work aimed at practical solution to cultivator problems.
- 24. Other Authorities.—In addition to the authorities mentioned in item (i) to (iii) of Section 25, the following shall be the authorities of the Vishwa Vidyalaya, namely:—
 - (1) Administrative Council.
 - (2) Extension Education Council.
 - (3) Research Council.
 - (4) Council of Post-Graduate Studies.
- 25. Administrative Council.—(1) The Administrative Council shall consist of the following persons, namely:—
 - (a) Vice-Chancellor-Chairman.
 - (b) Comptroller.
 - (c) Registrar-Secretary.
 - (d) All Deans of Faculties.
 - (e) Two Deans of Colleges nominated by the Vice-Chancellor for a period of one year by rotation.
 - (f) Director of Research Services.
 - (g) Director of Extension Services.
 - (h) Superintendent of Physical Plant.
 - (i) Two Heads of Departments from Agriculture Faculty, two from the Faculty of Veterinary Science & Animal Husbandary and one from the Faculty of Agricultural Engineering in rotation according to the seniority for a period of one year.
 - (j) Dean of Student Welfare.

- (2) It shall be the duty of the Administrative Council to make recommendations to the Vice-Chancellor on all matters with which Vishwa Vidyalaya is concerned save matters pertaining to academic aspects, as may be referred to it by the Board, the Vice-Chancellor, the Academic Council or the Faculties.
- 26. Extension Education Council.—(1) The Extension Education Council shall consist of the following persons, namely:—
 - (a) Director of Extension Services-Chairman.
- (b) All Deans of Faculties and all Deans of Colleges—One of the Deans of Colleges as may be appointed by the Chairman shall act as its Secretary.
- (c) Director of Research Services.
- (2) The Extension Education Council shall be responsible to the Director of Extension Services and shall considered and make recommendations on all matters pertaining to Education Extension and specially with respect to—
 - (a) Training of College Students.
 - (b) Agricultural rural life extension Service.
 - (c) Preparation of education material for cultivators.
 - (d) Conduct of short courses, etc., for non-
 - (e) Field extension programmes for the benefit of cultivators.
 - (f) The development of agriculture production and making co-operatives.
 - (g) Preparation of material for development of agriculture such as publications, films, etc., for better development of extension.
 - 27. Research Council.—(1) The Research Council shall consist of the following members, namely:—
 - (a) Director of Research Services-Chairman.
 - (b) All Deans of Faculties and Deans of College.
 - (c) Director of Extension Services.
 - (d) Librarian.

- (e) Such other Heads of Department, not more than two, as may be nominated by the Director of Research Services.
- (f) One of the Deans of Colleges to be nominated by the Director of Research Services— Secretary.
- (2) The Research Council shall be responsible to the Director of Research Services and shall consider and make recommendations on all matters pertaining to agriculture research of the Vishwa Vidyalaya and especially with respect of—
- (a) Agriculture rural life research service;
- (b) Preparation of material for development of agriculture such as publications, films, etc., for better development of research.
- 28. Council of Post-Graduate Studies.—(1) The Council of Post-graduate Studies shall consist of the following members, namely:—
 - (a) Dean of Faculty to be nominated by Vice-Chancellor—Chairman.
 - (b) All Deans of Faculties.
 - (c) All Deans of Colleges.
 - (d) Director of Research Services.
 - (e) Director of Extension Services.
- (2) The Council of Post-Graduate Studies shall work under the overall purview of the Academic Council but shall be responsible to the Director of Instructions and shall consider and make recommendations on all matters pertaining to Postgraduate studies and especially with respect to—
 - (a) development and laying down of standard of admission to post-graduate course of the Vishwa Vidyalaya;
 - (b) prescription of courses, research and other requirements for post-graduate degrees;
 - (c) evaluation of performance of candidates for post-graduate degrees with concurrence of the Dean of the Faculty concerned for the award of post-graduate degree;
 - (d) performance of such other functions as may be assigned by the Board and Vice-Chancellor.

- 29. Committees of the Authorities of the Vishwa Vidyalaya.—(1) Each authority of the Vishwa Vidyalaya may appoint such committees as it may consider necessary for the efficient discharge of the duties, assigned to it by or under the Act.
- (2) There may be appointed on each Committee a member or members of other authorities and such members of the staff of the Vishwa Vidyalaya as the authority may deem fit to appoint.
- 30. Travelling allowance and Daily allowance payable to members of authorities.—The members of the authorities or any of their committees shall be paid travelling and daily allowances for attending meetings of the authority or any Committee thereof at such rates as the Board may by Regulations determine.

CHAPTER IV—EMPLOYEES OF THE VISHWA VIDYALAYA

A-Teachers of the Vishwa Vidyalaya

- 31. Vishwa Vidyalaya Teachers.—(1) Teachers of the Vishwa Vidyalaya shall be either—
 - (a) Servants of the Vishwa Vidyalaya paid by the Vishwa Vidyalaya for imparting instructions and/or conducting and guiding research and/or extension programmes as—
 - (i) Professor,
 - (ii) Associate Professor,
 - (iii) Assistant Professor; or
 - (b) persons appointed by the Board as Honorary Teachers in any of the aforementioned categories on such terms and conditions as the Board may prescribe by Regulations.
- (2) A Teacher shall be eligible to impart instructions and/or conduct or guide research and/or extension programme only up to such standard for which he is recognised as such in accordance with the regulations made by the Board in this behalf.
- (3) A teacher shall perform such functions and discharge such duties as may be prescribed by Regulations by the Academic Council.
- (4) The word 'Teachers/Teacher' wherever if occurs includes persons engaged in Research and Extension activities.
- 32. Qualifications for teachers of the Vishwa Vidyalaya.—Subject to the approval of the Board

- the Academic Council shall, by Regulations, prescribe the qualifications for candidates for the various grades of teachers of the Vishwa Vidyalaya.
- 33. Stales of pay of teachers and other terms and conditions of their services—
- 33(1) The scales of salaried teachers (as follows) shall be as approved the State Govt. from time to time:
- (i) Professor/Equivalent
- (ii) Associate Professor/Equivalent
- (iii) Assistant Professor/Equivalent.

- (2) On the specific recommendations by the Selection Committee supported by reasons recorded in writing, the Vice-Chancellor in consultation with the Comptroller may sanction a higher initial salary—
 - (a) not exceeding seven advance increments over the initial pay in the scale of the post to which appointment is to be made; or
 - (b) in the case of a candidate already employed, not exceeding five increments over his pay elsewhere and in case his said pay does not correspond to any stage in the scale of pay for the post, the stage in the said scale just below the salary the candidate is already drawing.
 - Note:—All cases in which advance increments are granted under (a) and (b) shall be duly reported to the Board within four months of the appointment.
- (4) All salarised Teachers of the Vishwa Vidyalaya shall be wholetime teachers and shall be entitled to leave, leave salary, allowance and other benefits as may be prescribed in this behalf by the Board from time to time for its employees.

. . .

- (5) The word 'Teacher' wherever it' occurs includes persons engaged in Research and Extension Activities.
 - B—Heads of Departments, Heads of Research Station and Heads of Field Extension Unit.
- 34. Responsibilities and duties, etc., of Head of Department.—As a Department is the primary unit of teaching, research and extension in a particular field of knowledge within a Faculty, the responsibilities and duties of the Head of Department shall be as follows:—
 - (a) He shall be responsible to the Dean for organisation of the teaching, in the Department, for the quality and efficient progress of the work related therewith and for the formulation and execution of Departmental policies as they effect the Department.
 - (b) He shall report on the teaching, research and extension work of the Department to the Dean of College concerned with copies to other Deans of Colleges and the Dean.
 - (c) He shall have general supervision of the work of students in the Department.
 - (d) He shall prepare the Departmental budget and be responsible for distribution and expenditure of departmental funds and for the care of departmental property.
- (e) He shall regularly call meetings of the departmental staff for discussion of policies, educational procedures and research and inform staff members of the Department regarding the nature and scope of the work in charge of the Department.
- (f) To exercise such powers and discharge such duties as may be delegated or entrusted to him by the Director Research and Director Extension and to be responsible through the Dean to the Officer, whose powers and duties he exercises.
- C-Other Employees of the Vishwa Vidyalaya and their Conditions of Service etc.
- 35. Service Personnel.—The Vishwa Vidyalaya shall employ such other service personnel other than those hereinbefore mentioned, as may from time to time be needed to carry on the activities of the Vishwa Vidyalaya. The pay scales, qualifications for recruitment, conditions of services and duties to be performed by such service personnel shall be such as may be prescribed by the

Board. Such service personnel shall be under the control of the respective officers (concerned) of the Vishwa Vidyalaya and shall be responsible to them provided that appeals against punishment and adverse application of service conditions, shall be with the authority, next above the appointing authority.

D-General

. 36. Additional work of Vishwa Vidyalaya employees.—(1) An employee of the Vishwa Vidyalaya shall be entitled to additional compensation for work done for the Vishwa Vidyalaya in addition to his regularly prescribed duties, when so sanctioned by and at such rate of pay as may be approved by the authority or officer indicated herein for the pertinent class of employees.

Officers ... Board
Teachers ... Vice-Chancellor
Service Personnel ... Comptroller

(2) An employee of the Vishwa Vidyalaya (including an officer teacher or service personnel) shall not engage in activities outside the Vishwa Vidyalaya when any such activity does or is likely to result in damage to the best interests of the Vishwa Vidyalaya. Questions on the propriety of any such activity shall be considered by the authority indicated herein. In an activity is found not to be in the best interests of the Vishwa Vidyalaya, the authority shall recommend to the Board, through the Vice-Chancellor, that the employee does not engage or cease to engage in such activity. The decision of the Board shall in this matter be final and transmitted in writing to the employees:—

Officers Administrative Council
Teachers Academic Council
Service Personnel Administrative Council

- (3) No employee of the Vishwa Vidyalaya shall be eligible to additional remuneration except as provided in these Statutes.
- 37. Leave.—Until the Board may make Regulations in the matter of leave, all the employees of the Vishwa Vidyalaya shall be governed by the leave rules applicable to State Government servants of the corresponding grade.
- 38. Emoluments of a retired employee.—Notwithstanding anything contained in the Statutes, the emoluments of an employee, other than the Vice-Chancellor who is recruited after his retirement from Government Service, shall be fixed in the Vishwa Vidyalaya on the basis of last pay drawn minus pension and pension equivalent of

death-cum-retirement gratuity, provided that the Board may in any specific case, for reason to be recorded in writing, relax the provision under this Statutes.

CHAPTER V—PROVIDENT FUND, GRATUITY, ETC.

- 39. Definitions.—In the Chapter unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Salary" in relation to an employee means monthly salary and includes all fixed monthly allowances by way of pay, acting and personal allowances but does not include any other allowances;
 - (b) "Employee" means a person in the wholetime service of the Vishwa Vidyalaya appointed on probation or otherwise to a permanent or temporary post, but does not include a person on deputation or employed on daily wages or work charged establishment:
- Provided that if the scale of pay of a post does not go upto Rs. 60/- (or above) the incumbent of such a post shall not be deemed to be an employee of the Vishwa Vidyalaya for the purposes of this Chapter;
- (c) "Subscriber" means a servant on whose behalf a deposit is made under these statutes;
- (d) "Continuous Service" means uninterrupted service and includes period of leave on average pay or half average pay and of service preceding and following the period of extra-ordinary leave, but not the period of extra ordinary leave;
- (e) "Family" means (i) in the case of male the wife; children subscriber, whether or un-married, and dependent parents of the subscriber, and the widow and children of deceased son of the subscriber provided that if a subscriber proves that his wife has ceased under the personal law governing him or the customary law of the community in which the spouse belongs to be entitled to maintenance, she shall no longer be deemed to be a part of the subcriber's family for the purpose of this scheme, unless the subscriber subsequently intimates by express notice in writing, she shall continue to be so personal; and

(ii) In the case of a female subscriber, the husband and children of the subscriber, the dependent parents of the subscriber or of the husband, and the widow and children of a deceased son of the subscriber:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the committee expresses her desire to exclude her husband from the family, the husband and his dependent parents shall no longer be deemed to be a part of the subscriber's family for the purpose of this scheme, unless the subscriber subsequently cancle in writing any such notice;

- Explanation.—In either of the above two cases, if the children of a subscriber have been adopted by another person and if, under the personal law of adopter, adoption is legally recognised, such a child shall be considered as excluded from the family of the subscriber.
- (f) "Fund" means the Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidyalaya Contributory Provident Fund";
- (g) "Year" means the financial year of the Vishwa Vidyalaya;
- (h) "Committee" means the Committee of Trustees appointed for the administration of the fund.
- 40. Administration of Fund Account and Audit. (1) (a) The Fund shall be held by the Vishwa Vidyalaya' and shall be administered by a Committee of Trustees comprising of the Vice-Chancellor, Registrar, Comptroller, and at least two representatives of the employees to be nominated by the Vice-Chancellor.
- (b) All money belonging to the Fund shall be deposited with the Reserve Bank of India, State Bank of India or in such scheduled banks as may be decided in this behalf by the Committee or invested in the securities of State or Central Governments, in the name of the "Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidyalaya Contributory Provident Fund" to be operated by one or more persons singly of jointly as may be nominated by the Committee. The Committee, at its discretion, may also open Saving Bank Account and/or Cumulative Time Deposit Account in the individual name of the subscriber in the Post Office or Banks and arrange for its operation in the above manner.

- (c) The Accounts of the Fund shall be made up yearly as at the 31st March and an audited statement of accounts shall be submitted to a meeting of the Committee to be held not later than the 31st August, in every year or within two months of the annual audit of the accounts whichever is later and a copy of such statement shall be made available to the subscriber as soon as may be after such meeting.
- (d) The Accounts of the fund shall be audited by the same authority which audits the accounts of the Vishwa Vidyalaya or by a Chartered Accountant appointed by the Vishwa Vidyalaya.
- (2) Meeting of the Committee.—At every meeting of the Committee, the Vice-Chancellor or in his absence the Registar or in the absence of both, the Comptroller, shall preside. The presence of at least three members shall be necessary to form a quorum for the transaction of business. Each member shall have one vote and if cases of equality of votes, the presiding officer shall have easting vote.
- 41. (1) Subscription to the Fund.—(a) Every employee of Vishwa Vidyalaya shall be entitled and required to become a subscriber to the Fund from the begining of the month following that in which he had completed one year's continuous service except those absorbed in Vishwa Vidyalaya service under Section 57 of the Act and have opted for Pension and General Provident Fund Scheme of retirement benefit:

Provided that an employee who has been admitted to the benefits of the Provident Fund interms of the provisions of foregoing para shall have the option within 60 (sixty) days of his completing one year's continuous service to make subscription from the date of his appointment in the Vishwa Vidyalaya and in that case the Vishwa. Vidyalaya shall also contribute to his account the sum at such rate as prescribed under these statutes. The arrears of subscription shall be recovered in suitable monthly instalments:

Provided further that nothing in this paragraph shall apply to an employee employed on contract unless the terms of his contract otherwise provide.

(b) Any employee excluded by sub-para (a) and any other person in receipt of other than casual remuneration from the Vishwa Vidyalaya may also subscribe to the Fund, if so permitted by the Committee.

- (2) Rate of Subscriptions.—(a) The subscriber shall subscribe monthly to the Fund at such rate of his pay not being less than 10%, as may be fixed by him from time to time. The application for fixing the rate of subscription shall be made in the prescribed form. Such subscription shall be deducted by the Vishwa Vidyalaya from the pay payable to the subscriber every month in amounts rounded off to the nearest rupee. The Vishwa Vidyalaya's contribution will remain fixed as provided by the statutes.
- (b) Within the above limits, the subscriber can change the rate of subscription with effect from the commencement of each financial year.
- (c) The rate of subscription once fixed shall remain unaltered throughout the year.
- (d) Notwithstanding anything contained in clauses (a) to (c) of Paragraph 41 (2) employees shall subscribe monthly to the Fund, such portions of the Dearness Allowance as may from time to time be directed by the Vice-Chancellor in this behalf. No contribution shall be payable by the Vishwa Vidyalaya on account of such subscription.
- (3) Subscription of an employee on leave.—The subscription of the subscriber absent on leave shall, during the period of such absence, be assessed on his leave pay but any such subscriber shall be at liberty to subscribe on the full amount of his pay provided notice in writing of his desire to do so is given by him not less than 14 days in advance of the first payment of his leave salary to the officer responsible for paying him.
- (4) Vishwa Vidyalaya's Contribution.—Save as otherwise provided, the Vishwa Vidyalaya shall contribute to the Fund every month 10% of the salary of each subscriber as employer's contribution to the Fund, provided that no such contribution shall be made by the Vishwa Vidyalaya in respect of a subscriber who has been permitted to subscribe under sub-para 41 (1) (b) of Statute.
- 42. Interest.—The Vishwa Vidyalaya shall on the 31st day of March every year or as soon as thereafter as is possible:
 - (i) Prepare an account of the total interest accrued and received on the investment of the Fund during the year;

- (ii) determine and notify with the approval of the Vice-Chancellor of the Vishwa Vidyalaya the rate at which interest shall be allowed during the year on all deposits standing to the credit of every subscriber of the Fund;
- (iii) credit the amount of interest due to every subscriber based on the balance monthly products of each subscriber's account during the preceding year; and
- (iv) interest on all sums standing in the books of the fund to the credit of a subscriber shall be payable for a period of six months beyond the date of retirement/resignation/termination/death:

Provided that interest shall be paid upto a period of one year from that date if the delay in settling the case is found to be on the part of the Vishwa Vidyalaya.

- 43. (1) Withdrawals from the fund and recoveries.—At the discretion of the Committee a temporary advance, not exceeding in any case the subscriber's own subscription and interest thereon, may be granted to a subscriber on application, out of the amount standing to his credit in the fund, subject to the following conditions:—
 - (a) No advance shall be granted unless the Committee is satisfied that the applicants pecuniary circumstances justify it and an undertaking is given that it will be expended on the following object or objects and not otherwise;
 - (i) to pay expenses incurred in connection with the illness of the subscriber or any person of his family or in special circumstances of any other person actually dependent upon him. The part final withdrawal shall be allowed for this purpose after completion of 20 years services and the amount of withdrawal shall not exceed one half of the balance or six months pay, whichever is less;
 - (ii) to pay for the overseas passages for reasons of health or education of the applicant or any other person actually dependent upon him;
 - (iii) to meet the cost of education of himself or of any person actually dependent on him in the following types of cases.—

- (a) For education outside India, whether for an academic, technical professional or vocational courses;
- (b) For medical, engineering and other technical or specialised courses in India beyond the high school stage, provided that the courses of study is not less than three years;
- (c) The part final withdrawal shall also be admissible for the purposes mentioned under items (a) and (b) above after completion of 20 years of services. The amount of withdrawal shall not exceed three months pay or half of the balance, whichever is less, and will be permissible every six months i. e. twice in any financial year provided that it will not ordinarily be allowed before the expiry of six months from the date of previous withdrawal;
- (iv) to pay obligatory expenses in a scale appropriate to the subscriber's status to which by customary usage the applicant has to incur in connection with the marriage, funeral or any ceremony relating to any person referred to in sub-clause (i);
- (v) to meet the expenditure on building repairs, remodelling or purchase of a house and/or a site for a house provided that such house or site shall not be encumbered or aliennated in any manner without prior permission from the Vishwa Vidyalaya or the sanctioning authority;
- Provided that in the case of an employee whose income under the head 'Salaries' does not exceed the amount prescribed under Income Tax Rules.

 1962 the Committee may, in its discretion waive the condition that such house or site shall be assigned to them and instead require as a condition that the employee shall not encumber or alienate the property in any manner;
- (vi) to pay premium on policies of insurance on the life of the employee or his wife:

- Provided that the number of policies in respect of which the facility referred to above is allowed will not exceed 4 at a time and the premia shall not be payable otherwise than annually:
- Provided further that the amount of advance for the purposes of payment of isnurance premium shall be limited to the limit specified under Statute 43 (2) (a);
- (vii) to meet the cost of legal proceedings constituted by the employee for vindicating its position in regard to any allegations made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge of his official duty or meet the cost of his defence when he is prosecuted by the employer in any court of law in respect of any official misconduct on his part:
- Provided that the advance under this para shall, not be admissible to an employee who instituted legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duty or against employer in respect of any condition of service or penalty imposed on him;
- which in the opinion of the Committee is extraordinary and beyond the ordinary means of the subscriber; such as advance for purchase of grain etc.
 - Explanation.—For the purpose of sub-rule (1) "family" means any of the following persons who are wholly dependent on the employee, namely:—the employee's wife, legitimate chlidren, step-children, parents, sisters and minor brothers.
- (2) Conditions for withdrawal for Various Purposes.—The amounts of advances as admissible under the following rules are subject to the condition that the balance left at the credit of the subscriber, after the sanction of advance shall not be less than Rs. 100/- ii case of Class-IV employees and Rs. 400/- in case of others.

- (a) An advance shall not, except for undermentioned and other special reasons to be recorded in writing by the sanctioning authority, exceed three months pay or half the amount of subscriber's own contribution to the Fund and interest thereon, whichever is less.
 - (i) The withdrawal in connection with expense on marriages as specified in clause (iv) of Statute 43 (1) (A) shall not exceed six months pay or the total of the accumulation of exempted contributions and exempted interest lying to the credit of the employees after leaving the minimum balance as laid down in Rule 43 (2) above, whichever is less:
- Provided further where a withdrawal is allowed after completion of 20 years of service, for the marriage of sons and daughters and any other female relation actually dependent on him, the amount of withdrawal shall not exceed 10 months pay or half the balance whichever is less and shall be treated as part final. In special cases, the sanctioning authority may relax this limit to the extent of 15 months pay or 75% of balance, whichever is less.
- (ii) The withdrawal for the purpose specified in clause (v) of sub-rara (A) of Statute 43 (1) shall be subject to the following conditions:—
 - (1) the amount of withdrawal shalf not exceed one half of the amount standing to the employee's credit or the actual cost of the house and/or the site, whichever is less. The sanctioning authority may however sanction, the withdrawal of an amount in excess of the prescribed limit, but not exceeding 75% of the balance at credit of the subscriber in the Fund, as a special case, at his discretion;
- (2) the employee shall have completed ten years of service or is due to retire within the next ten years;

- (3) the construction and/or repairs, remodelling of the house should be commenced within six months of the withdrawal and should be completed within one year from the date of the commencement of the construction;
- (4) if the withdrawal is made for the purchase of a house and/or a site for a house, the purchase should be made within six months of the withdrawal;
- (5) if the withdrawal is made for the repayment of loan previously raised for the purpose of construction or purchase or repairs, remodelling of a house the repayment of the loan should be made within three months of the withdrawal:
- (6) where the withdrawal is for the construction of a house, it shall be permitted in two or more equal instalments (not exceeding four), a later instalment being permitted only after verification by the Committee about the actual utiliation of the withdrawal;
- (7) the withdrawal shall be permitted only if the house and/or site is free from encumbrances and no withdrawal shall be permitted for purchasing a share in a joint property or building or house or land whose ownership is divided;
- (8) if the amount withdrawn exceeds the actual cost of the purchase or construction or repairs, remodelling of the house and/or site, or if the amount is not utilised for the purpose for which it is withdrawn the excess of the whole amount, as the case may be, shall be refunded to the Committee forthwith in one lumpsum together with interest from the month of such withdrawal at the rate prescribed in Statute 43 (3) (viii). The amount

- refunded shall be credited to the employee's amount in the Provident Fund;
- (iii) The withdrawal for the purpose specified in clause (vii) of Statute 43 (1) (A) shall not exceed three months pay or Rs. 500/- whichever is greater, but shall in no case exceed half the amount to the credit of the employee;
- (iv) The amount of temporary advance for purchase of plot or site shall not exceed six months pay or half the balance or actual cost of the site whichever is less and will not be admissible until after completion of five years of services, provided the house site/plot shall not be encumbered or alienated in any manner without prior permission of the Vishwa Vidyalaya. Repayment of this advance shall be made in not more than 30 instalments.
- (b) The advance shall in no case exceed the amount of subscriber's own contribution to the Fund and interests thereon;
- (c) For the purpose of this rule, 'pay' means the pay to which the employee is entitled at the time when the withdrawal is granted or, in the case of an employee referred to in sub-rule (2) of Rule 5 of Part A of the Fourth Schedule of the Income Tax Act 1961, the pay (including increments, if any) which he would have received had he not entered the armed forces of the Union or been taken into or employeed in the National Service;
- (d) An advance shall not except for special reasons, be granted until atleast 12 months after the final repayment of all previous advances together with interest unless the amount already advanced does not exceed two third of the amount admissible under Statute 43(2) (a):
- Provided that an advance may be granted for the payment of insurance premium specified in para 43 (1) (a) (vi) notwithstanding that sum advanced for any other purpose has not been repaid.

- (i) A second advance shall not except under special circumstances be granted to a subscriber if more than half the advance given in the first instance is out-standing.
- (ii) If two advances are running concurrently, a third advance shall not be granted until atleast one year has lapsed since the complete recovery of the first advance together with interest thereon. Advance given for purposes of grains will not be counted in this limit of two advances.
- (3) Repayment of Amounts Withdrawn—(i) Subject of the provisions of Statute 43 (2) (a) (ii) (1) to (8) where a withdrawal is allowed for a purpose specified in clause (v) and (vi) of Statute 43 (1), (A) the amount withdrawal need not be repaid.
- (ii) Where a withdrawal is allowed in connection with the marriage as specified in clause (iv) of Statute 43 (1) (A) the amount withdrawn shall be repaid in not more than forty-eight equal monthly instalments.
- (iii) Where a withdrawal is allowed for any other purpose the amount withdrawn shall be repaid in not more than twenty four equal monthly instalments.
- (iv) A subscriber may at his option repay more than one instalment in one month.
- (v) Each instalment shall be in whole rupee, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary to admit the fixation of such instalments.
- '(vi) The Vishwa Vidyalaya shall deduct the instalments aforesaid from the employee's salary, and pay them to the Fund. The deduction shall commence from the second monthly payment of salary made after withdrawal. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he is on leave other than ordinary leave on fullaverage pay, or in receipt of subsistance grant.
- (vii) Recoveries made under this Statute shall be credited as they are made to the subscriber's account in the Fund.
- (viii) After the principal of the advance has been fully repaid, interests shall be recovered at the same rate as is to be credited to the employees provident fund deposits during the

year of sanction and as shown in the following table: -

Where the amount is One instalment of repaid in not more interest on the than 12 monthly amount withinstalments.

Where the amount is Two instalments of repaid in more than interest on the 12 but not more amount withthan 24 monthly drawn. instalments.

Where the amount is Three instalments of repaid in more than interest on the 24 but not more amount with-than 36 monthly drawan instalments.

Where the amount is Four instalments of repaid in more than interest on the 36 but not more amount withthan 48 mosthly drawan. instalments.

Where the amount is .One instalment of the refunded under interest on the Statute 43 (2) (a) amount which is (ii) (8).

Provided that at the discretion of the committee interest may be recovered on the amount aforesaid or the balance thereof outstanding from time to time at 1 per cent above the rate which is payable for the time being on the balance in the Fund at the credit of the employee.

- (ix) Whole of interest shall ordinarily be recovered in the month after complete repayment of the principal but if the period of payment of advance exceeds 20 months, interest may if the subscriber so desired be recovered in two equal instalments.
- (x) Each advance shall be treated separately for the purpose of recovery.
- (4) Conversion of an advance into part-final withdrawal.—Subject to eligibility for part-final withdrawal, a subscriber who has already drawn or may draw in future an advance for any purpose specified in sub-clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of clause (1) and sub-clause (a) (iv) of clause (2), may convert at his discretion by written request to the competent authority the balance outstanding against it, into a part-final withdrawal.

- 44. Payment of amount standing to the credit of the subscriber.—(i) The sum standing to the credit of a subscriber shall become payable on his quitting the service by way of resignation, termination, dismissal, death, retrenchment and/or retirement subject to further condition specified in Statute 44 (ii) provided that there may if the Comittee so directs be deducted therefrom and paid to the Vishwa Vidyalaya.
 - (a) any amount due under a liability incurred by the subscriber to the Vishwa Vidyalaya upto the total amount contributed by the Vishwa Vidyalaya to his account including the interest credited in respect " thereof.
 - (b) Where the subscriber has been dismissed from his employment on account of gross misconduct or gross negligence, the whole or any part of the amount of employer's contributions together with interest credited in respect thereof.
- (ii) No employee shall be entitled to receive the amount contributed by the Vishwa Vidyalaya on his behalf and the interest thereon unless he has been in the service of the Vishwa Vidyalaya for a continuous period of five years from the date he has been permitted to subscribe to the provident fund at the rate prescribed in Statute 41 (2) (a) and that he has been permitted to resign or has retired, or on his death or on account of retrenchment from the post.

-Explanation are account shall be closed on the day, the event takes place.

45. Nominations.—(1) Every subscriber shall as soon as may be after joining the Fund send to the Vishwa Vidyalaya office a nomination conferring in the event of his death, on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund:

Provided that if, at the time of making the nomination the subscriber has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the members of his family.

- (2) If a subscriber nominates more than one person under sub-paragraph (1) he/she shall specify in the nomination the amount of share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his/her credit in the Fund at any time.
- (3) Every nomination shall be made in the prescribed form.

' (4) A subscriber may at any time cancel nomination by standing a notice in writing to the Vishwa Vidyalaya office:

Provided that a subscriber shall alongwith such notice send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this Statute.

- (5) A subscriber may provide in a nomina-
 - (a) in respect of any specified nominee that in the event of his predecessing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person as may be specified in the nomination;
 - (b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening or not happening of a contingency specified therein:
 - Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has no family the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.
- (6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in nomination under clause (a) subparagraph (5) or on the occurance of any event by reason of which the nomination become invalid in pursuance of clause (b) of subparagraph (5) of the provision thereto the subscriber shall send to the Vishwa Vidyalaya office a notice in writing cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with provisions of this statute.
- (7) Every nomination made and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect, on the date on which it is received by the Vishwa Vidyalaya office.
 - 46. Agreement to be executed by Subscriber.—Every employee on becoming a subscriber to the Fund shall execute an agreement in the prescribed form.
 - 47. Expenses of the Fund.—All expenses relating to the administration of the Fund including the pay and, allowances of the staff appointed for the purpose of administering the Fund shall be borne by the Vishwa Vidyalaya and shall not be charged to the Fund.
 - 48. Powers of the Committee.—(i) For matters not provided in this Chapter the Committee may exercise such powers as may be necessary for the administration of the Fund.

(ii) The Committee may also prepare supplementary Regulations and adopt the same with the approval of the Board:

Provided that the Committee shall exercise powers and prepare Regulations in accordance with the provision of Provident Fund Act, of 1925 or Employees Provident Act 1952 and the scheme and rules framed thereunder.

- 49. Provident Fund to be free from all liability—(a) The amount standing to the credit of any member in the Fund (or of any exempted employee in a provident fund) shall not in any way be capable of being assigned or charged and shall not be liable to attachment under any decree or order of any Court in respect of any debt or liability incurred by the member (of the exempted employee), and neither the official assignee appointed under the Presidency Towns Insolvency Act, 1909, nor any receiver appointed under the Provincial Insolvency Act, 1920 shall be entitled to, or have any, claim on, any such amount.
- (b) Any amount standing to the credit of a member in the Fund or of an exempted employee in the Fund at the time of his death and payable to his nominee under the statutes or the rules relating to the Provident Fund, shall subject to any deduction authorised by the said statutes or rules, vest in the nominee and shall be free from any debt or other liability incurred by the deceased or the nominee before the death of the member or the exempted employee.
- 50. Gratuity.—Employees, of the Vishwa Vidyalaya, whose maximum salary is less than Rs. 60 per mensem and who are not entitled, to the benefits of the Vishwa Vidyalaya Provident Fund, may be granted gratuity according to the following scale:—
 - (a) No gratuity shall be paid to a servant of ten years' standing or less.
 - (b) If a servant has served for more than ten years but has not served for more than twenty years a gratuity of one month's pay for each completed year of approved service may be paid to the servant himself, provided that he has been permitted to retire from the service of the Vishwa Vidyalaya on account of his incapacity to continue in its service; or may be paid to his family if he dies while in the service of the Vishwa Vidyalaya.

- (c) If a servant has served in the Vishwa Vidyalaya for more than twenty years, a gratuity at the rate, of one month's pay for the first twenty completed years of approved service and one and a half month's for each completed year of approved service in excess thereon may be paid to the servant himself, if he has been permitted to retire from the service of the Vishwa Vidyalaya on the ground of incapacity, or may be paid to his family if he dies while in the service of the Vishwa Vidyalaya.
- (d) No gratuity shall be paid to a servant or to his family except in cases where the servant leaves the service of the Vishwa Vidyalaya with the permission of the Board given on the ground that he is incapable of continuing in the service of the Vishwa Vidyalaya or where the servant dies while still in the service of the Vishwa Vidyalaya.
- (e) The expression 'Family' means those persons who in the opinion of the Board were dependent on the servant at the time when he dies and the decision of the Board in this matter shall be final.

CHAPTER VI—ACADEMIC PROGRAMMES, ADMISSIONS, PERFORMANCE.

A—Organisation of Teaching

- 51. Academic Programmes Definitions.—In this Chapter, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Academic Year" means a twelve month period during which a cycle of work is completed;
 - (b) "Semester" means a 18 to 22 weeks period, there being two such periods in an Academic Years;
 - (c) "Curriculum" means a series of courses selected and designated to provide training to meet the requirement of a degree;
 - (d) "Course" means a series of classes and work experience existing over a semester and being as integral and specific part of a curriculum;

Carlotte to the art.

- (e) "Course-out-line" means a detailed outline of the subject matter of a Course, carefully co-related with other syllabi to avoid omissions and/or duplication in a particular field of study;
- (f) "Course Credit" means a quantitative measure of a course, one credit -being allowed for three hours of expected student 'effort' per week through a semester.
- (g) "Course Load" means 24 credits which a student may complete each semester.
- 52. Vishwa Vidyalaya Calender: Academic Year, Semesters, Annual Catalogue.—(1) The Academic Year shall normally commence of the first working day of July every Year.
- (2) The Semester shall normally be as follows:—

First Semester—July to November-December.

Second Semester—November-December to

April-May.

In each semester, there shall be not less than 105 full days in which classes and/or interim examinations are conducted, laboratories and libraries are open.

- (3) The Vishwa Vidyalaya shall publish, prior to the begining of a Academic Year, a Vishwa Vidyalaya Annual Catalogue containing, as far as possible but not limited to the following:—
 - (a) Starting date of Academic Year and each Semester and dates of official holidays;
 - (b) Qualifications of and maximum number of students which may be admitted to the various Colleges;
 - (c) Fees which are to be charged for registration. courses, laboratories, student affairs, hostels, etc.;
 - (d) Scholarships, Student Loans and other sources from which students may meet their financial needs;
 - (e) Degrees, diplomas, medals, etc., awarded by the Vishwa Vidyalaya and the requirements therefor;

- (f) Lists of courses offered in each college during each semester indicating the contents, Course Credits, pre-requisites, etc., for each course;
- (g) Requirements for students to maintain satisfactory standing in courses and the Vishwa Vidyalaya, conditions of probation and causes for dismissal;
- (h) Hostels and other residential accomodation for students;
- (i) Uniforms of other ancillary matter that may be required of the students.
 - B-Student Admissions, Performance.
- 53. Qualifications for student admission to the Vishwa Vidyalaya.—(1) The minimum academic attainment for admission to a college of the Vishwa Vidyalaya shall be laid down by the Vishwa Vidyalaya Board except as under clause (1) of Statute 53.
- (2) In addition to the prescribed academic attainments, a candidate for admission to the Vishwa Vidyalaya shall possess good moral habits and such other personal and physical pre-requisites as may determined by the Dean of Student Welfare.
- (3) The names of all the students who are admitted to the Vishwa Vidyalaya shall as soon as may be after their selection is so made, be posted on the Notice Board of the Registrar and published in such other manner, if the Registrar considers it necessary so to do, as he may deem for
- 54. Credit for previous studies and experiences; admission, advance standing.—A candidate for admission, who does not fulfil requirement for admission prescribed in Statute 53 but who has had other valuable experiences and/or possesses special abilities, may be granted credit for such experience and/or abilities so as to qualify him for admission to the Vishwa Vidyalaya. An evaluation of such possible substitute qualifications shall be made by the Dean of the appropriate Faculty and reported to the Registrar for purposes of record of admission of such students.
- 55. Evaluation of students performance.—The Course Grade earned by a student shall be

determined in accordance with the rules/regulations to be framed by the Academic Council from time to time.

The teacher shall report, in accordance with the rules prescribed by the Dean of Student Welfare, his opinion on the degree to which the student is a 'good' student of the Vishwa Vidyalaya.

- 56. Student Probations, dismissals.—(1) An enrolled student slould be placed on probation and be subject to rules prescribed by the Academic Council, if his Credit Grade Average for a semester is below 2.00 for the Under-Graduates and 2.75 for the post-Graduates. When a student is places on probation, the Dean of the College shall report the action to the guardian of the student with such recommendations as he considers appropriate.
- (2) An enrolled student shall not be permitted to continue in the Vishwa Vidyalaya if at the end of the Semester during which he has been on probation, his Credit Grade Average for all work done in the Vishwa. Vidyalaya is below 2.00 for Under-Graduates and 2.75 for post-Graduates. Notice of any such dismissal shall be transmitted in writing by the Dean of the College to the student and his parent, unless the student certifies in writing that he does not wish to continue as an enrolled student. A dismissed student may, after the expiry of atleast one Semester apply for admission for being an enrolled student. The Board may subject to such terms and conditions, if any, as it may deem fit to impose admit him on probation and he shall thereon be subject to all conditions for registration as laid down in the Act. Statutes and the Regulations.
- 57. Extra-curricular activities of student, Vishwa Vidyalaya activities, employment.—(1) An enrolled student shall not engage in Vishwa Vidyalaya extra-curricular activities which, in the opinion of teacher, seriously interfere with satisfactory performance in his classes; provided that any such ruling of a teacher may be over-ruled by the Dean of Student Welfare whose decision shall be final.
- (2) An enrolled student shall not engage in work for the Vishwa Vidyalaya or outside the

Vishwa Vidyalaya, for or without compensation, when such work is deemed by a teacher to interfere seriously with the quality of the student's class work; provided that such a ruling of a teacher may be over-ruled by the Dean of student Welfare with prior concurrence of the Dean of the Faculty to which the student belongs and the decision of the Dean of Student Welfare in the matter shall be final. In case of difference of opinion between the Dean of Student Welfare and the Dean of the Faculty, the matter shall be referred to the Vice-Chancellor whose decision in that case shall be final.

C-Scholarship and Loan Funds, Student Fees

- 58. The Vishwa Vidyalaya Scholarship and Student Loan Funds.—(1) The Vishwa Vidyalaya shall establish and maintain a scholarship fund, from which funds may be granted to an enrolled student—
 - (a) to assist him in meeting his expenses while attending the Vishwa Vidyalaya; and/or
 - (b) as an award to him for outstanding performance in the Vishwa Vidyalaya

In accordance with joint recommendations of the Administrative Council and Academic Council, the Board shall make Regulations governing the operations of the Vishwa Vidyalaya Scholarship Fund.

- (2) The Vishwa Vidyalaya shall establish a Student Loan Fund, from which funds may be provided as loans to an enrolled student when such assistance is needed to help him to meet the costs of attending the Vishwa Vidyalaya. In accordance with recommendations of the Administrative Council, the Board shall make Regulations governing the operations of the Vishwa Vidyalaya Student Loan Fund.
- 59. Student Fees, Registration, Course, Laboratory and others.—(1) At the time of registration in each semester, an enrolled student shall pay such registration fee as may be prescribed by Regulations. Save as provided in clause (4), the registration for the Semester

shall not be completed until the fee is paid, and such fee shall not be refunded once the student is accepted by the Vishwa Vidyalaya.

- (2) At the time of registration for a course in the Vishwa Vidyalaya, an enrolled student shall pay a course fee which shall be such as may be prescribed by Regulations. Save as provided in clause /(4) admission to a Course shall not be permitted until the fee is paid and such fee shall not be refunded except in accordance with Regulations made by the Administrative Council.
- (3) The Administrative Council, with the approval of the Vice-Chancellor, shall prescribe by Regulation fees that an enrolled student shall pay for the use of Cafetenias libraries, laboratories and other Vishwa Vidyalaya facilities etc.
- (4) The Board, on the recommendations of the Administrative Council, shall make Regulations for exempting indigent persons, referred to in Section 9 from the payment of fees prescribed under clauses (1), (2) and (3) above. Further more, on the recommendations of the Administrative Council the Board may also make Regulations regarding exemption of fees for other enrolled students when such exemption is deemed to be in the best interest of the Vishwa Vidyalaya.

CHAPTER VII—VISHWA VIDYALAYA DEGREE, DIPLOMA, AWARDS.

CHAPTER VII-VISHWA VIDYALAYA DEGREE, DIPLOMA, AWARDS.

- 60. Bachelor degrees binds, requirements :-
- (1) The Vishwavidyalaya shall, when so approved by the Board grant to an enrolled student who has fulfilled the requirement of the Vishwavidyalaya, a Bachelor's degree, as follows
 - (a) Bachelor of Science (Agricultural);
 - (b) Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry;
 - (c) Bachelor of Technology(Agricultural Engineering);
 - (d) Bachelor of Technology (Dairy Technology).

- (2) A Bachelors degree shall require the completion of a series of courses (curriculum) prescribed by the faculty and approved by the Academic Council. The curriculum shall include courses in:-
 - (a) basic science and humanities;
 - (b) basic subject of the Faculty;
 - (c) fields related thereto; and
 - (d) special professional and/or vocational subjects.

All of which provide opportunities for a student to gain basic and usable knowledge which should make him capable of dealing reasonably well with all facts of agriculture and rural life and specially with the particular activities for which he has taken special courses.

A student in order to earn a Bachelor's degree shall according to prescribed standards, have completed in the Vishwavidyalaya or acquired by 'Approved Transfer', the course credits prescribed by regulation for the particular degree and shall have earned atleast an 5.00 Overall Grade Point Average out of 10.00 for all courses completed faculty (where as to earn a Master degree he/she shall have earned atleast 6.00 OGPA out of 10.00) that he possesses outstanding competency in above, the student shall in the judgement of the Faculty, possess good moral habits and a high standard of honesty.

- (3) A student who, in meeting the Vishwavidyalaya requirements for a degree, has earned a Overall Grade Point Average 7.5 and above, as an undergraduate, and 8.5 and above as post-graduate, shall be awarded a Certificate of Honour.
- Advanced Degree, kinds and requirements
 The Vishwavidyalaya shall, when so ap-
- proved by the Board grant to a student who has fulfilled Vishwavidyalaya requirements, a Master's Degree, as follows:-
 - (a) Master of Science (Agriculture);
 - (b) Master of Veterinary Science;

DESTRUCTION OF THE PARTY

- (c) Master of Technology (Agricultural Engineering);
- (d) Master of Science (Discipline to be indicated);
- (e) Master of Business Administration (Agriculture);
- (f) Post Graduate Diploma (Discipline to be indicated).

- (2) As prescribed by the Council of post graduate studies approved by the Academic Council, a student shall have completed in a creditable manner in the Vishwavidyalaya or acquired by approved Transfer atleast 82 course credits, after Bachelor's Degree applicable to the particular degree. In addition, he shall have completed a research project and submitted to the Faculty a creditable thesis.
- The Vishwavidyalaya shall, when so approved by the Board, grant to a Post Graduate student who has fulfilled Vishwavidyalya requirements, the Degree of Doctor of Philosphy, as prescribed by the Council of Post Graduate Studies and approved by the Academic Council a student shall have comppleted in a creditable manner in the Vishwavidyalaya or acquired by approved transfer atleast 70 Course Credits, after Master's Degree, applicable to the Doctor's Degree. In addition, he shall have completed a comprehensive research project and submitted an acceptable thesis and in addition he shall have demonstrated in a conclusive manner by examination by the Faculty, that he possesses outstanding competency in the field of specialisation.
- 62. Honorary Degrees.—A proposal for the award of an Honorary Degree shall first be examined by the Academic Council. The Council shall, thereafter, forward to the Board through the Vice-Chancellor the results of such examination. The Board shall make such recommendation to the Chancellor as it deems to be in the best interests of the Vishwa Vidyalaya.

COLUMN TO THE PROPERTY OF THE

- 63. Diplomas, Medals, Certificates.—The Vice-Chancellor may, in accordance with the regulations made by the Academic Council and upon a recommendation made to him by the Council in that behalf award to enrolled students and to other person who have completed non-degree work sponsored by the Vishwa Vidyalaya, appropriate diplomas, certificates, medals, etc. as deemed by the Council and Vice-Chancellor to be in the best interests of the Vishwa Vidyalaya.
- 64. Withdrawal of Degrees, Diplomas, etc.—The Board may on the recommendation of the Academic Council, by a resolution passed by a majority of the total membership of the Board and by a majority of not less than two thirds

of the members of the Board present and voting withdraw a degree, diploma, certificate or other academic distinction conferred by the Vishwa Vidyalaya; provided that the withdrawal of an honorary degree shall have the concurrence of the Chancellor.

CHAPTER VIII—ASSOCIATIONS RELATED TO VISHWA VIDYALAYA

65. Alumni Association.—There may exist within but not as official authority of the Vishwa Vidyalaya, an organisation to be known as the Vishwa Vidyalaya Alumni Association. Only persons who have received and continue to hold a degree from the Vishwa Vidyalaya shall be eligible for full membership in the Association. Vishwa Vidyalaya degree holders, under the guidance of the Vice-Chancellor, may establish such an association with constitutional byelaw approved by the Board:

Provided that a man of eminence may be adopted as patron of the Alumni association.

CHAPTER IX—STAFF HOUSING, STUDENT HOSTELS AND OTHER ACCOMMODATIONS.

- 66. Employee Housing and other Accommodations.—(1) The Vishwa Vidyalaya may procure, construct, own, take on lease, and use houses for Vishwa Vidyalaya employees as determined by the Board to be necessary for the proper functioning of the Vishwa Vidyalaya. Administrative Council shall make up and adopt Regulations for the proper administration of staff housing matters.
- (2) As recommended by the Administrative Council the Board may provide and operate for employees of the Vishwa Vidyalaya health, recreational and other ancillary facilities. All such facilities shall be administered as provided in Regulations prepared and adopted by the Administrative Council.
- 67. Student quarters, Cafeterias and other accommodations for students.—(1) An enrolled student of the Vishwa Vidyalaya shall live in,—
 - (a) his own home or the home of his parents;
 - (b) in a Vishwa Vidyalaya hostel or approved accommodation for students.

Carried State Control &

Regulations on this subject shall be made by the Academic Council.

- (2) The Vishwa Vidyalaya shall provide and operate for enrolled students of the Vishwa Vidyalaya such cafeterias, health, recreational, shopping, and other ancillary facilities as may be deemed by the Board to be in the best interests of the Vishwa Vidyalaya. The Administrative Council shall, in consultation with the Academic Council make Regulations for such purpose. The Regulations shall be administered by the Dean of Student Welfare and/or by such other persons as may be designated by him with the approval of the Vice-Chancellor.
- 68. Vishwa Vidyalaya Hostels for Students.—(1) The Vishwa Vidyalaya shall provide and operate as deemed by the Board to be in the best interests of the Vishwa Vidyalaya, student hostels and other housing facilities for enrolled students of the Vishwa Vidyalaya
- (2) Subject to the provision of clause (3) an enrolled student who occupies a Hostel or other

- housing facility of the Vishwa Vidyalaya shall, pay to the Vishwa Vidyalaya such hostel fee as may be determined by the Board prior to the beginning of Semester.
- (3) The Board may grant exemption from payment of the hostel fee to an indigent person or such other student as it may deem fit.
- (4) The Administrative Council shall, with concurrence of the Academic Council, make Regulations for the management of hostels and other matters related thereto and such Regulations shall be administered by the Dean of Student Welfare. The Regulations so made shall provide for maximum participation of enrolled students in the management of hostels occupied by them, as is consistent with good management of a Vishwa Vidyalaya facility.
- (5) For the purposes of this Statute, the Hostel Fee shall include messing charges.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, DILIP MEHRA, Spl. Secy-